

भारत की अर्थनीति

गाँधीवादी रूपरेखा

चरण सिंह



1978

भारत की अर्थनीति

गांधीवादी रूपरेखा

चौधरी चरण सिंह
अखिल भारतीय किसान सम्मेलन

चरण सिंह अभिलेखागार



प्रकाशनाधिकार © चरण सिंह

प्रथम संस्करण १६८२, किसान ट्रस्ट, दिल्ली



अगस्त २०२४

चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित
www.charansingh.com
info@charansingh.org

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन को केवल पूर्व अनुमति के साथ पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित किया जा सकता है।

अनुमति के लिए कृपया लिखें info@charansingh.org

अक्षर तथा आवरण संयोजन राम दास लाल
सौरभ प्रिंटर्स आइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।



मीर सिंह और नेत्र कौर। १६५०
चरण सिंह के माता-पिता

५ बच्चों में सबसे बड़े चरण सिंह का जन्म १६०२ में संयुक्त प्रान्त आगरा एवं अवध के नूरपुर गाँव, जिला बुलन्दशहर के एक गरीब बटाइदार परिवार में हुआ था। आधुनिक दृष्टि से अशिक्षित, मीर सिंह और नेत्र कौर एक मेहनती किसान समुदाय से थे जिन्हे अपने हाथों से खेती करने का गहन पीढ़ीगत ज्ञान था।

“[मैं]... एक साधारण किसान के घर में कच्ची मिट्ठी की दीवारों पर टिकी हुई फूस की छत के नीचे पैदा हुआ था... जहां पीने के पानी और सिंचाई के लिए एक कच्चा कुआँ था।” चरण सिंह, १६८२

गरीबी में जन्मा यह शिशु आगे चलकर १६४७ की आजादी के बाद एक स्वदेशी सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक विश्वदृष्टिकोण की सबसे प्रमुख राजनीतिक आवाज़ बना। चरण सिंह के दृष्टिकोण की जड़े भारत की संस्कृति से जीवन लेती हैं – स्व-काश्त किसानों के एकीकृत गाँव, भूमिहीन हस्तकरघा कारीगरों के लिए भरपूर व्यवसाय, और जाति, गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्त नैतिक और उन्नत समाज।

भूमिका

मैंने जनता पार्टी के सामने एक विस्तृत परिपत्र रखा था जिसमें मोटे तौर पर बताया था कि मेरी समझ में पार्टी की अर्थनीति क्या होनी चाहिए, उसकी क्या रूपरेखा हो, उसके क्या मूल तत्व हों। इस नीति के मुख्य संघटकों के लिए मैं मौलिकता का दावा नहीं करता। मेरी ईमानदारी के साथ यह कोशिश थी—भले ही इसमें कुछ कमियाँ रह गयी हों—कि पार्टी की नीति की व्याख्या महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार की जाय। महात्मा गांधी ने इस सम्बन्ध में बार-बार कहा था और गहराई में जाकर बहुत कुछ लिखा था। सच तो यह है कि स्वतन्त्र भारत की आर्थिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर तो गांधीजी बहुत विस्तार से व ब्यौरेवार लिख गये हैं। यह हमारा दुर्भाग्य था कि हमने एक राष्ट्र के नाते उनकी पूरी तरह उपेक्षा की और उस महान आत्मा को देवता का स्थान दिया, लेकिन उसके व्यावहारिक मार्गदर्शन को ताक पर रखकर हम अपने को व संसार को धोखा देते रहे। हम उनका जबानी गुणगान करके ही सन्तुष्ट होते रहे।

और किसी क्षेत्र में हमने इतनी पूर्णता से गांधी का परित्याग नहीं किया जितना स्वतन्त्रता के बाद अपनी अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना में। आर्थिक संकट गहरा होता जा रहा था, यह 1950 के बाद के दस वर्षों में ही साफ़ नज़र आने लगा था। फिर भी हमने आंखें खोलकर यह नहीं देखा कि हम क्या ग़लती कर रहे हैं। सचेत करने वाले सभी संकेतों को नज़रअन्दाज कर दिया गया। हमने गांधीवादी दृष्टिकोण को तो छोड़ा ही, साथ ही आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे मार्ग को डटकर अपना लिया जो पूर्णतया पराया था। इससे हमारी और भी दुर्गति हो गयी।

चारों घोर से हमें घेरते हुए आर्थिक संकट का एक ही नतीजा निकलना था। वह एक नीचतम राजनीतिक संकट के रूप में प्रस्फुटित हुआ और फिर हमें भुगतने पड़े आपात स्थिति के काले दिन और उन्नीस महीनों के भयानक अनुभव।

जनता ने एक होकर अपनी इच्छा व इरादे की मजबूती से इस राजनीतिक संकट का हल ढूँढ़ा। जनता पार्टी उसी इच्छा व इरादे की मजबूती से पैदा हुई। मार्च व जून 1977 में हुए ऐतिहासिक चुनावों

ने निर्णयक ढंग से यह सिद्ध कर दिया कि जनता पार्टी को चुनकर लोगों ने राजनीतिक संकट को हल करने के लिए एक कारगर अस्त्र छुना। लेकिन भारत की वर्तमान समस्याओं का हर विद्यार्थी जानता है कि राजनीतिक संकट तो उस गहरे आर्थिक संकट की ही अभिव्यक्ति था जो पिछले दो दशकों से अधिक हमारे समाज में बढ़ता जा रहा था। लोगों ने राजनीतिक संकट का हल कांग्रेस पार्टी व उसके नेतृत्व का करीब करीब पूरी तरह से परित्याग करके निकाला। उसी तरह से आर्थिक समस्याओं का हल भी उन आर्थिक नीतियों का लगभग उतना ही सम्पूर्ण प्रतिकरण करके हूंडा जा सकता है जो कांग्रेस शासन काल में चलायी जा रही थीं। लोगों ने जनता पार्टी को बोट देकर उसे राजनीतिक सत्ता इसलिए दी क्योंकि उसके नेताओं ने सार्वजनिक रूप से देश के राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए गांधी को अपना प्रेरक माना था और बार-बार कहा था कि वे उनके मार्ग पर चलेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि आर्थिक समस्याओं के हल के लिए भी उसी मार्ग पर चलने के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं है।

हमारी अर्थनीति के ढांचे की गांधीवादी रूपरेखा इस अर्थ में क्रान्तिकारी है कि उसमें जनता को व जनता की अपने—आपको अपने प्रयत्नों से जनतन्त्रीय ढंग से ऊपर उठाने की क्षमता को ही हर काम का, हर कदम का केन्द्रीय बिन्दु बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। अन्ततोगत्वा गांधी की दृष्टि में रुपये व मशीन का महत्व न होकर केवल इंसान का महत्व था। कृषि को दी गयी प्राथमिकता, दस्तकारी व लघु उद्योग को दी गयी प्रमुखता, विकेन्द्रीकरण व आत्मनिर्भरता पर दिया गया बल, अर्थव्यवस्था चलाने में वर्तमान स्थिति में राज्य—यंत्र की न्यूनतम सम्भव भूमिका — इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह यह है कि इस मौलिक सिद्धान्त को व्यावहारिक वास्तविकता बना दिया जाय कि जनतन्त्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है।

यह हाल के भारतीय इतिहास का निर्विवाद तथ्य है कि डेढ़ दशक से अधिक तक स्वतन्त्र भारत की अर्थनीतियों के निर्धारण व कार्यान्वयन में जवाहरलाल, जिन्हें गांधी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नामजद किया था, ने सर्वोच्च भूमिका अदा की। जो काम जहां नेहरू ने छोड़ा था उसे वहीं से आगे बढ़ाया उनके उत्तराधिकारियों ने, विशेष रूप से उनकी पुत्री इन्दिरा गांधी ने। यद्यपि इन्दिरा गांधी ने अपने पिता द्वारा विकसित किये गये मौलिक मूल्यों की व्यवस्था में कुछ गम्भीर दोष

उत्पन्न कर दिये लेकिन उन्होंने मोटे तौर से जो आर्थिक ढांचा नेहरू छोड़ गये थे वही जारी रखा व उसे मजबूत बनाया।

जिस दिशा में व जिस मार्ग पर भारतीय अर्थव्यवस्था को ले जाया गया, वह उस मार्ग का लगभग सम्पूर्ण परित्याग था जिसकी गांधी ने कल्पना की थी। इसलिए 'गांधी की दिशा में' जाने के लिए अनुरोध किया जायगा तो अवश्यमेव आर्थिक विकास की उस नीति की आलोचना होगी जो नेहरू के संचालनकाल में बनी। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि नेहरू के दृष्टिकोण की आलोचना है तो आवश्यक पर उसे सही परिवेश में समझना चाहिए और उस आलोचना का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि हमारी स्वतन्त्रता के रचनाकाल में नेहरू के अविस्मरणीय योगदान को कम करने या घटाने की कोशिश की जा रही है।

इतिहास प्रायः निर्मम अभियोजक होता है। उसके निर्णय को भावनाएं कभी प्रभावित नहीं करतीं। इतिहास के मूलभूत उद्देश्यों में से एक है आने वाली पीढ़ियों को अपने सबक सिखाना। यदि हम भावुकता के कारण इतिहास से सही सबक न सीख सके तो न केवल अपने प्रति झूठे होंगे बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति भी, उनकी स्मृति के प्रति भी, उनके उस योगदान के प्रति भी जिसे हम अनश्वर मानते हैं, जिससे हमें लगाव है।

मैंने भारत की आर्थिक समस्याओं के लिए गांधीवादी विकल्प उपस्थित करते हुए वाक्युद्ध की, या तर्क-वितर्क की भावना से कुछ नहीं लिखा है। मेरा यह इरादा नहीं है कि मैं भारत की उपलब्धियों को तुच्छ बताऊं। मुझे बहुत सन्तोष होगा यदि मैंने नीति की जो रूपरेखा सुझायी है उस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श हो। मेरी रूपरेखा में बहुत कमजोरियां होंगी लेकिन वाद-विवाद से ही मोटे तौर पर आम राय बनेगी कि हम जो इस विश्व में दूसरे जनसंख्या बहुल राष्ट्र हैं, कैसे अपनी अत्यधिक आवश्यक आर्थिक व मानवीय समस्याओं को हल करने के महान कार्य को पूरा करें।

चरण सिंह

विषय सूची

| | |
|--|-----|
| भूमिका | v |
| 1 आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका | 1 |
| 2 खेतिहर संरचना | 12 |
| 3 श्रम, पूँजी व नवीनीकरण | 32 |
| 4 गाँवों व खेती की उपेक्षा के कारण | 48 |
| 5 औद्योगिक अभिरचना | 56 |
| 6 समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था | 65 |
| 7 विदेशी ऋण व सहयोग | 71 |
| 8 निजी क्षेत्र व आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण | 78 |
| 9 दोहरी अर्थव्यवस्था | 87 |
| 10 एक नीति-विकल्प | 99 |
| 11 उपसंहार | 131 |

१

आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

भारत एक अल्प विकसित देश है—बेहद ग्रीष्मी का शिकार। ग्रीष्मी का अर्थ है उन चीजों का प्रभाव जिनसे जिन्दा रहने के लिए मनुष्य की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं—चाहे ये चीजें खेतों में पैदा हों या दूसरे क्षेत्रों में तैयार हों। इन सभी चीजों का मूल स्रोत भूमि है। भूमि से ही वह खाद्य पदार्थ उपजते हैं जिनका मनुष्य सेवन करता है और भूमि पर ही वह कच्चा माल पैदा होता है जिससे कृषितर माल का उत्पादन होता है, और यह माल भी मनुष्य के उपयोग में आता है।

दूसरे शब्दों में, सारी आबादी के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करने के साथ—साथ कृषि को कपड़ा मिलों, तेल की मिलों, चावल की मिलों, चटकलों, चीनी के कारखानों, वनस्पति की मिलों और तम्बाकू के कारखानों जैसे उपभोक्ता उद्योगों को बराबर चलाते रहने के लिए निरन्तर अधिक—से—अधिक मात्रा में कच्चा माल मुहैया करना होता है—और कृषि का अर्थ है भूमि का उपयोग व प्रयोग। इसी प्रकार जंगलों व पशुओं से जिनका पालन—पोषण भूमि ही करती है, मनुष्य को इमारती लकड़ी, गोंद, रेसिन, खालें व हड्डियाँ इत्यादि विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं—और इन वस्तुओं से असंख्य उद्योग चलते हैं। इसके अतिरिक्त खानों व खदानों से, भूमि में से पत्थर, कोयला, तेल, लोहा अन्य धातु व खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं।

दुर्भाग्य से जो भारत लगभग 1925 तक खाद्यान्नों का निवल निर्यात करता था, (1943 के) बंगाल दुर्भिक्ष के बाद से वह उनका आयात करने लगा है। 1970 तक के बीस वर्ष में खाद्य सामग्री के आयात पर हमें औसतन 207.8 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ा है। और 1970 के बाद के पांच वर्षों में अर्थात् 1971—76 में इस मद में खर्च बढ़कर 441.14 करोड़ वार्षिक हो गया। 1974, 1975 तथा 1976 के तीन वर्षों की अवधि में ही 187,96,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आयात किया गया, जिसका मूल्य 2,503 करोड़ रुपए हुआ। (इसमें 461 करोड़ रुपये किराया भी सम्मिलित है।)

इसमें भारत—अमेरिकी समझौते, विश्व खाद्य कार्यक्रम, केयर इत्यादि के समान कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपहार के रूप में प्राप्त खाद्य सम्मिलित नहीं है। 1965—67 के दो वर्षों के दौरान 45,76,000 मीटरी टन गेहूं भेंट के रूप में मिला। 1975 में केवल कनाडा से 37.8 करोड़ रुपये मूल्य का 2,50,000 मीटरी टन गेहूं भेंट में मिला। हमें केवल खाद्यान्न ही नहीं, कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे माल का भी आयात करना पड़ा—मिसाल के लिए कपड़ा, भोजन के बाद मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है, उसके उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल भी हमें मंगाना पड़ा। 1971—72 तक विश्व मण्डी में लम्बे रेशे की कपास के मुख्य खरीदारों में भारत की गिनती होती थी।

1974, 1975, 1976 और 1977 के वर्षों में

खाद्य—पदार्थों का आयात,
हजार मी. टन में मात्रा लाख रुपये में भाड़े सहित अनुमानित मूल्य

| वर्ष | मात्रा | भाड़ा सहित मूल्य |
|---|---------|------------------|
| 1974 | 4874.4 | 46304.3 |
| 1975 | 7406.7 | 105789.7 |
| 1976 | 6514.8 | 98223.5 |
| 1977 | 554.6 | 7815.6 |
| Total | 19350.5 | 258133.1 |
| 1974, 1975 तथा 1976 के तीन वर्षों का योग— | 18795.9 | 250317.5 |

विकासोन्मुख कृषि से उत्पन्न अतिरिक्त खाद्य—पदार्थ व कच्चा माल हमें विदेशी मुद्रा कमाने में बहुत मदद दे सकते हैं और इस विदेशी मुद्रा से हम औद्योगिक विकास के लिए पूँजीगत माल का आयात कर सकते हैं—ऐसे पूँजीगत माल का जिसकी आवश्यकता हर देश को होती है चाहे उसकी अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, भले ही वह गांधी की विचारधारा के अनुकूल हो। कनाडा ने अपने उद्योगों का निर्माण इमारती लकड़ी का निर्यात करके किया था और जापान ने रेशम का निर्यात करके।

सत्तारुद्ध दल ने यद्यपि कृषि की उपेक्षा की, फिर भी 1974–75 तक में हमारे देश से निर्यात हुए मुख्य माल का पूरा दो—तिहाई ऐसा माल था जो कृषि की उपज था—कच्ची उपज तथा प्रक्रमणित माल मिलाकर। कृषि में मत्स्य, वन तथा पशुपालन क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं। उस वर्ष हमारे देश से निर्यात हुए माल का 79 प्रतिशत ऐसा माल था जिसे हमारे यहाँ का मुख्य निर्यात—माल कहा जाता है और शेष 21 प्रतिशत ऐसा निर्यात था जिसे छोटा—मोटा समझना चाहिए। इस छोटे—मोटे निर्यात में कृषि व कृषितर दोनों क्षेत्रों का ही माल था। और, 79 प्रतिशत मुख्य निर्यात में से 52 प्रतिशत कृषि का उत्पाद था। 1950–51 में मुख्य निर्यात 77 प्रतिशत में से 75 प्रतिशत कृषि का उत्पाद था और छोटा—मोटा निर्यात 23 प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास भी तभी हो सकता है जब कृषि में समृद्धि हो या बहुत हुआ तो दोनों साथ—साथ हो सकते हैं। लेकिन औद्योगिक विकास पहले हो, बाद में कृषि में खुशहाली आये—यह नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस राजनीतिक दल ने देश पर तीस वर्ष तक शासन किया उसकी नेताशाही समझती थी, और शायद अभी तक समझती है, कि औद्योगिक विकास पहले हो सकता है। जब कृषक के पास क्रय—शक्ति हो तभी औद्योगिक व कृषितर क्षेत्र के माल व सेवाओं (जैसे शिक्षा, परिवहन, विद्युत) की मांग पैदा हो सकती है। क्रय—शक्ति कृषि की उपज बेचकर ही उत्पन्न हो सकती है—चाहे बिक्री देश में हो चाहे देश के बाहर। जितना अधिक बिक्री के लिए अतिरिक्त उत्पादन होगा, उतनी ही बेचने वाले अथवा कृषि के उत्पादक की क्रय शक्ति बढ़ेगी। जहाँ जनसाधारण की क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, अर्थात् जहाँ कृषकों के उपभोग से अधिक अतिरिक्त 'उत्पादन नहीं होता, वहाँ कोई औद्योगिक संसृद्धि नहीं हो सकती।

कृषि विकास से एक और तो जन—समुदाय को क्रय शक्ति मिलेगी जिससे वह तैयार माल व सेवाएं खरीद सके, दूसरी और कामगारों को अवसर मिलेगा कि वे औद्योगिक तथा अन्य रोज़गार कर सकें। जैसे—जैसे अधिकाधिक पूँजी लगने तथा उच्च से उच्चतम टेकनॉलॉजी के प्रयोग से प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ेगी, वैसे—वैसे उतनी ही भूमि पर उतनी ही उपज के लिए कामगारों की संख्या की आवश्यकता कम होती जायगी।

इसके अतिरिक्त छोटी—छोटी व अलाभकर जोतों के मालिक अधिक आय वाले कामों की तलाश में नये औद्योगिक क्षेत्रों की और प्रवास

करेंगे तो धीरे—धीरे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि छोटी—छोटी जोतों की संख्या बढ़ना रुक जाय और अन्ततः ऐसी जोतें लुप्त हो जायें। यहां पर यह स्मरण रखना होगा कि 1970—71 की कृषि गणना के अनुसार 50.6 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से भी कम भूमि थी। यह उन्हीं के हित में होगा कि ये तथा दूसरे अलाभकर जोतवाले भूमिधर कुटीर तथा छोटे उद्योगों को मुख्य या सहायक व्यवसाय के रूप में अपना लें। जब तक कृषि से कामगारों को छुटकारा नहीं मिलता ताकि वे कृषितर रोज़गार में लग सकें तब तक देश में न तो आर्थिक विकास हो सकता है, न गरीबी मिट सकती है। इसके कारण सीधे—सादे हैं। ऐसे पदार्थ कम हैं जिनको कृषि अथवा प्राथमिक क्षेत्र में पैदा किया जाता है और जिनको उसी कच्ची शक्ति में उपभोक्ता इस्तेमाल कर सके—जैसे फल, दूध आदि। कृषि अथवा प्राथमिक क्षेत्र में जो कुछ उत्पादन होता है उसमें अधिकांश ऐसा होता है जिसे कृषितर (द्वितीय व तृतीय) क्षेत्रों में प्रक्रमणित करके ही सभ्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लायक बनाया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कृषितर (द्वितीय व तृतीय) क्षेत्रों में, अर्थात् कृषि उत्पादों के प्रक्रमण व कृषितर वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक वह देश सम्पन्न होगा और उतना ही ऊँचा वहाँ के निवासियों का जीवन—स्तर होगा।

आकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि उन सभी देशों में जो आज समृद्ध हैं या आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं, कामगार अधिकाधिक संख्या में कृषि को छोड़कर अन्य रोज़गारों में लगते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि कृषि में लगे कामगारों की संख्या का प्रतिशत बराबर घटता जा रहा है। आगामी पृष्ठों पर दी गयी तालिका में भारत व पन्द्रह अन्य देशों के श्रमिक—बल के आँकड़े दिये गए हैं। पाठक इसे समझ जायेंगे कि जैसे—जैसे कृषि श्रमिकों की संख्या में धीरे—धीरे कमी होती है और परिणामस्वरूप उद्योग तथा दूसरी सेवा में लगे लोगों की संख्या में उसी प्रकार वृद्धि होती है। अतः जन्मसंख्या में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय या लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है।

आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

५

कुछ देशों के प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक-बल के भाग तथा प्रति व्यक्ति आय में विविधता

| देश | वर्ष | कृषि में लगे श्रमिक- बल का प्रतिशत | प्रति व्यक्ति आय | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------|-------|
| | | | वर्ष | डालर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अमेरिका | 1890 | 43.1 | 1884—93 | 355 |
| | 1910 | 32—0 | 1904—13 | 508 |
| | 1930 | 22.6 | 1930 | 648 |
| | 1950 | 11.6 | 1950 | 1,064 |
| | 1965 | 5.1 | 1965 | 2,921 |
| | | | | |
| आस्ट्रेलिया | 1891 | 26.5 | 1891 | 405 |
| | 1911 | 24.8 | 1913—14 | 414 |
| | 1933 | 24.7 | 1933—34 | 441 |
| | 1947 | 16.8 | 1947—48 | 664 |
| | 1966 | 8.1 | 1966 | 1,747 |
| | | | | |
| ग्रेट ब्रिटेन | 1871 | 15.0 | 1871 | 330 |
| (इसमें आयर— लैंड शामिल नहीं है) | 1891 | 10.4 | 1891 | 453 |
| | 1911 | 7.8 | 1911 | 519 |
| | 1951 | 4.5 | 1951 | 597 |
| | 1966 | 2.7 | 1966 | 1,544 |
| बेलजियम | 1890 | 18.2 | 1895 | 219 |
| | 1910 | 17.6 | 1913 | 314 |
| | 1930 | 13.6 | 1930 | 324 |
| | 1947 | 10.9 | 1947 | 481 |
| | 1967 | 4.3 | 1967 | 1,593 |
| | | | | |
| कनाडा | 1901 | 43.6 | 1900 | 408 |
| | 1931 | 32.6 | 1931 | 432 |
| | 1951 | 18.7 | 1951 | 834 |
| | 1968 | 8.2 | 1968 | 2,247 |
| | | | | |
| | | | | |
| न्यूजीलैण्ड | 1901 | 29.6 | 1901 | 334 |
| | 1921 | 27.3 | 1925—26 | 590 |
| | 1945 | 20.1 | 1945—46 | 739 |

भारत की अर्थनीति: गांधीवादी रूपरेखा

| देश | वर्ष | कृषि में लगे श्रमिक— बल का प्रतिशत | प्रति व्यक्ति आय | |
|-------------|------|---------------------------------------|------------------|-------|
| | | | वर्ष | डालर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| फ्रांस | 1966 | 11.9 | 1966 | 1,750 |
| | 1901 | 33.1 | 1900 | 231 |
| | 1921 | 28.5 | 1921 | 348 |
| | 1931 | 24.5 | 1931 | 363 |
| | 1951 | 20.2 | 1951 | 509 |
| नीदरलैण्ड्स | 1954 | 19.8 | 1954 | 812 |
| | 1899 | 28.5 | 1900 | 329 |
| | 1920 | 21.1 | 1920 | 366 |
| | 1947 | 16.8 | 1947 | 434 |
| जर्मनी | 1882 | 35.5 | 1883 | 206 |
| | 1907 | 23.8 | 1907 | 298 |
| | 1925 | 17.8 | 1925 | 274 |
| | 1933 | 16.9 | 1933 | 295 |
| | 1950 | 11.8 | 1950 | 360 |
| डेनमार्क | 1967 | 4.9 | 1967 | 1,519 |
| | 1901 | 42.4 | 1903 | 481 |
| | 1921 | 31.7 | 1921 | 493 |
| | 1940 | 23.6 | 1940 | 545 |
| | 1960 | 16.4 | 1960 | 1,049 |
| नार्वे | 1890 | 45.2 | 1891 | 145 |
| | 1910 | 37.5 | 1913 | 229 |
| | 1930 | 34.0 | 1930 | 463 |
| | 1960 | 18.8 | 1960 | 964 |
| जापान | 1912 | 48.0 | 1913 | 146 |
| | 1930 | 36.2 | 1930 | 189 |
| | 1950 | 32.6 | 1950 | 194 |
| | 1960 | 18.9 | 1960 | 343 |
| | 1965 | 13.7 | 1965 | 721 |
| इटली | 1901 | 48.9 | 1901 | 132 |

आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका

७

| देश | वर्ष | कृषि में लगे श्रमिक— बल का प्रतिशत | प्रति व्यक्ति आय | |
|--------------|------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | वर्ष | डालर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1921 | 46.5 | 1921 | 146 |
| | 1936 | 40.3 | 1936 | 168 |
| | 1951 | 34.9 | 1951 | 250 |
| | 1967 | 17.7 | 1967 | 1,075 |
| स्विटजरलैण्ड | 1900 | 27.0 | 1899 | 245 |
| | 1920 | 21.7 | 1924 | 346 |
| | 1941 | 19.9 | 1941 | 414 |
| | 1950 | 15.4 | 1950 | 638 |
| | 1960 | 10.4 | 1970 | 2,963 |
| स्वीडन | 1910 | 40.8 | 1910 | 252 |
| | 1930 | 30.5 | 1930 | 358 |
| | 1950 | 19.3 | 1950 | 625 |
| | | | | (रुपयों में) |
| भारत | 1881 | 74.4 | 1880 | 197 |
| | 1901 | 76.1 | 1900 | 199 |
| | 1951 | 77.4 | 1950 | 253 |
| | 1961 | 73.5 | 1961—62 | 309.2 |
| | 1971 | 72.05 | 1970—71 | 353.0 |

स्रोत (भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के लिए):

1. 1952 तक के आकड़ों के लिए कोलिन क्लार्क लिखित कन्फीशन्स प्रॉ इकनॉमिक ओग्रेस (1957 का संस्करण), 1952 के बाद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संगठन के आई० एल० ओ० इयर बुक ऑफ़ लेवर स्टैटिस्टिक्स, 1961, 1966 और 1968 तथा यू० एन० स्टैटिस्टिकल इयर बुक, 1962
2. 1952 तक प्रति व्यक्ति आय बाई० पू० (इण्टरनेशनल यूनिट) के अनुसार दी गयी है जो कि 1924—34 के दशक में अमेरिका में एक डालर के बदले में दिये जाने वाले माल के औसत के बराबर है। 1952 के बाद यह डालर के चालू मूल्य में दी गयी है।

स्रोत (भारत के लिए):

1. 1881, 1901, 1951 और 1961 के लिए साइमन कुजनेत्स कृतं व इकनॉमिक ग्रोथ ग्रॉफ नेशन्स, हारवर्ड यूनिवर्सिटी, 1971य बौर 1971 के लिए इण्डियाज सेन्सस रिपोर्ट, 1971
2. 1955 तक प्रति व्यक्ति आय 1948–49 की कीमतों पर (या 1948–49 में रुपये की क्रय शक्ति के मूल्य के आधार पर) दी गयी है और मोनी मुखर्जी की पुस्तक नेशनल इनकम ऑफ इण्डिया: ट्रैडिंग्स एण्ड स्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिकल पब्लिशिंग सोसाइटी, कलकत्ता, पृ० 61 से ली गयी है।
1961–62 की प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े 1960–61 की कीमतों पर आधारित हैं और नेशनल अकाउण्ट्स स्टैटिस्टिक्स, सी० एस० ओ० जी/आई, 1976 (अक्तूबर), तालिका 1, पृ० 2–3 से लिये गये हैं।

अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो तो दो ही नुस्खे हैं—पहला, प्रति एकड़ कृषि उत्पादकता बढ़े और साथ—साथ प्रति एकड़ काम करने वालों की संख्या घटे; दूसरा, हमारे राष्ट्रीय मनोभाव में इस अर्थ में परिवर्तन आये कि हम, विशेष रूप से हिन्दू यह मानना छोड़ दें कि संसार तो माया है और व्यक्तिगत रूप से तथा एक राष्ट्र के नाते हमारे मन में यह आकांक्षा उत्पन्न हो जाय कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है और इसके लिए हमें पहले से अधिक मेहनत करनी है और पहले से अधिक अच्छे ढंग से काम करना है। लेकिन ऊपर जिस दूसरे नुस्खे का उल्लेख किया गया है, उस पर तो यहाँ विचार करना नहीं है।

नेहरू यह तो ठीक कहते थे कि लोगों के रहन—सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए भारत में औद्योगीकरण अथवा कृषितर साधनों का विकास आवश्यक है। लेकिन नेहरू ने ग़लती यह की कि सोवियत रूस की नक़ल करने की कोशिश में पहले भारी उद्योगों के विकास की नीति अपना ली जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गयी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रहन—सहन का स्तर तभी ऊंचा होगा जब श्रमिक खेती से हटकर कृषितर धंधों में लगें और यह तभी हो सकता है जब खेती का उत्पादन इतना बढ़े कि उत्पादकों की आवश्यकता से अधिक हो। इसका मतलब है कि अगर भारत को जिन्दा रहना है और आगे बढ़ना है तो खेती से नहीं बचा जा सकता। इसका मतलब यह समझना ग़लत होगा कि साथ—साथ देश में औद्योगीकरण के प्रयत्न छोड़ दिये जायें। बहुत हद तक कृषि व

उद्योग एक—दूसरे के पूरक हैं। सवाल यह है कि किस पर बल दिया जाए, किसे प्राथमिकता दी जाए?

उद्योगपति और कुछ राजनीतिक नेता भी अक्सर इस सुझाव की हंसी उड़ाते हैं कि खेती के उत्पादन पर बल दिया जाय और उद्योगों को दूसरा स्थान दिया जाए। पूछा यह जाता है कि बिना औद्योगिक उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि हुए कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है? भूमि की सिंचाई के लिए हमें तालाब बनाने होंगे, नहरें बनानी होंगी, बिजली के सूत्रों की जरूरत होगी जिनके लिए हमें चाहिए सीमेंट, इस्पात, बिजली। कृषि व उद्योग की पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार करते हुए भी उद्योगपति व सभी बुद्धिजीवी उद्योगों को या तो प्राथमिकता देते हैं, या उन पर बल देते हैं। उनकी दलील यह है कि बिना उन साधनों के जो केवल उद्योग मुहैय्या कर सकते हैं, कृषि के उत्पादन में वृद्धि की आशा करना गलत है।

यही दृष्टिकोण है जो भारत की आर्थिक बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान आर्थिक नीति के समर्थकों से प्राथमिकता के प्रश्न पर सहमत होते हुए भी उनके इस कथन से इंकार नहीं किया जा सकता कि औद्योगीकरण से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे, कपड़ा, जूते, किताबें) की पूर्ति खेतिहर मजदूरों को अभिप्रेरणा पहुँचाने का काम करेगी और पूँजीगत वस्तुओं की पूर्ति (उदाहरण के लिए, उर्वरक के रूप में कार्य चालन पूँजी, लोहे के यन्त्रों तथा डीजल पम्पों के रूप में स्थिर पूँजी) एक प्रकार से भूमि को अभिप्रेरणा पहुँचाने का काम करेगी। विकासोन्मुख उद्योगों से (व उसके साथ आवश्यक रूप से बढ़ते हुए वाणिज्य, परिवहन व अन्य सेवाओं से) खेती के उत्पादन के लिए मण्डी का विस्तार होगा क्योंकि शहरी आबादी और प्रक्रमण व विनिर्माण उद्योगों के लिए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी और जब तक यह नहीं होता कि सान अपनी आवश्यकता से अधिक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ायेगा। औद्योगिक केन्द्रों में खेती की पैदावार की मांग बढ़ने से खेतिहरों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। लेकिन साथ ही यह भी मानना होगा कि कृषि के विकास से ही औद्योगिक व अन्य कृषितर श्रमिकों को खाद्यान्न मिलेंगे, उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा, विदेशों से पूँजीगत माल मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा मिलेगी, उद्योगों के उत्पाद के लिए घरेलू मण्डी बनेगी, और उद्योग, परिवहन व वाणिज्य के लिए श्रमिक मिलेंगे।

इसमें किसी को सन्देह नहीं है कि आज औद्योगिक विकास

अथवा कृषितर साधनों के विकास के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट कृषि उत्पादन की कमी ही बन गयी है। कृषि उत्पादन की कमी व घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं, घरेलू मण्डी सिकुड़ गयी है; शहरों में बचेनी बढ़ गयी है, जगह-जगह हड़ताल होने लगी हैं, मजदूरों का अनुशासन ढीला हो गया है और पूँजी लगाने के लिए वातावरण दूषित हो गया है। कृषि व उद्योग, दानों, एक-दूसरे के विकास के लिए कारण कारक हैं। जैसे जब उद्योग खुशहाल होते हैं तो कृषि का विकास होता है और खेतिहरों में भी खुशहाली आती है, वैसे ही कृषि के विकास से उद्योग का भी विकास होगा व कृषितर जनता खुशहाल होगी।

इसका यह मतलब भी नहीं कि उद्योग भी उतना ही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जितना कृषि। प्राथमिक भूमिका, अग्रगामी की भूमिका तो कृषि की ही है। आदमी बिना औद्योगिक वस्तुओं के तो काम चला सकता है लेकिन बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार खेती तो अन्तर्राष्ट्रीय बिना भारी अथवा पूँजीगत उद्योग के हो सकती है, उद्योग बिना खेती के नहीं चल सकते। बिना सीमेंट, इस्पात व बिजली बड़ी मात्रा में मिले कुएँ, तालाब व नहरें तो बन सकते हैं और हमारे पूर्वजों ने तथा अंग्रेजों ने भी बनाये ही थे और कपड़ा, जूते व किताबें भी बन सकती हैं। वैसे भी, उद्योग की अपेक्षा खेती में सीमेंट आदि माल का बहुत कम अंश इस्तेमाल होता है। जहाँ तक खाद का प्रश्न है, जैव उर्वरक अजैव उर्वरकों से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं, शर्त यह है कि जैव उर्वरक इकट्ठा किये जा सकें और उनको तैयार किया जा सके जैसा कि चीन-निवासी पिछली चालीस शताब्दियों से करते आये हैं।

आर्थिक जीवन क्षमता, घरेलू हो या विदेशी, कृषि की उपेक्षा करके प्राप्त नहीं की जा सकती। और आर्थिक जीवन-क्षमता पर ही देश की राजनीतिक स्थिरता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक महत्ता निर्भर करती है। हमारे पास-पड़ोस के छोटे-छोटे राज्य व हमारे परम्परागत मित्र हमें छोड़कर दूसरों की ओर सहायता व बचाव के लिए देख रहे हैं क्योंकि भारत स्वयं अपना काम नहीं चला पा रहा और खाद्य उत्पादन की विशाल सम्भावनाओं के होते हुए भी उसे खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है।

जब से, 1947 में, भारत स्वतन्त्र हुआ है, दुनिया यह विचित्र तमाशा देख रही है कि अमेरिका जो औद्योगिक दुष्टि से सबसे विकसित देश है भारत जैसे कृषि प्रधान देश को खाद्यान्न दे रहा है जहाँ कृषि के अन्तर्गत

आये क्षेत्रफल के 75 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न की पैदावार होती है और जहाँ श्रमिक—बल में से 52.25 प्रतिशत लोग केवल खाद्यान्न की खेती में लगे हैं। जैसे—जैसे समय बीतता जाएगा, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में खाद्य पदार्थों की भूमिका का महत्व बढ़ता जाएगा। यह सम्भावना स्पष्ट दिखायी देती है कि खाद्य निर्यात करने वाले देश खाद्य—पदार्थों को आयात करने वाले देशों के विरुद्ध एक राजनीतिक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यदि भारत को जिन्दा रहना है और प्रगति करनी है तो उसे कृषि को सर्वप्रमुखता प्रदान करनी होगी।

खेतिहर संरचना

उत्पादन के तीन कारक हैं: भूमि, श्रम तथा पूँजी। इनमें से किसी एक या एक से अधिक कारकों में वृद्धि करके अथवा इन कारकों के प्रयोग के उपाय अथवा उपायों में सुधार करके कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि खेती के उपायों तथा प्रविधियों में नवीनता लायी जाय तो उत्पादन बढ़ सकता है। जहाँ तक भूमि का सम्बन्ध है, वह अत्यावश्यक कारक है लेकिन उसका क्षेत्रफल निर्धारित है, और मनुष्य चाहे जितना प्रयत्न कर ले उसे बदला नहीं जा सकता, न ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भूमि की उत्पादकता इस पर निर्भर है कि वह किसके पास है और वह उस पर कैसे काम करता है। खेतिहर स्वावलम्बी (खुद-मुख्तार) है, खेतों का सहकारीकरण या सामूहीकरण हो गया है, या फिर बहुत बड़े-बड़े सरकारी या निजी फार्म हैं—अर्थात् खेतिहर संरचना किस प्रकार की है?

हमारे खेतिहर संगठन के (वास्तव में, सारी अर्थव्यवस्था के) सम्भवतः चार उद्देश्य ही हो सकते हैं:

(क) सम्पत्ति का अधिकतम उत्पादन हो अर्थात् ग्रामीणी का उन्मूलन हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए जरूरी है कि (हमारे सामाजिक व आधिक मनोभावों में परिवर्तन के साथ—साथ) कृषि की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि जैसे—जैसे समय गुजरे खाद्यान्नों व कच्चे माल का अधिकाधिक उत्पादन हो सके।

(ख) रोज़गार की व्यवस्था की जाए। अन्तिम उद्देश्य यही है कि खेतों पर काम करने के लिए कम—से—कम लोग रहें ताकि सभ्य समाज के लिए आवश्यक औद्योगिक माल के उत्पादन और सेवाओं में अधिकाधिक काम करने के लिए उन्हें खेती से छुड़ाया जा सके। लेकिन जब देश में लाखों बेरोज़गार व अर्धरोज़गार व्यक्ति रोज़गार की तलाश में फिर रहे हों तो रोज़गार या पूर्ण हमें खेती की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो

प्रति एकड़ भूमि पर अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक लोगों को रोज़गार दे सके।

- (ग) सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण हो अथवा आय में अनुचित असमानता न हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भूमि के वर्तमान स्वामित्व व भावी उपार्जन पर अधिकतम सीमा लगा दी जाय और सम्भव हो तो न्यूनतम सीमा भी निर्धारित कर दी जाय।
- (घ) जिन्दगी के उस ढंग का प्रसार हो जो हमने अपने लिए चुना है— दूसरे शब्दों में, जनवादी प्रवृत्तियों को उभरने दिया जा सके व सुदृढ़ बनाया जा सके।

हमारा दावा है कि ऐसी व्यवस्था से ही हम इन चारों उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं जिसमें स्वावलम्बी (खुद-मुख्तार) खेतिहार अपनी छोटी-छोटी जोतों के मालिक हों और सेवा सहकारी समितियाँ उनको एक-दूसरे से जोड़ती हों। इसके लिए जरूरी है कि हर खेतिहार को उस भूमि पर जो उसके पास है स्वामित्व प्रदान किया जाए और उसे बेदखल किये जाने की चिन्ता न सताती रहे।

डब्लू० ए० लैडजिन्स्की भूमि सुधार व कृषि के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ हैं, विश्व बैंक के परामर्शदाता हैं और उन्हें जापान, फार्मूसा व दक्षिण वियतनाम का अनुभव है। उनका कहना है कि “जब तक वे व्यक्ति जो भूमि पर काम करते हैं, उसके मालिक न हों या कम-से-कम काश्तकार के रूप में अपने को पूरी तरह सुरक्षित अनुभव न करते हों, तब तक हर चीज महत्वहीन है। और यह हासिल करना सबसे कठिन काम है। उत्पादन बढ़ाने के लिए विज्ञान का प्रयोग करना अपेक्षाकृत सरल काम है लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब उसे भूमि में पूँजी लगाने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित किया जा सके—यह अभिप्रेरणा प्राप्त होंगी भूमि के साथ उसके सम्बन्ध से, राज्य द्वारा उसके साथ किये गये व्यवहार से, कृषि के प्रति राज्य के व्यवहार से।”

लगान पर ज़मींदार से भूमि लेकर काश्तकारी करने की व्यवस्था के स्थान पर खेतिहारों को स्वामित्व प्रदान करना आवश्यक है जिसका अर्थ है, ज़मींदारी व्यवस्था का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। भूमि जोतने वाले हर व्यक्ति को, चाहे मौजूदा कानून के अनुसार उसकी कुछ भी हैसियत है, स्थायी अधिकार दिये जाने चाहिए और राज्य से उसका सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। किसी भी मध्यवर्ती

या भूपति को खुद काश्त के नाम पर वर्तमान जोतने वालों से जमीन वापस लेने की इजाज़त न दी जाय और किसी भी खेतिहर को भारत की अर्थनीति में यह इजाज़त ना हो कि वह अपनी जोत को पट्टे पर दे सके—हाँ, अगर खेतिहर सरकारी सेना में है, विकृत मस्तिष्क का है, या अपंग है जिसकी वजह से वह स्वयं खेती नहीं कर सकता तो जरूर वह उसे पट्टे पर उठा सकता है।

यदि केरल, आंध्र, पश्चिमी बंगाल या बिहार में कम्युनिज्म ने—चाहे वह उदारवादी ढंग का हो चाहे उग्रवादी—सिर उठाया है, और अगर देश के कई भागों में हिंसा व असन्तोष फैला हुआ है, तो बहुत हद तक उसकी वजह यह है कि ज़मींदारी उन्मूलन के प्रश्न पर कांग्रेस के नेतृत्व के कथन व कार्यों में बहुत अन्तर रहा है। शायद और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सरकारी नीति और उसके कार्यान्वयन में इतना अन्तर हो जितना भूमि सुधार के मामले में। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सारे देश में शिकमी काश्तकारों और उन खेतिहरों को जो सचमुच खेती करते थे लेकिन ज़मींदारों व पटवारियों के लालच की वजह से ख़सरा—ख़तौनी में गैरकानूनी काविज दर्ज थे, बिना पूछताछ के बेदखल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में उनको स्थायी अधिकार दिये गये। यही नहीं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर और कहीं भी बटाईदारों को तथा ज़मींदारों की सीर या खुदकाश्त भूमि के शिकमी काश्तकारों को जोतदार नहीं तसलीम किया गया है जिसका मतलब है कि पहले की तरह आज भी वे ज़मींदार की मर्जी पर बेदखल किये जा सकते हैं। अधिकतर राज्यों में उन लोगों को भी, जिन्हें अंग्रेज़ी शासन—काल में वास्तविक जोतदार माना गया था, यह कहकर बेदखल कर दिया गया कि ज़मींदारों को खुदकाश्त के लिए अपनी भूमि वापस लेने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, अकेले महाराष्ट्र में 1948 में पहला भूमि सुधार कानून पास होते ही ज़मींदारों ने 16 लाख एकड़ भूमि किसानों से खुदकाश्त के नाम पर वापस ले ली जिसके फलस्वरूप राज्य भर में हर तीन में से दो 'संरक्षित' किसानों के हाथों से भूमि निकल गयी।

1963 में डब्लू ० ए० लंडजिन्स्की ने "भूमि व्यवस्था का कृषि उत्पादन पर प्रभाव" शीर्षक एक रिपोर्ट योजना आयोग के लिए तैयार की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि "वास्तव में, केवल उत्तर प्रदेश में ही एक बहुत सोचा—समझा व व्यापक कानून पास किया गया है और उसे असरदार ढंग से लागू किया गया है। वहाँ दसियों लाख काश्तकारों व

शिकमी काश्तकारों को मिलिक्यत दी गयी और उन लाखों काश्तकारों को जो बेदखल कर दिये गये थे उनके अधिकार वापस दिये गये।” लैडजिन्सकी ने अन्त में लिखा, “भारत में भूमि सुधार के कई अच्छे कानून बने लेकिन वे बेजान साबित हुए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसे कानून बने जिन पर साथ-साथ अमल हुआ और महत्वपूर्ण कामयाबियाँ मिलीं। इससे यही सबक सीखा जा सकता है कि अगर इच्छा हो तो भूमि-सुधार किये जा सकते हैं।”

भारत सरकार ने 1969 में “कृषि क्षेत्र में वर्तमान तनावों के कारण व उनका रूप” जानने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें देश के कुछ भागों में फैले असंतोष का अध्ययन किया गया था। उससे भी यही नतीजा निकलता है और उसकी पुष्टि होती है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट से जो बैंक की और से पेरिस में 17–18 जून 1971 को बुलायी गयी ‘एड-इण्डिया कंसोरशियम’ की बैठक में उपस्थित की गयी थी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार:

“असम, तेलंगाना (आंध्र), हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु में मध्यवर्ती जोतों व हितों के उन्मूलन के लिए अभी कानून बनने हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, सौराष्ट्र व तमिलनाडु में काश्तकारों का बटाईदार अभी तक आरक्षित हैं। हरियाणा व पंजाब में काश्तकारों को संरक्षण तो दिया गया है लेकिन ज़मींदारों को भूमि वापस लेने का अधिकार अभी तक है। बेदखली रोकने के लिए बने कानूनों का व्यापक उल्लंघन होता है।...

“आंध्र, हरियाणा, पंजाब व (छोटे काश्तकारों के लिए) जम्मू व कश्मीर, और तमिलनाडु में ज़मींदार को देय लगान या फसल का भाग ज्यादा है।”

विश्व बैंक की रिपोर्ट में चार कदम उठाने की सिफारिश की गयी थी: पहला, जोतों का ख़सरा—खतौनी तैयार किया जाय; दूसरा, नकद लगान इस तरह तय किया जाय कि मालगुज़ारी का बहुगुणांक हो; तीसरा, ज़मींदारों द्वारा खुद—काश्त के नाम पर भूमि वापस लेने का अधिकार या तो खत्म कर दिया जाय या वापस लेने की इजाज़त केवल विशेष स्थितियों में ही हो; चौथा, काश्तकारों द्वारा स्वेच्छा से अपनी जोत छोड़ने के लिए नियम बनाये जायें। रिपोर्ट में कहा गया था कि यह कदम नहीं उठाये गये तो वह समय तेजी से आ जायगा जब गाँवों

की ग्रीष्मी की समस्या से बचा नहीं जा सकेगा क्योंकि उसकी वजह से देश की स्थिरता पर असर पड़ेगा।

उत्पादन के तीन कारकों के सम्बन्ध में डब्लू० जे० स्विलमैन ने कहा है, “व्यापार में अधिकतम लाभ का सम्बन्ध उस कारक के अधिकतम लाभ से है जो उसे (व्यापार को) सीमित बनाता है। यदि भूमि सीमित करने वाला कारक है तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रति एकड़ अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यदि श्रम के कारण व्यापार सीमित होता है तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि श्रम की प्रति इकाई से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाय। इसी प्रकार, सीमित बनाने वाला कारक यदि वस्तुएँ हैं तो उद्देश्य होना चाहिए कि इन वस्तुओं की हर इकाई से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए।”¹

भारत में यह गुंजायश कम है कि गैरमजरुआ (बंजर) भूमि को तोड़कर या वहाँ नये लोगों को बसाकर कृषि का विस्तार किया जा सके। साथ ही, देश की जनसंख्या अधिक होने व निरन्तर बढ़ते जाने की वजह से श्रमिकों की कमी नहीं है—श्रमिकों की पूर्ति असीम है। पूँजी के उस अंश की भी कमी नहीं है जो अधिकतर संकरण शक्ति उपलब्ध करता है, जैसे खींचने वाले पशु, और उसकी कमी हो भी तो उसके स्थान पर सुधरे हुए उपकरणों या छोटे-छोटे यंत्रों से बिना कठिनाई के काम लिया जा सकता है। मतलब यह कि उत्पादन के तीनों कारकों में से केवल भूमि ही सीमित है।

इसलिए हमारी खेतिहार व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा भूमि का अधिक—से—अधिक उपयोग हो सके—जिसका अर्थ है कि भूमि प्रति एकड़ अधिक—से—अधिक उपज दे सके चाहे इतनी उपज श्रम व पूँजी के अधिकतम उपयोग के अनुरूप हो, चाहे न हो। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए वही अर्थव्यवस्था अच्छी है जिसमें हम भूमि से पूरा लाभ उठाने के लिए अधिक श्रम या पूँजी या दोनों का प्रयोग कर सकें—या, दूसरे शब्दों में, हम प्रति एकड़ अधिकाधिक उपज प्राप्त कर सकें।

स्पष्ट है कि हमारा उद्देश्य प्रति व्यक्ति अथवा प्रति खेतिहार श्रमिक अधिक—तम उत्पादन प्राप्त करना नहीं बल्कि प्रति एकड़ जितना सम्भव हो उतना ही ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम देश—भर में अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और ग्रीष्मी दूर कर सकते हैं।

इसके विपरीत, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया या न्यूजीलैण्ड ऐसे देश हैं जहाँ भूमि सीमित कारक नहीं है और श्रम का अपेक्षाकृत प्रभाव है। इन देशों के राष्ट्रीय हित में यह होगा कि प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के बजाय प्रति श्रमिक अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाय। ऐसे देशों में यह सम्भव है कि भूमि का अपव्यय हो, पर उससे नुकसान नहीं होगा।

दुनिया भर से जमा किये गये आंकड़ों से और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में किये गये कृषि व्यवस्था—अध्ययनों से मालूम होता है कि सिद्धान्त के अनुसार तो खेत के आकार का प्रति एकड़ उत्पादकता से कोई सम्बन्ध नहीं लेकिन व्यवहार में विशेष परिस्थितियों में जैसे—जैसे खेत का आकार बड़ा होता जाता है उसकी प्रति एकड़ उत्पादकता घटती जाती है। इसका कारण यह है कि कृषि उत्पादन एक जीवन—क्रिया है और हर जीवित चीज की तरह कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि उसकी ओर कितना ध्यान दिया जा रहा है, उससे कितना लगाव है। जितना ज्यादा खेत का आकार बड़ा होगा उतना ही प्रति एकड़ उस पर कम श्रम व्यय होगा और प्रति एकड़ कम देखभाल होगी।

यदि एक सौ एकड़ के फार्म पर चार से अधिक आदमी काम करें तो कम उत्पादन होगा — जितने अधिक आदमी काम करेंगे उतना ही प्रति आदमी कम उत्पादन होगा। (पृष्ठ 26 पर आँकड़े देखिये)। ३०० एल्सेर पैण्डेल ने कहा है कि उन्होंने ऐसी जमीन चुनी जो बहुत अच्छी नहीं थी और जहाँ खेतिहार बहुत कम औजार प्रयोग करते थे। अगर सौ एकड़ के फार्म पर अठारह व्यक्तियों का निर्वाह होना है तो प्रति एकड़ उत्पादन पर भोजारों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रति व्यक्ति जितनी कम भूमि होगी उतना ही कम उसे औजारों के प्रयोग से लाभ होगा।

जान लोसिंग बक ने एक पुस्तक¹ में चीन के फार्मों के एक व्यापक अध्ययन के परिणाम दिये हैं जिसके आँकड़े पृष्ठ 27 पर दिये जा रहे हैं।

ये आँकड़े खेती में ह्यासमान प्रतिफल का प्रमाण हैं। दोनों तालिकाएं एक—सी हैं लेकिन चीन के फार्मों के आँकड़े निर्वाह—स्तर की स्थिति तथा ह्यासमान प्रतिफल की प्रक्रिया का उत्पन्न होना दिखाते हैं।

1 'लैण्ड यूटिलाइजेशन इन चाइना', यूनिवर्सटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1937

लेकिन फार्म का आकार 2.6 एकड़ से कम होने पर उत्पादन कम होने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। सम्भव है कि खेत का आकार बहुत छोटा होने का खेतिहरों के मनोभाव पर प्रभाव पड़ा है।

ये आँकड़े हर देश के लिए सही होंगे। छोटे खेतों पर प्रति एकड़ उपज बड़े फार्मों से अधिक होती है। अगर भारत जैसे घने बसे देश में सवाल यह हो कि सौ एकड़ का एक फार्म बनाया जाय या ढाई—ढाई एकड़ के चालीस खेत तो देश के लिए पूँजीगत लागत ढाई—ढाई एकड़ के चालीस खेत बनाने में कम पड़ेगी। छोटे खेतों के पक्ष में एक और दलील दी जा सकती है। भारत के सामने बेरोज़गारी का सवाल है। इसलिए राष्ट्रीय हित की मांग है कि खेतिहर व्यवस्था ऐसी हो जिसके द्वारा भूमि से, जो हमारे यहाँ सीमित कारक है, अधिक—तम उपज लेने के साथ—साथ गाँव वालों को अधिकतम रोज़गार मुहैया किया जा सके।

बड़े फार्मों के प्रबन्ध में अपव्यय होता है और किराये के मज़दूरों की देख—भाल करना मुश्किल होता है जिसकी वजह से बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगता है और बड़ी मशीनें मज़दूरों का स्थान ले लेती हैं। इसके विपरीत जोत छोटी हो तो मशीन का प्रयोग कम हो पायेगा जिसकी वजह से अधिक आदमियों को काम मिलेगा। आँकड़ों से मालूम हो जायगा कि उन देशों में जहाँ छोटी जोतें हैं, प्रति सौ एकड़ उन देशों की अपेक्षा अधिक लोग खेतों में काम करते हैं जहाँ जोतें बड़ी हैं। उदाहरण के लिए जापान, तायवान व दक्षिण कोरिया में औसत जोत 2.92 एकड़, 3.14 एकड़ व 5.12 एकड़ है और वहाँ ऐसी कृषि योग्य भूमि के जिस पर बराबर पैदावार होती है, हर सौ एकड़ पर क्रमशः 87, 79 और 89 व्यक्ति काम करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका, मेक्सिको व ब्राज़िल में जहाँ औसत आराजी 302.65 एकड़, 305.93 एकड़ व 178.95 एकड़ है, प्रति सौ एकड़ पर क्रमशः 1, 12 व 17 व्यक्ति काम करते हैं।¹

1 'एफ—ए—ओ ओडवशन ईयर बुक्स', 1966 और 1968

हासमान प्रतिफल के नियम का उदाहरण

| खेती का काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या | कुल व्यक्तियों द्वारा कितने भूमि का को काम में लिया गया | (बुशल्स में) सौ एकड़ भूमि का कुल उत्पादन | (बुशल्स में) क्रमानुसार उस व्यक्ति के कारण हुआ ¹ उत्पादन जिस पर ² पहली बार विचार किया गया | (बुशल्स में) प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन | (बुशल्स में) प्रति एकड़ उत्पादन |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 100 | 200 | 200 | 200.00 | 2.00 |
| 2 | 100 | 500 | 300 | 250.00 | 5.00 |
| 3 | 100 | 900 | 400 | 300.00 | 9.00 |
| 4 | 100 | 1,250 | 350 | 312.50 | 12.50 |
| 5 | 100 | 1,540 | 290 | 308.00 | 15.40 |
| 6 | 100 | 1,730 | 240 | 296.67 | 17.80 |
| 7 | 100 | 1,980 | 200 | 282.85 | 19.80 |
| 8 | 100 | 2,150 | 170 | 268.75 | 21.50 |
| 9 | 100 | 2,300 | 150 | 255.55 | 23.00 |
| 10 | 100 | 2,440 | 140 | 244.00 | 24.40 |
| 11 | 100 | 2,575 | 135 | 234.09 | 25.75 |
| 12 | 100 | 2,705 | 130 | 225.42 | 27.05 |
| 13 | 100 | 2,830 | 125 | 217.69 | 28.30 |
| 14 | 100 | 2,950 | 120 | 210.71 | 29.50 |
| 15 | 100 | 3,067 | 117 | 204.47 | 30.67 |
| 16 | 100 | 3,131 | 114 | 198.81 | 31.81 |
| 17 | 100 | 3,292 | 111 | 193.65 | 32.92 |
| 18 | 100 | 3,400 | 108 | 188.88 | 34.00 |

स्रोत: एल्मेर पैण्डेल कृत “पापुलेशन इन द लूज”, न्यूयार्क, 1952

चीन के फ़ार्मों का उत्पादन

| फ़ार्म ग्रुप | प्रति एक सौ फ़सल – एकड़ के बराबर व्यक्ति | प्रति व्यक्ति के बराबर फ़सल – एकड़ | खाद्यान्न को बुशल्स में तोला जाय तो प्रति व्यक्ति के बराबर उत्पादन | खाद्यान्न को बुशल्स में तोला जाय तो प्रति एकड़ के बराबर उत्पादन |
|--------------|--|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| क | 25.00 | 4.0 | 76.1 | 19.0 |
| ख | 31.25 | 3.2 | 62.0 | 19.4 |
| ग | 38.46 | 2.6 | 53.5 | 20.6 |
| घ | 47.62 | 2.1 | 43.1 | 20.5 |
| च | 66.67 | 1.5 | 30.6 | 20.4 |

तीसरे, कृषि की ऐसी व्यवस्था में जहाँ खेत जोतने वाला भूमि का स्वयं स्वामी है। कृषि स्वामित्व इतनी तीव्रता से समानता के समाज को संगठित करता है कि उसमें सम्पत्ति का केन्द्रीकरण नहीं हो सकता और इसलिए धन तथा आय की असमानता अधिक नहीं होगी।

अन्त में चाहे कृषक का अवकाश हो, कृषि का मौसम हो या न हो, वह तो बैलों की जोड़ी या छोटी मशीन से एकान्त प्रकृति में अपने काम में लगा रहता है। उसे न तो किसी को आदेश देने की आवश्यकता होती है और न किसी से आदेश लेने की। यह व्यवस्था राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में स्वतंत्र दृष्टिकोण तथा कार्य वाली जनसंख्या का निर्माण करती है। इस प्रकार कृषक स्वामित्व जनतंत्र के सबसे बड़े प्राचीर के रूप में उभरता है। अंततः निष्कर्ष यह हुआ कि कृषि स्वामित्व से केवल धन में ही अधिक वृद्धि नहीं होगी अपितु इससे अधिक रोज़गार मिलेगा तथा भूमि से भयावह असमानताएं भी दूर हो जायेंगी और यही जनतंत्र का सबसे अधिक सुरक्षित आधार सिद्ध होगा।

यह सत्य है कि कृषकों को बड़े कठोर परिश्रम से अपनी आजीविका कमानी पड़ती है, और उनमें से बहुत कम कुछ बचा कर जोड़ पाते हैं। यद्यपि वे परिवर्तन विरोधी होते हैं किन्तु प्रतिक्रियावादी नहीं। वे निजी सम्पत्ति या अर्थव्यवस्था के पक्ष में हो सकते हैं किन्तु वे शोषक कदापि नहीं हो सकते।

इस प्रकार की भूमि व्यवस्था व खेतिहार संरचना ही प्रकृति की देन के अनुकूल होगी और जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं, अर्थात् जनतन्त्र, उसके भी अनुकूल होगी। लेकिन मार्क्सवादी साहित्य में बखाने गये बड़े फार्मों के दिखावटी लाभ कम्प्युनिस्टों व उनके सहयोगियों के दिमागों में ऐसे समा गये हैं। कि वे गाँवों व किसानों के बारे में कुछ न जानते हुए भी भूमि सुधार का अर्थ सहकारी खेती ही लगाते हैं। सहकारिता के अन्तर्गत छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर एक बड़ा फार्म बना दिया जायगा जिस पर सब मिलकर काम करेंगे। ऐसे फार्म पर अनिवार्य रूप से बड़ी मशीनों की आवश्यकता होगी। किसानों व देश के इन शुभचिन्तकों का मत है कि मशीनों के ही उपयोग से रहस्यमय ढंग से उत्पादन बढ़ जायगा। यह भलेमानुस सोचते-समझते तो हैं नहीं और बजाय इसके कि भारत की छोटी जोतों के अनुरूप कृषि में उपयोग होने वाली मशीनों और उनके प्रयोग में हेरफेर करें, यह लोग बड़े संयुक्त फार्म बनाकर जोतों के आकार को ही मशीनों की जरूरतों के अनुरूप बदलना चाहते हैं।

यदि बड़ी मशीनों से ही कृषि उत्पादन बढ़ता होता तो अमेरिका व सोवियत रूस में जहाँ फार्मों पर बड़ी मशीनों से ही काम होता है, प्रति एकड़ उत्पादन पश्चिमी यूरोप व जापान से, जहाँ उनकी अपेक्षा बहुत कम मशीनों का इस्तेमाल होता है, कम न होता। अगले पृष्ठ पर दिये गये आँकड़ों से हमें मालूम होता है कि जापान में जहाँ प्रति खेतिहर परिवार औसत जोत सबसे कम अर्थात् तीन एकड़ है, भूमि की प्रति इकाई उत्पादन इंग्लैण्ड का चार गुना, अमेरिका का दस गुना और सोवियत रूस का सोलह गुना है। यह प्रसंगत है कि फ्रांस, इंग्लैण्ड व अमेरिका में श्रम की प्रति इकाई उत्पादन जापान की अपेक्षा बहुत अधिक है। कृषि का मशीनीकरण श्रम की प्रति इकाई उत्पादन तो जरूर बढ़ता है लेकिन भूमि की प्रति इकाई उत्पादन नहीं बढ़ता — भारत जैसे देशों के लिए भूमि की प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

कृषि तो जैव प्रक्रिया है। उसमें समय की बचत और छोटे-बड़े का फ़र्क सम्भव नहीं है। पौधों को बढ़ने के लिए उतनी ही जगह चाहिए और फ़सल को पकने के लिए उतना ही समय चाहिए, चाहे खेत छोटा हो चाहे फार्म बड़ा हो। और ऐसी कोई वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी नहीं है जो बड़े फार्म पर तो काम श्रा सके, छोटे खेत पर बेकार हो। खेती में काम (जोत) का क्षेत्र बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ता, यह तो दूसरे धन्धों में

होता है। इसके विपरीत, साझे की खेती में अभिप्रेरण दुर्बल हो जाता है, इसलिए उत्पादन कम हो जाता है।

कृषि के उत्पादन व उत्पादकता का तुलनात्मक स्तर (1965 में)

| देश | कृषि उत्पादन में कुल मूल्य— वृद्धि | कुल मूल्य वृद्धि: प्रति व्यक्ति जो खेती में लगा है | कुल मूल्य वृद्धि: प्रति पुरुष जो खेती में लगा है | कुल मूल्य—वृद्धि: कृषि-योग्य भूमि के प्रति हैक्टर |
|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| लाख डालरों में अमरीकी कीमतों के आधार पर | | | | |
| फ्रांस | 50,000 | 1,573 | 2,334 | 154 |
| जर्मनी (पश्चिमी) | 24,820 | 837 | 1,321 | 160 |
| इटली | 42,970 | 867 | 1,268 | 203 |
| जापान | 54,680 | 451 | 948 | 523 |
| इंग्लैण्ड | 28,490 | 3,223 | 3,686 | 132 |
| अमेरिका | 2,35,870 | 5,429 | 6,678 | 50 |

स्रोत: एंगस मैडीसन कृत इकनॉमिक ओग्रेस इन जापान एण्ड यू० एस० एस० आर०, जार्ज एलन एण्ड अन्चिन लिं०, लन्दन, 1969, पृ० 65

जहाँ तक बड़े सहकारी फार्म का सवाल है, मानव स्वभाव तो ऐसा है कि एक माँ के जने दो भाई भी परिवार के मुखिया के मरने पर अलग हो जाते हैं। इसलिए यह विचार कपोल कल्पना है कि सहकारी फार्म बनने पर मामूली गृहस्थ यकायक पड़ोसियों तथा गाँव के अन्य लोगों के जिनसे उसका वास्ता नहीं, हितों को अपने हित समझने लगेगा। सहकारी फार्म ऐसे लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है जिनमें न कोई पारिवारिक, न सामाजिक रिश्ता है—वे हिन्दू होंगे, मुसलमान होंगे, ब्राह्मण होंगे, हरिजन होंगे, भूस्वामी होंगे, पट्टेदार होंगे, खेतिहर होंगे, गैर-खेती वाले होंगे। यदि मनुष्य उस ऊंचाई तक पहुँच जाय जहाँ वह

हर व्यक्ति की भलाई में ही अपनी भलाई समझने लगे तो वह गृहस्थ ही नहीं रहेगा; परिवार, भाषा, धर्म व देश के बन्धन उसके लिए निरर्थक हो जायेंगे। ऐसी आदर्श स्थिति में तो आयोजन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आर्थिक नियम बेकार हो जायेंगे और प्रशासन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। माँ अपने बच्चे को पालती—पोसती है क्योंकि वह स्वार्थी होती है—इसलिए नहीं कि उसे अपने बच्चों में दुनिया—भर के बच्चों की शक्ति दिखायी देती है। अपने जीवन—काल में ही स्वर्णयुग तक पहुँचने के अपने उत्साह में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि मनुष्य केवल तर्क के सहारे चलता जीव नहीं है। वह अपने दिमाग की अपेक्षा दिल से ज़्यादा काम लेता है और अभी तक दिल उतना आगे नहीं बढ़ा है जितना दिमाग। यह भी संदेहजनक है कि दिल उतना आगे बढ़ पायेगा जितना दिमाग जिसने दूरी को कम कर दिया है और दुनिया को उससे कहीं छोटा बना दिया है जितनी वह हमारे पूर्वजों के जमाने में थी। विज्ञान की प्रगति और बाह्य जगत पर नियन्त्रण के प्रयास ऐसी जगह तक नहीं पहुँच सके हैं कि अहं के आन्तरिक संसार को नियन्त्रित कर सकें और जब तक यह नहीं होता तब तक आर्थिक साझेदारी न सुचारू रूप से चल सकती है और न सफल हो सकती है। मनुष्य आज भी उतना ही स्वार्थी व लालची, घमण्डी व दूसरों से जलने वाला तथा महत्वाकांक्षी हैं जितना महाभारत के दिनों में था।

फ़ार्म का आदर्श आकार

सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को एक छोटा खेत रखने की इजाज़त दी जाय तो उसका क्षेत्रफल क्या हो या किस सीमा के अन्दर वह खेत रहे? सिद्धान्त व न्याय दोनों का तकाजा है कि किसी भी देश में भूमि रखने या बांटने का आधार यह होना चाहिए कि किसी आदमी के पास उतनी से अधिक भूमि न हो जितनी का प्रबन्ध वह अपने देश में प्रचलित खेती के तरीके के अनुसार स्वयं कर सके और किसी आदमी के पास उतनी से कम भूमि न हो जितनी की उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, जोत की ऊपरी सीमा प्रति व्यक्ति श्रम क्षमता के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए और सीमा भूमि की एक इकाई की उत्पादन क्षमता के आधार पर। ऊपर की न्यूनतम तालिकाओं में दिये गये आंकड़ों से मालूम होता है कि जहाँ खेती मशीनों से नहीं बल्कि मनुष्य व पशुओं की शक्ति से होती है (और हमें अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान

में रखकर इसी प्रकार की खेती के बारे में सोचना चाहिए) वहाँ एक निश्चित क्षेत्रफल के भूखण्ड पर काम करने वाले आदमियों की संख्या जैसे—जैसे बढ़ती जाती है — अर्थात् जैसे—जैसे प्रति व्यक्ति भूमि कम होती जाती है — वैसे—वैसे ही प्रति एकड़ उत्पादन इस तेजी से बढ़ता जाता है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ने लगता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब प्रति व्यक्ति भूमि 33.3 एकड़ व 25 एकड़ के बीच रह जाती है—ठीक—ठीक कहा जाय तो 27.5 एकड़ रह जाती है। वहाँ पहुँचकर “ग्यासमान प्रतिफल का नियम” काम करने लगता है जिसका मतलब है कि 27.5 एकड़ से भूमि जितनी कम होती जाती है प्रति व्यक्ति उत्पादन गिरने लगता है। भूमि कम होती जाती है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो गिरता है पर प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ता रहता है और यह सिलसिला तब तक चलता है जब उस व्यक्ति के पास 2.6 एकड़ व 2.1 एकड़ के बीच (या औसतन 2.5 एकड़) भूमि रह जाती है। उससे कम भूमि होने पर खेतिहर अपनी पूरी श्रमशक्ति का उपयोग नहीं कर पाता। इससे यह नतीजा निकलता है कि अगर एक व्यक्ति के पास 27.5 एकड़ से अधिक भूमि हो तो श्रम की कमी की वजह से भूमि का पूरा उपयोग नहीं हो सकेगा और उसके पास 2.5 एकड़ से कम हो तो भूमि की कमी की वजह से वह पूरा काम नहीं कर पायेगा। इन दोनों स्तरों के बीच किसी एक व्यक्ति के पास जितनी अधिक भूमि होगी उसके लिए उतनी ही अच्छी होगी क्योंकि हर नये एकड़ के साथ उसका अपना (अर्थात् व्यक्ति का) उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों स्तरों के बीच उसके पास जितनी कम भूमि होगी उतनी ही वह स्थिति देश के लिए लाभदायक होगी क्योंकि उससे ली गयी भूमि के हर एकड़ की उत्पादकता बढ़ने से देश का कुल उत्पादन बढ़ेगा।

इसलिए हमारे देश में — (क) जहाँ श्रम की नहीं भूमि की कमी है, (ख) जहाँ आज एक औसत खेतिहर परिवार के पास (जिसमें आमतौर से दो कमेरे होते हैं) कोई 6.25 एकड़ के लगभग भूमि है; (ग) जहाँ जनसंख्या बढ़ने की रफ़तार बहुत अधिक है — लगभग 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष; और (घ) जहाँ औद्योगीकरण अथवा कृषितर विकास इतनी धीमी रफ़तार से हो रहा है कि खेतिहर जनसंख्या में भूमि—मनुष्य अनुपात कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है—जनहित में यह है कि:

(अ) भूमि के वर्तमान धारणों के लिए 27.5 एकड़ प्रति बालिग व्यक्ति (जिसमें उसकी पत्नी व नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं) सीमा लगा दी जाय और हदबन्दी के बाद जो भूमि बचे उसे

उन लोगों को बाँटा जाय जिनके पास भूमि नहीं है, या है तो 2.5 एकड़ से कम है।

- (ब) न्यूनतम सीमा 2.5 एकड़ निश्चित की जाय, जिसका अर्थ है कि भविष्य के लिए भूमि हस्तान्तरण व विभाजन सम्बन्धी कानूनों को ऐसे संशोधित किया जाय कि प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो सके।
- (ल) भूमि के भावी अर्जन को इस प्रकार नियन्त्रित किया जाय कि कोई व्यक्ति कुल मिलाकर (वर्तमान धारण व भावी अर्जन मिलाकर) निर्धारित सीमा से अधिक न रख सके और यह सीमा उच्चतम व न्यूनतम सीमाओं के बीच कहीं भी निश्चित की जाय।

उच्चतम व न्यूनतम सीमाएं हर क्षेत्र के लिए अलग—अलग हो सकती हैं। उनके निर्धारण में ऐसे तत्त्वों को ध्यान में रखना होगा जैसे उस क्षेत्र में खेतिहार जनसंख्या में भूमि मनुष्य अनुपात या वहाँ की भूमि की उत्पादकता। उदाहरण के लिए, रेतीले क्षेत्र में उच्चतम सीमा 25 एकड़ व न्यूनतम 5 एकड़ हो सकती है लेकिन आबपाशी वाले क्षेत्र में 12.5 एकड़ व 2.5 एकड़ काफी होंगी।

भूमि पुर्णवत्तरण

भूमि बर्बाद होने वाली चीज नहीं है। इसलिए जो लोग उस पर मेहनत करते हैं उनको सुरक्षा की भावना रहती है। इस प्रकार की सुरक्षा की अनुभूति और किसी रोज़गार से प्राप्त नहीं होती। भूमि कभी किसी को पूरी तरह निराश नहीं करती। यह आशा सदा बनी रहती है कि इसी से खुशहाली आयेगी, और अक्सर यह आशा पूरी भी होती है। इसलिए यह समझ में आने वाली बात है कि क्यों हमारे देश में भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए काफी शोरगुल ही नहीं, छीना-झपटी व भगदड़—सी रहती है।

हमारे देश में कमाने वाले पुरुषों में से 67.4 प्रतिशत पुरुष खेतों में काम करते हैं, उनमें से 46.35 प्रतिशत ऐसे खेतिहार हैं जिनको स्वामित्व व धारण के अधिकार प्राप्त हैं और शेष 21.05 प्रतिशत खेतिहार मजदूर हैं जिनको भूमि पर न स्वामित्व, न धारण और न कोई अधिकार प्राप्त हैं। जहाँ तक भू—स्वामियों के पास भूमि में असमानता का प्रश्न है, हम

पाठकों का ध्यान भारत सरकार की 1970–71 की कृषि संगणना की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करेंगे। उससे पाठकों को मालूम होगा कि एक ओर तो 50.6 प्रतिशत भू—स्वामियों के पास 1970–71 में देश की कुल भूमि की केवल 9 प्रतिशत भूमि थी दूसरी ओर केवल 39 प्रतिशत भू—स्वामियों के अधिकार में 30.9 प्रतिशत भूमि थी।

खेतों के छोटे आकार के पक्ष में दो दलीलों पर बल देते हुए कृषि व भूमि—सुधार आयुक्त पी० एस० अपू ने भारत सरकार को अप्रैल 1971 में जोतों की हदबन्दी पर अपनी रिपोर्ट में लिखा था:

“एक मत यह है कि जोतों की हदबन्दी करने तथा (हदबन्दी के बाद) अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण करने से भारत जैसे अधिक आबादी के दबाव वाले व उत्पादक रोज़गारों के अपर्याप्त अवसरों वाले देशों में कुल कृषि उत्पादन बढ़ने व उपलब्ध श्रमिक बल का अधिक उपयोग किये जाने की सम्भावना है। यह दोनों नतीजे इसलिए निकल सकते हैं कि बड़ी जोतों के स्वामी आमतौर से भाड़े के मज़दूरों पर निर्भर रहते हैं और उतने ही मज़दूरों को काम पर लगाते हैं जो उनको (मज़दूरों को) दी जाने वाली मज़दूरी से कुछ ज़्यादा उत्पादन कर सकें। लेकिन इस तरह का विचार छोटी जोत वालों को नहीं रोकता। छोटी जोतों पर तो घर के ही लोग मेहनत करते हैं। क्योंकि और किसी रोज़गार की आशा नहीं होती इसलिए घरवाले इतना काम करते हैं जो उनका उत्पादन मज़दूरी से बहुत अधिक होता है। सच तो यह है कि जब तक अधिक उत्पादन की आशा रहती है तब तक घरवाले काम करते ही रहते हैं। इसलिए छोटी जोतों पर प्रकृष्ट खेती होगी जिससे कुल उत्पादन बढ़ेगा और साथ—साथ उपलब्ध श्रमिक शक्ति का अधिक प्रयोग होगा।”

अक्सर यह कहा जाता है कि आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय अथवा अधिकाधिक आर्थिक समानता परस्पर विरोधी उद्देश्य हैं। लेकिन यह भ्रामक धारणा है। कम—से—कम कृषि उत्पादन के क्षेत्र में यह धारणा निराधार है। बात उल्टी है। जैसा हम देख चुके हैं, भूमि के बँटवारे में अधिकाधिक समानता से गाँवों में अधिकाधिक आर्थिक विकास होगा।

केरल, पश्चिम बंगाल व आन्ध्र प्रदेश के अलावा कम्युनिज्म ने बिहार में व इधर तमिलनाडु में भी सिर उठाया है। इसकी कुछ हद तक वजह नीचे के आँकड़ों से मालूम हो जायगी जिनसे पता चलता है कि इन

प्रदेशों में भूस्वामियों के अनुपात में खेतिहार मजदूरों की संख्या अधिक है। इसलिए जिनके पास भूमि नहीं है उन्होंने यह सही मांग उठायी कि भूमि का पुनर्वितरण हो और राजनीतिक नेतृत्व ने मांग मान ली।

| राज्य | प्रतिशत | राज्य | प्रतिशत |
|---------------|---------|--------------|---------|
| आन्ध्र प्रदेश | 72.93 | मैसूर | 46.18 |
| असम | 16.50 | उड़ीसा | 47.52 |
| बिहार | 69.82 | पंजाब | 46.30 |
| गुजरात | 33.66 | राजस्थान | 11.55 |
| हरियाणा | 31.62 | तमिलनाडु | 69.33 |
| केरल | 113.65 | उत्तर प्रदेश | 28.64 |
| मध्य प्रदेश | 33.82 | पश्चिम बंगाल | 73.00 |
| महाराष्ट्र | 59.41 | | |

स्रोत: 1971 की जनगणना का पेपर I

भारत सरकार की 1970–71 की कृषि संगणना की रिपोर्ट के अनुसार यदि सारे देश में 10 हैक्टर अथवा 25 एकड़ पर जोतों की हदबन्दी की जाती तो उस साल भी 86.70 लाख हैक्टर अथवा 216.75 लाख एकड़ ऐसी भूमि मिल सकती थी जिसे तभी, 1970–71 में भूमिहीनों को बांटा जा सकता था। 86.70 लाख हैक्टर अथवा 216.75 लाख एकड़ निकालने से पहले यह हिसाब लगा लिया गया था कि बड़ी जोतों में 10 प्रतिशत भूमि बंजर होती है और आधी जोतें ऐसी होंगी जो मिल्कियत की साझेदारी की वजह से हदबन्दी से बच जातीं। लेकिन हुआ यह कि केवल कुछ लाख एकड़ भूमि ही अतिरिक्त निकली।

सरकारी आकड़ों के अनुसार 9 जुलाई, 1976 को 43,97,500 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अनुमान लगाया गया था। लेकिन केवल 20,25,600 एकड़ भूमि ही अतिरिक्त घोषित की गयी। इसमें से भी केवल 10,22,000 एकड़ भूमि को सरकार ने अपने हाथ में लिया। इस भूमि में से भी 6,94,500 एकड़ भूमि 3,54,000 व्यक्तियों को वितरित की गयी। भूमि पाने वालों में 1,62,000 व्यक्ति अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के थे जिन्हें कुल मिलाकर 1,97,900 एकड़ भूमि मिली।

हदबन्दी व पुनर्वितरण के कार्यक्रम की जो भी उपयोगिता या सम्भावनीयता रही हो वह पहले तो शासक दल की सत्ता—संरचना के

कारण और फिर उसकी अक्षमता के कारण बेकार हो गयी। लैडजिन्स्की ने योजना आयोग को एक रिपोर्ट में लिखा है:

“हदबन्दी को लेकर चल रहे विवाद के सम्बन्ध में यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय व राज्य स्तरों पर धनी व सम्पन्न जोतदारों की बहुत चलती है, खासतौर से चुनाव के दिनों में। यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन पर हदबन्दी का असर पड़ेगा, फिर भी स्थानीय सत्ता केन्द्रों पर उनका प्रभाव बहुत अधिक है... तथाकथित ‘वोट-बैंक’ उन लोगों के ही अधीन हैं जिसका प्रमाण यह है कि पंजाब विधान सभा में 64 सदस्यों में से 45 ऐसे हैं जो बड़े जोतदार माने जाते हैं और हरियाणा में 52 में से 30 सदस्य इसी श्रेणी के हैं। मध्य प्रदेश में 220 कांग्रेस विधायिकों में से 96 के बारे में कहा जाता है कि उनके पास घोषित सीमा से अधिक भूमि है। कई अन्य राज्यों में भी लगभग यही अनुपात मिलेगा।”

योजना आयोग ने 1972 में भूमि सुधार आयुक्त पी० एस० अप्पू की अध्यक्षता में इसलिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया कि वह पिछली दो योजनाओं के दौरान भूमि सुधारों का विवेचनात्मक मूल्यांकन कर सके। वह दल भी इसी नतीजे पर पहुंचा और उसने सरकार को चेतावनी दी कि “अपेक्षित राजनीतिक इच्छा के प्रभाव में भूमि सुधार के कार्य में कोई प्रगति नहीं होगी।” (रिपोर्ट: मार्च, 1973)

कांग्रेस के नेता 1950 से ढोल पीट रहे हैं कि गाँव के ग्रामीणों व भूमिहीनों की समस्या का एक मात्र हल जोतों की हदबन्दी है जिससे बड़े जोतदार होशियार हो गये। नतीजा यह हुआ कि जब तक इस सम्बन्ध में कानून बनते व लागू किये जाते तब तक बड़े जोतदारों ने बहुत कुछ अपनी अतिरिक्त भूमि को या तो कुछ ले-देकर अजनबियों के नाम हस्तान्तरित कर दिया, या बेनामी हस्तांतरण कर दिया, या अपने नातेदारों के नाम फर्जी बँटवारा कर दिया।

जो भी हो, यह विश्वास भ्रामक सिद्ध हुआ कि हदबन्दी के बाद मिली अतिरिक्त भूमि को हरिजनों, भूमिहीनों व छोटे-छोटे खेतिहारों को बांटकर ग्रामीण समाज की ग्रामीणी को प्रचुर मात्रा में दूर किया जा सकता है। चाहे जितनी कम सीमा निर्धारित की जाय, पुनर्वितरण के लिए जो भूमि उपलब्ध होगी वह इतनी थोड़ी होगी कि सभी अथवा उनके पर्याप्त भाग की जरूरतों के लिए पूरी नहीं होगी।

न केवल खेतिहर मजदूरों बल्कि करोड़ों बेरोज़गार या अल्परोज़गार वाले लोगों की आर्थिक समस्या का अन्तिम हल तो मोटे तौर पर गैर-कृषि साधनों के विकास पर निर्भर है और यह विकास कृषि के उत्पादन को बढ़ाकर तथा राष्ट्रीय मनोभाव को बदल कर ही किया जा सकता है। भूमि के पुनर्वितरण से हमें समस्या का हल ढूँढ़ने के लिए समय भले ही मिल जाय लेकिन पुनर्वितरण के झामेले में पड़कर रोग की वास्तविक चिकित्सा की ओर से हमें ध्यान नहीं हटाना चाहिए।

जनता पार्टी व सरकार को ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि वे सभी जो बेरोज़गार हैं, अल्परोज़गार वाले हैं, खेतिहर मज़दूर हैं, छोटी-छोटी जोतों वाले हैं—और पढ़े-लिखे बेरोज़गार भी—कुटीर व लघु उद्योगों तथा अन्य छोटे कृषितर उद्यमों की ओर आकर्षित हो सकें।

चकबन्दी व सेवा सहकारिता

सहकारी या किसी अन्य प्रकार की साझे की खेती को यदि छोड़ दिया जाय तो खेतिहर संगठन के क्षेत्र में केवल एक ही काम करना बाकी रह जाता है अर्थात् जोतों की चकबन्दी। इस पर विचार करने और काम करने की आवश्यकता है। हमें यहां चकबन्दी के पक्ष में कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में इतना कहना ही काफ़ी है कि बिखरी हुई जोतों का एक चक बना देने से उत्पादन के तीनों कारकों अर्थात् भूमि, श्रम व पूँजी का कारण ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

चकबन्दी से केवल बिखरी हुई जोतों की समस्या हल होती है। यह सीमान्त (छोटी) या प्रलाभकर (धाटे की) जोतों की समस्या का हल नहीं है। जैसे—जैसे समय बीतता जाता है और कृषितर उद्यमों का अभाव बना रहता है, अलाभकर जोतों की संख्या बढ़ती जाती है—इन जोतों पर एक औसत आकार के परिवार के लिए पूरा काम नहीं होता और ये जोतें एक परिवार को सुविधापूर्वक रहने के साधन तो दूर रहे, पेट भर खाना व तन ढकने को पूरा कपड़ा भी नहीं दे पाती हैं।

यह पहले भी कहा जा चुका है कि खेतों के स्वामित्व को साझे की खेती में बदलना ऐसा संगठनात्मक परिवर्तन है जिसका हर जगह खेतिहर विरोध करते हैं। साझे की खेती से न उत्पादन बढ़ता है, न बेरोज़गारी घटती है और न जनतन्त्रीय व्यवहार सुदृढ़ होता है। और फिर ऐसे तकनीकी सुधार व सुविधाएँ हैं जिनका खेतिहर स्वागत

करेंगे—जैसे सिंचाई, पानी की व्यवस्था, अच्छा खाद, उन्नत बीज, कीटाणुनाशक दवाएँ और आमतौर से खेती के अच्छे उपाय। इनसे उत्पादन बढ़ता है और खेतिहर की आय भी। इनको आसानी से छोटी और बड़ी जोतों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सुविधाओं के प्रयोग के लिए बड़े पैमाने के फार्म होना जरूरी नहीं और खेत छोटा हो तो भी तकनीकी प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ती।

हमें केवल इतना करने की जरूरत है कि निजी स्वामित्व व स्वयं भूमि के उपयोग की अभिप्रेरणाओं को बड़े फार्म के लाभों के साथ जोड़ दें। हमारे देश में जोतें छोटी हैं और छोटी रहेंगी। सहकारिता के सिद्धान्त से ही उनकी समस्या हल हो सकती है। सहकारिता का अर्थ है अन्यथा स्वतन्त्र इकाइयों का घनिष्ठ एका-विभिन्न स्वतन्त्र जोतों का केवल एक साथ जमा किया जाना ताकि उस हानि से बचा जा सके जो अलग व अकेले रहकर काम करने से होती है। सहकारिता का वास्तविक उद्देश्य है, पहले तो जोतों का आकार छोटा होने तथा व्यावसायिक सभ्यता के तौर—तरीकों से अपरिचित होने से जो अयोग्यताएं उत्पन्न होती हैं, उनसे किसानों की रक्षा करना, और दूसरे निजी सम्पत्ति की सभी भलाइयाँ व तकनीकी लाभों को किसानों को उपलब्ध कराना। सहकारिता का विस्तार खेती अथवा उत्पादन की क्रिया तक करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् खेत—प्रबन्ध के उन कार्यों का सहकारीकरण करने की जरूरत नहीं जो एक छोटे खेत की सीमा के अन्दर किये जा सकते हैं। ऐसे कार्य तो स्वतन्त्र रूप से किसान स्वयं करेगा—यदि सहकारी समिति या संगठन के सदस्य अपनी आर्थिक व निजी स्वतन्त्रता का बलिदान करेंगे तो वह विलय होगा, सहकारिता नहीं।

होरेस प्लान्केट फाउण्डेशन के अध्यक्ष डॉ० सी० आर० फे ने 1943 में कहा था, “उत्तरी यूरोप ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि तकनीकी उत्कर्ष की चरम सीमा भी पारिवारिक खेती में पूरी तरह से प्राप्त की जा सकती है, परन्तु दो शर्तों पर — एक, भूमि इंकाई को राज्य विशेष संरक्षण प्रदान करें; दूसरे, खेत पर एक परिवार के श्रम के साथ—साथ खरीद, बिक्री व प्रक्रमण के लिए सामूहिक श्रम किया जाय।” इसलिए हमारी राष्ट्रीय नीति यह होनी चाहिए कि खेतिहरों को समझाया जाय कि सेवा सहकारिता को, अर्थात् वित्तीय साधनों को एकत्र करने व उत्पादन के अतिरिक्त सभी काम में सहयोग करने के लाभ क्या हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि स्वतन्त्र अस्तित्व के खेत बनें जिन पर व्यक्तिगत ढंग से किसान काम करें, साथ ही सहकारिता के

सिद्धान्त पर इन स्वतन्त्र हस्तियों की एक कड़ी बने। इसी प्रकार (आज हमारे देश में फैली) आर्थिक अराजकता से और (सोवियत रूस व चीन में थोपी गयी) सामूहिकता से बचा जा सकता है। जापान व पश्चिमी यूरोप में ऐसी ही व्यवस्था है जिसमें खेत व खेतिहर की अलग-अलग पहचान पर आँच नहीं आती। ऐसी व्यवस्था में प्रति एकड़ उत्पादन उन व्यवस्थानों से अधिक होता है जिनमें भूमि, इसलिए श्रम भी, एक में मिला दिये गये हैं। ऐसी व्यवस्था से ही जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाने वाला खेतिहर संगठन बन सकता है। इसके विपरीत सामूहिकता का—उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये—हमारे देश में वही लोग प्रचार करते हैं जिनको किसान के पास जाने, उसे अपनी बात मानने के लिए राजी करने की अपनी काबलियत पर शुब्हा है। जब लाखों—करोड़ों खेतिहरों को थोड़ी—सी सहकारी संस्थानों व साझे के उद्यमों में भेड़—बकरियों की तरह हाँककर जमा कर दिया जाय तो उनका प्रबन्ध करना आसान होता है। यह लोग कम्युनिस्टों के तौर—तरीकों की नक़ल करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन हालात ऐसे हैं कि उन्हें अपने असली इरादों को छिपाने के लिए जनतन्त्रीय शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है।

जापान, जर्मनी, इंग्लैण्ड तथा स्कैप्पिडनेवियन देशों की तरह सहकारी समितियाँ तभी सफल हो सकती हैं जब वे जनता की आकांक्षाओं के अनुसार जनता में से ही किसी सार्वजनिक आवश्यकता की पूर्ति अथवा समाधान के एक उपादान के रूप में निकलकर आयें। भारत के अतिरिक्त और किसी भी देश में सहकारी आन्दोलन सरकारी महकमे की तरह नहीं चलाया जाता है। हमारे राजनेताओं व आर्थिक योजनाकारों को समझ लेना चाहिए कि हमारी मानवीय कमियों की वजह से हमारे समाज में सहकारिता की जड़ें जमने में कई दशक लगेंगे। इसलिए बेहतर है कि इस सिलसिले में धीमे—धीमे क़दम उठाये जायें।

३

श्रम, पूँजी व नवीनीकरण

भूमि के अतिरिक्त उत्पादन के दो अन्य कारक हैं: श्रम व पूँजी। इन दोनों कारकों के प्रयोग में वृद्धि से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जहाँ तक श्रम का सम्बन्ध है, वह एक परिवर्ती तत्व है और उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देश के बहुत से भागों में खेती में पहले से ही आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, जिसका अर्थ है कि श्रम के उपयोग के वर्तमान स्तर पर कृषि उत्पाद में आवश्यकता से अधिक श्रम निहित है। दूसरे शब्दों में, हमारे गाँवों के विशाल समूह में श्रम की सीमांतक उत्पादकता के शून्य होने की प्रवृत्ति है। इन क्षेत्रों में खेतिहर मज़दूर इस अर्थ में फालतू हैं कि उनको हटा दिया जाये या उनकी बदली कृषितर उद्यमों में कर दी जाये तो कृषि उत्पादन पर या तो कोई असर नहीं पड़ेगा और पड़ा भी तो केवल सीमांतक। इन क्षेत्रों में इस अतिरिक्त श्रम को खेतों में—अर्थात् उसी गाँव में जहाँ अतिरिक्त श्रम है—पूरी तरह से लगाया जाय तो खेती की उत्पादकता अवश्य बढ़ेगी। इसके लिए कृषि के वर्तमान तरीकों व तकनीकों में परिवर्तन की आवश्यकता है। हाल की 'हरित क्रान्ति' का अनुभव बताता है कि (मशीनीकरण के अतिरिक्त भी) कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनके प्रयोग के लिए उससे अधिक श्रम की आवश्यकता होती है जितना आज किया जाता है। इन तकनीकों का प्रयोग आरम्भ करने से अधिकतर गाँवों में अल्प—रोज़गारी की स्थिति तो दूर होगी ही, उत्पादन भी बढ़ेगा।

अधिकतर पूँजी मानव श्रम का ऐसा उत्पाद है जिसे आगे उत्पादन बढ़ाने में प्रयोग करने के लिए अलग रख दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो पूँजी पहले किये गये श्रम का ऐसा उत्पाद है जिसका तत्काल उपभोग नहीं किया गया। श्रम की तरह यह भी परिवर्ती तत्व है। पूँजी को एक प्रकार से अनिर्धारित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है—बशर्ते कि मनुष्य इतना त्याग करने के लिए तैयार हो कि वह अपने श्रम के उत्पाद के तुरन्त बाद उसका पूरा—पूरा उपभोग न करे। वह साधन भी जिनके जरिये कृषि में उत्पादन होता है जैसे पशु, उपादान

व यंत्र, अन्य प्रसाधन, बीज, पानी, सिंचाई के साधन, खाद व उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाएँ—पूँजी में ही गिने जा सकते हैं।

भूमि, श्रम व पूँजी में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उत्पादन खेती की तकनीक अथवा कला में सुधार व नवीनीकरण पर भी निर्भर है। नवीनीकरण की व्याख्या करनी हो तो उसे उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी पुराने अथवा नये ज्ञान का नया प्रयोग करना कहा जा सकता है। उसका उद्देश्य है उत्पादन के तीन कारकों को पहले से बेहतर ढंग से जोड़ा जाना, ताकि उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

इसलिए हम यदि देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को कृषि से हटाकर उद्योग, वाणिज्य, परिवहन तथा अन्य कृषितर व्यवसायों में लगाना चाहते हैं, तो यह उसी हद तक होगा जिस हद तक कम-से-कम आदमियों को खेती में लगाकर उसका उत्पादन ज्यादा-से-ज्यादा किया जाय। इसके लिए जरूरी है कि भूमि में पूँजी उससे कहीं अधिक मात्रा में लगायी जाये और कृषि में तकनीकी सुधार उससे कहीं अधिक तेज गति से किया जाये जिसकी हमने अभी तक कल्पना की है या योजना बनायी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, भारत का आर्थिक विकास किस हद तक होगा यह इस पर निर्भर है कि हम किस हद तक कृषि कार्यों में सुधार कर सकते हैं व किस मात्रा में भूमि में पूँजी लगा सकते हैं।

सिंचाई व उर्वरकों में पूँजी लगाने की आवश्यकता के साथ-साथ अनुसंधान की भी आवश्यकता है। खेतिहर के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली अभिप्रेरणा बीज, जल अथवा सिंचाई प्रबन्ध, उर्वरकों के प्रयोग आदि के सम्बन्ध में अनुसंधान से ही मिल सकती है।

कृषि में पूँजी का अभाव

भारत सरकार बराबर खेती को प्राथमिकता देने की बात कहती आयी है और उत्पादन के लक्ष्य भी बहुत ऊँचे निर्धारित करती आयी है। लेकिन हमारी योजनाओं में कृषि के लिए बहुत कम सार्वजनिक परिव्यय की व्यवस्था की जाती रही है और निजी पूँजी लगाने के लिए बिलकुल नहीं या बहुत कम अभिप्रेरणाएँ दी गयी हैं। कोई यदि कहे कि कृषि को जान-बूझकर पूँजी से वंचित रखा गया है तो यह सच ही होगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए सरकार के पास धन

न रहा हो, लेकिन कृषि के लिए नहीं रहा। नतीजा यह है कि 1951 से 1973 तक कृषि के उत्पादन में तो 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इसी दौरान औद्योगिक उत्पादन 3.6 गुना बढ़ गया—1960 को 100 मानकर औद्योगिक उत्पादन सूचक 1951 में 54.8 था जो 1973 में 200.8 हो गया, अर्थात् हर वर्ष 12 प्रतिशत (साधारण) वृद्धि हुई। ऐसे बहुत कम औद्योगिक देश हैं जिनकी वृद्धि की गति इतनी तेज हो—भारत में वृद्धि की गति बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, इंग्लैण्ड व अमेरिका की तुलना में 1.1 गुना से लेकर 3.2 गुना तक है।

आगामी पृष्ठों पर दी गयी तालिका से मालूम होगा कि 1961–62 की कीमतों को स्थिर मानकर, उन कीमतों के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक परिव्यय कितने रहे। इस तालिका से मालूम होगा कि तीसरी (1961–66) और चौथी (1969–74) योजनाओं में आठ साल का अन्तर होने पर भी, दोनों में लगभग बराबर रकम लगायी गयी। चालू कीमतों के आधार पर सरकारी प्रकाशनों में दिये गये गगनचुम्बी आंकड़ों से लगता है कि अन्धाधुंध व्यय किया जा रहा है लेकिन उससे भोले—भाले लोग गुमराह हो जाते हैं, चाहे इसादा उनको गुमराह करने का न रहा हो।

इन आंकड़ों से मालूम होगा कि निवेश के परिरूप में दूसरी योजना के बाद से, जो अप्रैल 1956 में आरम्भ की गयी थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि इस दौरान देश की खाद्य स्थिति और भी बिंगड़ गयी है। कृषि के लिए परिव्यय पहली योजना में 37 प्रतिशत था, जिसे दूसरी योजना में घटाकर 17.3 प्रतिशत कर दिया गया था, और उसके बाद से कभी 23.4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ा, जबकि संगठित उद्योग व खदान में निवेश पहली योजना में 4.5 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर दूसरी योजना में 23.8 प्रतिशत कर दिया गया और उसके बाद से 23.7 प्रतिशत से नीचे नहीं हुआ।

उद्योगों व खदानों के लिए परिव्यय 1974–75 की वार्षिक योजना में 22.6 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 1975–76 की वार्षिक योजना में 27.5 प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन कृषि (जिसमें सिंचाई शामिल है) का परिव्यय 21.1 प्रतिशत से घटाकर 19.4 प्रतिशत कर दिया गया। 1976–77 की वार्षिक योजना में उद्योगों व खदानों के लिए 27.8 प्रतिशत और कृषि के लिए 20.16 प्रतिशत है। इस प्रकार 1975–76 में उद्योग का परिव्यय कृषि से 41.81 प्रतिशत अधिक था और 1976–77

में 38 प्रतिशत अधिक—यह अनुपात पहले कभी नहीं था।

कृषि की आवश्यकताओं को न समझ पाने का एक उदाहरण यह है कि देश की लगभग एक चौथाई भूमि में कटाव हो रहा है लेकिन 1951 से 1973 तक भूमि संरक्षण पर कुल 47.05 करोड़ की मामूली—सीरक्षम खर्च की गयी।

सार्वजनिक क्षेत्र में योजना व्यय: 1951-52 से 1975-76 तक

(अर्थात् केन्द्र, राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय)
विकास के मुख्य शीर्षों के अनुसार

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि/वर्ष | 1961-62 के मूल्यों के आधार पर | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------|
| | कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र | सिचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण | बिजली | कुटीर व लघु उद्योग | उद्योग व धातु खनिज | कुल जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पहली योजना | | | | | | |
| 1951-52 | 32.09 | | 91.21 | | 11.62 | 284.03 |
| 1952-53 | 37.52 | | 122.39 | | 11.75 | 334.83 |
| 1953-54 | 55.02 | | 133.40 | | 21.96 | 410.33 |
| 1954-55 | 97.29 | | 168.69 | | 27.61 | 610.94 |
| 1955-56 | 147.21 | | 214.87 | | 50.00 | 830.73 |
| कुल जोड़: | 369.13 | | 730.56 | | 122.94 | 2,470.86 |
| 1951-56 | (14.94) | | (29.57) | | (4.98) | (100.00) |
| दूसरी योजना | | | | | | |
| 1956-57 | 81.96 | | 193.02 | | 96.82 | 751.58 |
| 1957-58 | 98.99 | | 185.65 | | 262.15 | 1,019.83 |
| 1958-59 | 121.02 | | 182.60 | | 309.69 | 1,110.24 |
| 1959-60 | 133.41 | | 188.64 | | 287.23 | 1,079.60 |
| 1960-61 | 140.42 | | 201.30 | | 219.00 | 1,073.18 |
| कुल जोड़: | 575.80 | | 951.21 | | 1,174.89 | 5,034.43 |
| 1956-61 | (11.44) | | (18.89) | | (23.34) | (100.00) |
| तीसरी योजना | | | | | | |
| 1961-62 | 148.15 | 106.00 | 139.49 | 38.13 | 197.71 | 1,130.26 |
| 1962-63 | 167.39 | 110.36 | 175.73 | 38.73 | 249.26 | 1,334.82 |

| अवधि / वर्ष | 1961–62 के मूल्यों के आधार पर | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | कृषि व सम्बन्धित क्षेत्र | सिचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण | बिजली | कुटीर व लघु उद्योग | उद्योग व धातु खनिज | कुल जोड़ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1963–64 | 188.31 | 110.61 | 235.97 | 39.68 | 315.37 | 1,555.04 |
| 1964–65 | 206.12 | 121.93 | 250.23 | 42.21 | 332.61 | 1,647.39 |
| 1965–66 | 233.61 | 132.67 | 275.78 | 43.16 | 399.54 | 1,772.26 |
| कुल जोड़: | 943.58 | 581.56 | 1,077.20 | 201.91 | 1,494.49 | 7,439.77 |
| 1961–66 | (12.68) | (7.82) | (14.84) | (2.71) | (20.09) | (100.00) |
| वार्षिक योजनाएं | | | | | | |
| 1966–67 | 222.99 | 99.66 | 269.31 | 28.69 | 343.04 | 1,443.97 |
| 1967–68 | 187.46 | 86.72 | 236.81 | 25.47 | 281.31 | 1,246.22 |
| 1968–69 | 277.62 | 106.71 | 249.45 | 24.49 | 317.77 | 1,436.49 |
| कुल जोड़: | 688.07 | 293.09 | 755.57 | 78.65 | 942.12 | 4,126.68 |
| 1966–69 | (16.67) | (7.10) | (18.31) | (1.91) | (22.83) | (100.00) |
| चौथी योजना | | | | | | |
| 1969–70 | 193.88* | 112.65 | 273.72 | 23.48 | 259.21 | 1,287.82 |
| 1970–71 | 206.74* | 115.79 | 283.99 | 23.74 | 256.82 | 1,393.43 |
| 1971–72 | 253.71* | 131.53 | 321.50 | 25.69 | 313.53 | 1,661.52 |
| 1972–73 | 276.19* | 154.76 | 316.66 | 26.70 | 303.38 | 1,799.76 |
| 1973–74 | 221.60* | 150.59 | 269.94 | 21.87 | 289.34 | 1,647.44† |
| कुल जोड़: | 1,152.12 | 665.32 | 1,465.81 | 121.48 | 1,422.28 | 7,789.97 |
| 1969–74 | (14.79) | (8.45) | (18.82) | (1.56) | (18.26) | (100.00) |
| पांचवीं योजना | | | | | | |
| 1974–75 | 203.96 | 123.10 | 244.92 | 21.98 | 349.30 | 1,547.51 |
| (परिव्यय) | (13.18) | (7.96) | (15.83) | (1.42) | (22.57) | (100.00) |
| 1975–76 | 228.34 | 154.63 | 363.80 | 24.40 | 542.94 | 1,974.27 |
| (परिव्यय) | (11.57) | (7.83) | (18.43) | (1.24) | (27.50) | (100.00) |

* इसमें सुरक्षित भण्डार शामिल है।

† इसमें पौष्टिक आहार–व्यवस्था का व्यय शामिल नहीं है।

नोट: कोष्ठक में दिये गये औंकड़े उस अवधि के कुल योजना–व्यय में संगत शीर्ष का प्रतिशत अंश बताते हैं।

यह याद रखना चाहिए कि भूमि संरक्षण यदि भूमि उपयोग अथवा फ़सल पैदा करने से अधिक नहीं तो उसके बराबर ही महत्वपूर्ण है।

भूमि संरक्षण पर हर योजना में निम्न प्रकार खर्च हुआ:

भूमि संरक्षण पर व्यय

| | करोड़ रुपयों में |
|---------------------------|------------------|
| पहली योजना | 0.36 |
| दूसरी योजना | 2.07 |
| तीसरी योजना | 11.21. |
| वार्षिक योजनाएँ (1966–69) | 9.45 |
| चौथी योजना | 23.96 |
| कुल जोड़ | 47.05 |

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि प्रयोग की रिपोर्ट, भाग पाँचवां, 1976, पृ० 392

कृषि व उद्योग, गाँव व शहरों के लिए किये गये आवंटनों का अनुपात सही—सही निकालने के लिए यह जरूरी है कि बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएँ, सड़कों व परिवहन पर हुए कुल व्यय के बारे में यह जानकारी हो कि कितना गाँवों में व कितना शहरों में खर्च हुआ और उन आंकड़ों को कृषि व उद्योग के परिव्यय में जोड़ा जाये। लेकिन बिजली को छोड़कर इन क्षेत्रों में हुए निवेश के आँकड़े हमारे पास नहीं हैं। आगामी पृष्ठ की तालिका से मालूम होगा कि 1974–75 में देश में पैदा की गयी कुल बिजली का 12.31 प्रतिशत कृषि के उपयोग में आया जबकि उद्योगों ने 65.69 प्रतिशत इस्तेमाल किया।

“परिचयी देशों के बराबर पहुँचने” की हमारी आकांक्षा ने देश को कहाँ पहुँचा दिया है, इसके कुछ निश्चित उदाहरण यहाँ देना अनुपयुक्त नहीं होगा। हालांकि चौथी योजना के अन्त में इस्पात का उत्पादन उतना ही था जितना उसके आरम्भ में वर्तमान क्षमता से कम—से—कम 30 प्रतिशत कम थी फिर भी सब ठीक—ठाक रहता तो योजना प्रयोग 1974–79 में वर्तमान इस्पात के कारखानों का विस्तार करने तथा नये कारखाने बनाने पर 2,800 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली रकम खर्च करना चाहता था। उसने पाँचवीं योजना के अन्तर्गत विजयनगर (कर्नाटक) में 753 करोड़ रुपये की लागत के और विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) में 747 करोड़ रुपये की लागत के कारखानों के लिए ‘प्रारम्भिक

कार्य' की मद में 450 करोड़ रुपये की रकम रखी थी। योजना आयोग जानता था कि इन दोनों कारखानों में ऊँची लागत का इस्पात तैयार होगा और ये कारखाने कभी अपना खर्च नहीं निकाल पायेंगे। सच तो यह है कि बन जाने पर इन कारखानों में उनकी क्षमता—भर उत्पादन होता तो भी उनको 125 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का हमेशा घाटा होता।

लेकिन जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों से अधिक निजी क्षेत्र के निवेश महत्वपूर्ण हैं। कृषि के लिए निजी क्षेत्र के निवेश अधिकतर सहकारी संस्थानों, पेशेवर महाजनों, रिश्तेदारों, व्यापारियों, कमीशन एजेंटों, जमींदारों, व्यावसायिक बैंकों आदि के जरिये आते हैं। आँकड़ों से मालूम होता है कि निजी क्षेत्र के कुल निवेशों में से दूसरी योजना में 20.2 प्रतिशत, तीसरी में 19.5 प्रतिशत और चौथी में 17.8 प्रतिशत कृषि के लिए आये। इसका मतलब है कि निजी क्षेत्र के निवेशों में भी कृषि की उपेक्षा की गयी। सरकारी नीति के कारण विनिर्माण उद्योगों को दोनों क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाता है।

कृषि उत्पाद की कीमतें

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान व औद्योगिक नवीनीकरण के बाद सबसे निर्णायक शर्त यह है कि खेतिहर को अभिप्रेरणाएँ मिलती रहें। लेकिन पिछली सरकार कृषि के लिए वित्तीय परिव्ययों की तरह अभिप्रेरणाओं के सम्बन्ध में भी स्थिति की वास्तविकताओं का मूल्यांकन करने में बुरी तरह असफल रही। शहरी आबादी व कमी के क्षेत्रों को सस्ता भोजन मुहैय्या करने की उसकी नीति के फलस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ाने के बजाय घटा है।

शहरी व सरकारी क्षेत्रों में यह विश्वास फैला हुआ है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए इतनी कीमत मिल जाये कि जिससे उनकी लागत पूरी हो जाये व उनको 'उचित' मुनाफा मिल जाये, तो उन्हें शिकायत की कोई गुंजायश नहीं रहेगी। कृषि उत्पाद की कीमतों के बारे में सरकार को सिफारिश भेजने में 'कृषि कीमत आयोग' (कृ० की० आ०) इसी आधार पर हिसाब लगाता है। कीमतों के उत्तार—चढ़ाव के बारे में गेहूं के उत्पादकों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि खेतिहर भी सापेक्ष कीमतों व मुनाफे का ध्यान रखता है। यदि लागत से कुछ अधिक कीमत देने के सिद्धान्त से किसान को गेहूं पैदा करने में दूसरी फ़सलों की अपेक्षा कम मुनाफा होता है

उपभोग की श्रेणियों के अनुसार बिजली की खपत

1950 से 1974-75 तक

| वर्ष | घरेलू | वाणिज्यिक | संकरण | औद्योगिक | सार्वजनिक | कृषि के लिए रोशनी | जल-कल सिंचाई | (दस लाख किलोवाट में) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1950 | 525 (9.33) | 309 (5.49) | 308 (5.48) | 4,073 (72.39) | 60 (1.07) | 162 (2.88) | 189 (3.36) | 5,625 (100) |
| 1955 | 850 (9.14) | 514 (5.53) | 403 (4.34) | 6,882 (74.04) | 106 (1.14) | 255 (2.74) | 285 (3.07) | 9,296 (100) |
| 1960-61 | 1,492 (8.70) | 848 (4.95) | 454 (2.65) | 12,883 (75.17) | 193 (1.13) | 833 (4.86) | 436 (2.54) | 17,139 (100) |
| 1965-66 | 2,355 (7.70) | 1,650 (5.40) | 1,057 (3.46) | 22,711 (74.29) | 280 (0.92) | 1,892 (6.19) | 625 (2.04) | 30,570 (100) |
| 1970-71 | 3,840 (7.82) | 2,573 (5.24) | 1,364 (2.78) | 34,963 (71.19) | 500 (1.02) | 4,470 (9.10) | 1,016 (2.07) | 382 (0.78) |
| 1974-75 | 5,163 (8.73) | 3,210 (5.43) | 1,621 (2.74) | 38,856 (65.69) | 506 (0.85) | 7,579 (12.81) | 1,213 (2.05) | 59,155 (1.70) |

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े उस श्रेणी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में कुल उपभोग की गयी बिजली के प्रतिशत अंश बताते हैं।

चोत: भारत सरकार, योजना मंत्रालय के डिपार्टमेंट प्रॉफ स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, अर्गनाइजेशन द्वारा प्रकाशित वैसिक स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग दू द इण्डियन इकानौमी (विभिन्न अंक)।

तो अन्य समझदार व्यवसायियों की तरह वह भी गेहूँ पैदा करने वाली भूमि पर दूसरी फ़सलें पैदा करेगा और ऐसा करने का उसे हक् है।

अक्सर यह दलील दी जाती है कि किसानों को अधिक कीमत देने से मुद्रा-स्फीति होगी। लेकिन यह सरकारी दलील भ्रामक है—इस दलील में कारण व परिणाम में अन्तर न समझने की आम ग़लती निहित है। खाद्यान्न की ऊँची कीमतें स्वयं मुद्रा-स्फीति का परिणाम हैं और मुद्रा-स्फीति का कारण यह है कि सरकार अर्थव्यवस्था में अनुपात से ज़्यादा मुद्रा का चलन बढ़ाती रही है।

निवेदन यह है कि खाद्यान्न की कमी की स्थिति का सामना करने के लिए कोई और अच्छा उपाय न हो तो (क) अपेक्षाकृत बड़े जोतदारों से—जिनके पास तीन हैक्टर या साढ़े सात एकड़ से अधिक भूमि हो—उनकी पैदावार के एक अंश की, जो किसी भी हालत में 60 प्रतिशत से अधिक न हो, 'समता—कीमत' पर क्रमबद्ध ढंग से अनिवार्य अधिआप्ति की जाय और शेष फ़सल उनके पास छोड़ दी जाय जिसे वे व्यापारियों को बेच सकते हैं—ऐसे ही, छोटे जोतदारों को भी अपनी फ़सल व्यापारियों के जरिये बेचने की छूट रहनी चाहिए; और (ख) खाद्यान्न की पूर्ति सारी शहरी जनसंख्या के लिए न की जाये बल्कि केवल उनके लिए की जाये जो राष्ट्रीय औसत या अपने प्रदेश की औसत आय से कम कमाते हैं, और इस प्रकार के वितरण के लिए कीमत तय करने में आवश्यकता हो तो सरकारी सहायता शामिल की जा सकती है।

लेकिन उपरोक्त सुझाव तो अभी तक कुछ कांग्रेस शासित प्रदेशों में चल रही व्यवस्था को सुधारने के लिए हैं। नीचे एक दूसरी योजना सुझायी जा रही है जिसे हाल ही में एक सहयोगी, कृषि के राज्य मन्त्री भानुप्रताप सिंह ने तैयार किया है और जो सभी सम्बन्धित पक्षों के अर्थात् उत्पादक, उपभोक्ता, व्यापारी व सरकार के हितों को सन्तुष्ट करती है:

- (1) सिवाय उस स्थिति के जब बहुत ही कमी हो, खाद्यान्न का आयात बिलकुल न किया जाय।
- (2) सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया जाये—दूसरे शब्दों में खाद्यान्न को देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने—ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध न हो।
- (3) किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मानकर उस वर्ष में खेतिहर अपने उत्पाद की जो कीमत पाता है और उस सामान की कीमत को लेकर जो वह खरीदता है, दोनों का अनुपात निकाला जाये

और इस अनुपात से नापा जाये कि किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता तथा उत्पादक के लिए उचित है अथवा अनुचित। इस तरह निर्धारित दर को 'समता-कीमत' माना जाय।

- (4) मुख्य खाद्यान्नों की 'समता-कीमत' निर्धारित करके सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि वह खाद्यान्न व्यापार में कोई हस्तक्षेप तब तक नहीं करेगी जब तक 'समता-कीमत' के 85 प्रतिशत व 115 प्रतिशत के बीच में व्यापार चलता है। 85 प्रतिशत को 'न्यूनतम' कीमत व 115 प्रतिशत को 'अधिकतम' कीमत कहना चाहिए।
- (5) जब किसी खाद्यान्न का भाव 'न्यूनतम' कीमत से नीचे गिरे तो सरकार सीधे-सीधे उत्पादक से खाद्यान्न 'न्यूनतम' कीमत पर खरीद लेगी।
- (6) जब भाव 'अधिकतम' कीमत से अधिक हो जाये तो सरकार को यह अधिकार होगा कि जिसके पास भी, चाहे वह जोतदार हो चाहे व्यापारी, खाद्यान्न का भण्डार होगा उससे उसके परिवार की आवश्यकता-भर छोड़कर पूरा गल्ला 'समता-कीमत' पर खरीद ले।
- (7) छोटे जोतदारों द्वारा आपात बिक्री को रोकने के लिए सभी विकास केन्द्रों में गोदाम बनाने चाहिए (एक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत औसतन लगभग 26,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिएँ)। इन गोदामों में छोटा जोतदार अपनी पैदावार रख दे और उसे तुरन्त ही 'न्यूनतम' कीमत के आधार पर भुगतान कर दिया जाय। उसे यह अधिकार होगा कि बाद में वह अपना गल्ला गोदाम से लेकर अधिक दाम पर खुले बाजार में बेच सके परन्तु उसे जो गोदाम से पहले कीमत मिली थी वह मय व्याज तथा गोदाम भाड़े के साथ वापस करनी होगी। लेकिन यदि खुले बाजार में भाव 'समता-कीमत' के 115 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाय तो सरकार को अधिकार होगा कि उसका गल्ला 'समता-कीमत' पर ले ले और उसे शेष का (अर्थात् 'समता-कीमत' व न्यूनतम कीमत के अन्तर का) भुगतान कर दे।

खाद्यान्न व्यापार की उपरोक्त योजना के अनुसार (क) जोतदार को इत्मीनान रहेगा कि उसे न्यूनतम कीमत तो मिल ही जायगी जो

‘समता—कीमत’ के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगी; (ख) उपभोक्ता को इत्मीनान रहेगा कि उसे ‘अधिकतम’ कीमत से कम भाव पर खाद्यान्न मिल ही जायेगा—अधिकतम कीमत ‘समता—कीमत’ के 115 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; (ग) व्यापारी को इत्मीनान रहेगा कि यदि वह ‘समता—कीमत’ के 85 प्रतिशत व 115 प्रतिशत की सीमा में रहकर धंधा करने का अनुशासन स्वीकार करता है तो उसे अपना व्यापार करने का अवसर मिलेगा; (घ) छोटे जोतदार को, जो अपनी पैदावार को अपने पास रख नहीं सकता, यह आश्वासन रहेगा कि यदि वह उसे गोदाम में रख दे तो बाज़ार में भाव बढ़ने पर अपनी फ़सल अच्छे दाम पर बेच सकता है; और (च) सरकार को यह इत्मीनान रहेगा कि बाज़ार भाव अधिकतम कीमत से ज्यादा हो जाय तो उसे मालूम है कि खाद्यान्न कहाँ रखा हुआ है और वहाँ से ‘समता—कीमत’ पर अधिप्राप्ति कर सकती है।

किसानों के शुभचिन्तकों का कहना है कि यदि कीमतों को इतने गिरने की छूट रहे कि वे प्रलाभकर हो जायें तो कृषि विकास की सर्वोत्तम तकनीकी व प्रशासकीय व्यवस्था से भी अपेक्षित परिणाम नहीं निकल सकते। बहुत हद तक मौसम की अनिश्चितता की वजह से पैदावार में बहुत कमी—बेशी होती रहती है। इसलिए कृषि की पैदावार को माँग के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। (अन्य उत्पादों की अपेक्षा खेती की पैदावार की कीमतों को बहुत अधिक घटाने—बढ़ाने की गुंजायश भी नहीं रहती।) खेती की यही विशेषता किसान की गरीबी का मुख्य कारण है। इसलिए कहा जाता है कि सरकार द्वारा दी गयी अन्य सहायता की अपेक्षा कीमतों की रोकथाम तथा न्यूनतम मूल्य का आश्वासन किसान के लिए लाभप्रद होगा।

कीमतों को सहारा देने के पक्ष में उपरोक्त दलील किसानों को बहुत पसन्द आती है। हमारी राय है कि थोड़े व निश्चित समय के लिए या कुछ खास फ़सलों के लिए (जैसे पटसन, कपास, मूँगफली और गन्ना) कीमतों को रोकने की बात तो सोची जा सकती है, लेकिन आमतौर से कीमतों को सहारा देने की कोई भी कारगार नीति भारत में चल नहीं सकती। कीमतों को सहारा देने का विचार पश्चिमी देशों से यहाँ आया है। वहाँ दोनों विश्व—युद्धों के बीच के वर्षों में यह नीति चलायी गयी थी और इससे कृषि की पैदावार को बहुत लाभ भी हुआ था। कुछ देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में, शान्ति काल में भी इस नीति के अनुसार काम होता रहा है। लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था के

सामने हमेशा ही अत्युत्पादन व आधिक्य की ऐसी जटिल समस्या बनी रहती है कि अनेक प्रकार के वित्तीय उपक्रमों से खेती की पैदावार की कीमतों को साधकर रखा जाता है ताकि खेतिहर को मुनाफा हो सके और वह उसे अपने देश के विशाल उद्योगों के उत्पाद खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सके।

खेती की पैदावार की कीमतों को सहारा देने या उसकी न्यूनतम कीमत निर्धारित करने का अर्थ है राष्ट्रीय कोष से धन खेतिहर समुदाय की जेबों में हस्तान्तरित कर दिया जाये। यह नीति वहाँ तो चल सकती है जहाँ खेतिहर समुदाय सारे देश की जनसंख्या का छोटा—सा भाग हो जैसा कि इंग्लैण्ड व अमेरिका में है जहाँ खेतिहर कुल जनसंख्या का ३ या ४ प्रतिशत है। वहाँ तो शेष ९६ या ९७ प्रतिशत जनसंख्या पर कर लगाकर ऐसे ३ या ४ प्रतिशत लोगों को सहायता दी जा सकती है जिनका जिन्दा रहना सारे राष्ट्र के हितों के लिए व भलाई के लिए आवश्यक है। लेकिन भारत में तो जोतदार व खेतिहर मज़दूर मिलकर जनसंख्या का ७० प्रतिशत है। यहाँ उनको सहायता देने के लिए कीमतों को सहारा देने की नीति का अन्त में मतलब यह होगा, उन्हीं की जेब से निकालकर उनको दिया जाये क्योंकि बाज़ार भाव व न्यूनतम कीमत का जो देशों को कृषि के उत्पाद का निर्यात किया जाये, (ख) हमारे देशवासी ही उसका अधिक उपभोग करें, (ग) फ़सलों की अभिरचना बदली जाये, (घ) देश के अन्दर ही उद्योगों में कृषि के उत्पादों का प्रयोग किया जाये, और (च) खेतिहर मज़दूरों की संख्या कम की जाये।

यहाँ हम केवल पाँचवें सुझाव के बारे में विस्तार से लिखेंगे। सुझाव यह है कि खेतिहर मज़दूर कृषितर धंधों में लग जायें जैसा उन्होंने विकसित देशों में किया है। समुदाय की आवश्यकता से अधिक खेती की पैदावार होने से कृषि की कीमतें गिरना आवश्यक है, विशेष रूप से एक खुले जनतन्त्रीय समाज में। ऐसा मान लेना चाहिए कि देश के शुभचिन्तक, जो किसान से अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कहते हैं, बराबर यह जानते होंगे कि एक प्रकार से वह इसी 'गिरावट' के लिए कह रहे हैं और काम कर रहे हैं। जब कीमतों में गिरावट आती है और बहुत दिन तक चलती है तो अर्थशास्त्र के आरभिक सिद्धान्तों के अनुसार व निजी स्वार्थी के तकाजों के परिणामस्वरूप खेती में थोड़ी—सी आय पर काम करने वाले मज़दूर ऐसे कृषितर धंधों में लग जाते हैं जिनसे उन्हें पहले से कुछ अधिक आमदनी हो सके।

जैसे—जैसे अधिकाधिक पूँजी लगने व उच्च से उच्चतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने से प्रति एकड़ उत्पादन अधिक से अधिकतर होता जायगा, तो पहले के बराबर क्षेत्रफल से पहले जितना ही उत्पादन करने के लिए काम करने वालों की संख्या कम—से—कम होती जायेगी। इसे कोई दुर्घटना नहीं समझना चाहिए। यह तो एक अपेक्षित परिणाम है क्योंकि जितने अधिक श्रमजीवी कृषि छोड़ अन्य धन्धों में लगेंगे उतनी ही अधिक सम्पत्ति देश में पैदा होगी, और जितनी अधिक सम्पत्ति पैदा होगी उतना ही हमारे लोगों का और स्वयं भूतपूर्व खेतिहर मज़दूरों का जीवन—स्तर ऊँचा उठेगा।

जो लोग इंग्लैण्ड व अमेरिका का उदाहरण देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उन देशों की समस्या यह है कि जो थोड़े—से लोग कृषि में लगे रह गये हैं, लगे रहें, जबकि भारत और सच पूछा जाय तो सभी अल्प विकसित देशों की समस्या बिलकुल उल्टी है, अर्थात् श्रमिकों का कृषि से छुटकारा रुके नहीं। श्रम की उत्पादकता में स्पष्ट वृद्धि के साथ—साथ वस्तुओं की मांग पर सुदीर्घकालीन प्रतिबन्ध होने से किसी भी गतिशील समाज में या आर्थिक प्रगति के आकांक्षी समुदाय में कृषि से श्रमिकों को बहुत तेजी से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार श्रमिकों की तबदीली अथवा रोज़गार के विविधीकरण के साथ—साथ अतिरिक्त कृषि उत्पादन की समस्या का हल होने लगता है। यही हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

कृषितर धन्धों से अधिक आय की सम्भावना होने पर भी किसान के लिए या किसान के बेटे के लिए अपने पूर्वजों का व्यवसाय छोड़ना सरल नहीं होता।

प्रश्न है: क्यों? कुछ हद तक तो इसके कारण वही हैं जो कृषितर धन्धों की अपेक्षा कृषि से आय कम होने के कारण हैं। हर देश में किसानों के लिए रोज़गार के दूसरे दरवाज़े आसानी से नहीं खुलते। अधिकतर किसानों के पास चल पूँजी (बचत व आप्य सम्पत्ति) का प्रभाव होता है जिसकी वजह से वे अपने गाँव व अपनी खेती से बंधे रहते हैं। उनकी भूमि व मकान शीघ्र न बिक पाने वाली व अप्राप्य सम्पत्ति होते हैं। उनको लाभकारी कीमत पर हमेशा नहीं बेचा जा सकता—यह अलग बात है कि उनके साथ किसानों को भावुकतापूर्ण लगाव होता है। जब किसान खेती छोड़ कृषितर धन्धे में लगता है तो पुराना धन्धा छूटने पर उसके मन में ऐसी हूक उठती है जिसका अनुभव उस मज़दूर की नहीं होता जो एक कारखाने से काम छोड़कर दूसरे में नौकरी कर

लेता है। किसान का तो उस जिन्दगी से जिसका अभी तक वह आदी था, बिलकुल नाता ही टूट जाता है।

किसान इसलिए भी खेती में लगा रहता है कि वह एक आत्मनिर्भर धन्धा है। उसको यह यकीन—सा रहता है कि कम—से—कम इतना तो पैदा कर ही लेगा जिससे उसकी व उसके परिवार की गुजर हो जाय, और यह यकीन बहुत हद तक उसे आर्थिक स्थिति की बदलती प्रवृत्तियों से स्वाधीन रखता है व उसे काफी अर्से तक आर्थिक शक्तियों की अवहेलना करके में मदद देता है। इसके अलावा भारत जैसे कुछ देशों में लोग खेती में इसलिए भी लगे रहते हैं कि आमतौर से उनके मन में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की आकांक्षा ही नहीं जागती और जो किसान अपनी स्थिति सुधारने की सोचते भी हैं वे बेपढ़े होने व आधुनिक दुनिया के चलन से अपरिचित होने की वजह से यह नहीं जानते कि कहाँ व कैसे उन्नति के मार्ग मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत से आदमियों के खेती में लगे रहने का एक कारण यह भी है कि उनको ग्रामीण जीवन कुछ अभौतिक सन्तोष प्रदान करता है—कम—से—कम ऐसा वे मानते हैं।

कृषि व कृषितर आयों में अन्तर एक ऐसा आर्थिक अवयव है जो किसान को दूसरे धन्धों की और खींच सकता है। आय की दृष्टि से उद्योग व वाणिज्य में कृषि की अपेक्षा अधिक आकर्षण है। इंग्लैण्ड व पश्चिमी यूरोप के देशों में इस खिचाव व आकर्षण को बहुत कुछ मदद मिली वहाँ के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून से जिसके अनुसार पैतृक भू—सम्पत्ति एक ही वारिस को मिल सकती थी — इसका नतीजा यह हुआ कि परिवार के छोटे व्यक्ति कृषितर रोज़गार तलाश करने के लिए विवश हो गये। आयों के अन्तर के अवयव को सहायता मिली जापान में सम्प्राट मिकाडो द्वारा 1870 के दशक में लगाये गये बहुत कड़े भूमि—कर से, और सोवियत संघ में 1920 में किये गये जबरन सामूहीकरण से।

हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थिति में उपरोक्त में से कोई तरीका नहीं चल सकता। हाँ, पहले — अर्थात् इंग्लैण्ड व पश्चिमी यूरोप वाले — तरीके की कोई बदली हुई शक्ल शायद कामयाब हो जाय। पैतृक भू—सम्पत्ति का बंटवारा इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि किसी का हिस्सा एक हैक्टर अथवा ढाई एकड़ से कम हो और यदि इस प्रकार बॉटवारा होने से किसी को पैतृक भू—सम्पत्ति का हिस्सा न मिले या किसी को उत्तराधिकार से वंचित किया जाय तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ भी हो, सरकार व

सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे उन विभिन्न प्रचार-साधनों द्वारा जो आज उपलब्ध हैं किसानों को यह समझायें कि रोज़गार का विविधीकरण उनके अपने हित में है और भूमि सीमित है; वह लोगों की अनिश्चित संख्या का पोषण नहीं कर सकती, लेकिन कृषितर क्षेत्र में ऐसी कोई सीमाएं नहीं हैं। उन लोगों को खेती छोड़ दूसरे धन्धों में रोज़गार तलाश करने में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो नयी उभरती हुई पीढ़ियों के हैं या उन क्षेत्रों से भाते हैं जहाँ इस समय उपलब्ध भूमि पर वर्तमान जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया है कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ना रुक गया है। आज जापान में बहुत कम नौजवान हैं जो खेती में लगे रहना चाहते हैं।

लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि मैं जिस तरह की अर्थ व्यवस्था की वकालत कर रहा हूँ उसमें बहुत ही कम किसानों के बेटों को अपनी पैतृक सम्पत्ति बेचनी होगी या अपने घर छोड़ने होंगे। उनमें से बहुत से यह कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए कि अपने गाँव में या आसपास कोई कुटीर या छोटा उद्योग-धन्धा शुरू कर दें। इस तरह के धन्धों के लिए बहुत पूँजी नहीं चाहिए। वे खेती के साथ भी चल सकते हैं और खेती का विकल्प भी हो सकते हैं। इस सिलसिले को गाँवों में बिजली का इन्तजाम हो जाने से बहुत मदद मिलेगी। कृषि से हटकर श्रमिकों के अन्य धन्धों में लगने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि एक आवश्यक शर्त है— उत्पादन में वृद्धि होगी तभी रोज़गारों का विविधीकरण होगा— लेकिन अन्ततोगत्वा यह मनोवृत्ति का प्रश्न है कि रोज़गारों का विविधीकरण होता है अथवा नहीं।

कृषि से हटकर कृषितर रोज़गारों की तलाश के लिए किसानों में उद्यम व जोखिम उठाने की भावना, भौतिक उन्नति की आकांक्षा तथा कड़ा परिश्रम करने की तत्परता होनी चाहिए जो आज अपने देश के पश्चिमी भागों में रहने वाले कुछ समुदायों को, जैसे सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबियों को छोड़कर, हमारे लोगों में मौजूद नहीं है। यदि हमारे लोगों की सामाजिक व आर्थिक मनोवृत्ति नहीं बदली तो कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होने पर भी प्राथमिक क्षेत्र से श्रमिक द्वितीय व तृतीय क्षेत्र के रोज़गारों के लिए नहीं जायेंगे। इसका मतलब है कि आर्थिक प्रगति के लिए दो शर्तें एक साथ जरूरी हैं— कृषि का उत्पादन बढ़े व लोगों की सामाजिक-आर्थिक मनोवृत्ति बदले। कृषि के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ खेतिहारों की संख्या में तुलनात्मक कमी होनी चाहिए। जब तक श्रमिक कृषि से हटकर कृषितर धन्धों में नहीं लगेंगे

तो कृषि के उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप गाँवों में रोजगार कम हो जाएँगे और अल्प-रोजगारी भी बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का — और विदेशों की बात की जाये तो थाईलैण्ड का उदाहरण दिया जा सकता है जहाँ कृषि का अतिरिक्त उत्पादन होने पर भी मनोवृत्ति में परिवर्तन न होने की वजह से कोई आर्थिक प्रगति नहीं हुई। जब यह दोनों शर्तें किसी समाज अथवा क्षेत्र में एक साथ पूरी होंगी तभी वह आर्थिक खुशहाली की और तेजी से बढ़ सकता है जो पंजाब की मिसाल से साफ़ जाहिर हो जाता है।

बहरहाल, अगर लोग अपनी भाग्यवादिता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी किस्मत से सन्तुष्ट रहना चाहते हैं तो कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता — सारी सरकारी योजनाएं बेकार साबित होंगी और देवी—देवता की पूजा से कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। तब देश के सामने एक ही विकल्प रह जायगा—आर्थात् कम्युनिज्म। हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि कम्युनिज्म के अन्तर्गत उन्हें कुछ पसन्द करने न करने, इंकार करने या ज़िङ्गाकरने की स्वतन्त्रता नहीं रहेगी। एक औद्योगिक समाज का निर्माण करने के लिए सामूहिक खेती चलाकर भूमि के उत्पाद का एक अच्छा खासा भाग निकाल लेने अथवा ले लेने के साथ कम्युनिज्म में गाँवों के अतिरिक्त श्रमिकों को (या यूं कहा जाय कि गाँव वालों को सामूहिक खेतों में खदेड़ने के बाद बचे हुए श्रमिकों को) योजनानुसार औद्योगिक अथवा कृषितर धर्मों में लगाने के लिए भर्ती किया जायेगा। ये रंगरूट (उस कारखाने या धर्मों में जहाँ उनको लगाया जायेगा) किस तरह का काम करें, यह सर्वशक्तिमान राज्य तय करेगा। दूसरे शब्दों में, कम्युनिज्म जनता की आर्थिक भलाई के लिए राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करेगा। इसके विपरीत, जनतन्त्र में वही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक अभिप्रेरणाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ भी हो, आर्थिक प्रगति की कीमत तो चुकानी ही होगी — जनतन्त्र में यह कीमत जान—बूझकर व अपनी इच्छा से चुकायी जाती है, तानाशाही में मनुष्य की अपनी इच्छा अथवा राय असंगत हो जाती है।

गाँवों व खेती की उपेक्षा के कारण

श्री आर्थर ई. मोर्गन. अध्यक्ष टेनिस घाटी प्राधिकरण, सं. रा. अमेरिका तथा सदस्य, विश्वविद्यालय आयोग, भारत सरकार ने सन् 1949 में विश्वविद्यालय आयोग के कार्य के लिए प्रस्तुत ज्ञापन में निम्नानुसार कहा है।

भारत के अधिकांश भाग में गाँव बहुत पिछड़े हुए हैं तथा मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं। गाँवों में जन्मे तथा बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने वालों की यह आम धारणा है। कदाचित ही कोई ग्रामीण विद्यार्थी विश्वविद्यालय का स्नातक होने के पश्चात गाँव को वापस लौटता है। भारत में भ्रमण करते हुए हम लोग गाँव से आये हुए अनेक लोगों से यह प्रश्न पूछते रहे कि वे गाँवों में क्यों नहीं वापस लौट आते हैं, उनके घुमा—फिराकर दिए हुए उत्तरों तथा भावनाओं का विश्लेषण करने पर सर्वत्र एक—समान ही निष्कर्ष निकलता है कि गाँव मानव—निवास के लिए अनुपयुक्त हैं। भारत के विभिन्न भागों में गाँवों का निरीक्षण करने पर इस प्रकार के विचार के कारण स्पष्टतया दिखाई देते हैं। भारत में 6 लाख गाँवों में से कदाचित कुछ सौ ही ऐसे गाँव होंगे, जिनके बारे में ऐसा विचार या मत नहीं बनाया जा सकता कुछ क्षेत्रों के गाँवों में रहने के लिए उपयुक्त स्थान है। किन्तु मुख्य रूप से यह प्रतीत होता है कि डेढ़ शताब्दियों से अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान, शिक्षित, सम्पन्न तथा महत्वाकांक्षी लोग गाँवों से दूर भागते जा रहे हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने इस विश्वास पर कार्य किया कि उनके लिए गाँव अनुपयुक्त हैं। यद्यपि वे इस धारणा को लिखित रूप में न स्वीकार करते हैं।

यदि गाँवों से औसत मिलीजुली जनसंख्या का निष्क्रमण नगरों में होता तो चिन्ता की कोई बात नहीं होती। परन्तु समस्या यह नहीं है। गाँवों से नगरों की और प्रवास का रुख विशिष्टता का रहा। प्रत्येक वर्ग के कुछ व्यक्ति प्रवास कर जाते हैं। किन्तु अपेक्षाकृत अधिक बुद्धि मान, शिक्षित तथा सम्पन्न लोगों का प्रवास सबसे अधिक है। जैसे ही

वे तेजी से शहरों की ओर जाते हैं, वैसे ही ग्रामीण जनसंख्या और अधिक निष्क्रिय, कम पुरुषार्थी तथा अधिक निश्चेष्ट हो जाती है। इनके सांस्कृतिक साधन कंगाल हो जाते हैं।

भारतीय गाँवों की स्थिति आज भी वैरसी ही है जब कि श्री मोर्गन ने यह ज्ञापन तैयार किया था।

कृषि की उपेक्षा का सीधा तथा त्वरित आघात खेतिहरों की आर्थिक अवस्था पर पड़ा। इन खेतिहरों में कृषक तथा कृषि मजदूर दोनों सम्मिलित हैं। ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग खेतिहरों से बना है तथा कारीगरों और ग्रामीण समुदाय के दूसरे कामगरों की आय खेतिहरों की आय से प्रभावित होती है। बाद के वर्गों के लिए ही आँकड़े उपलब्ध हैं तथा उन्हों को सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर का विश्वस्त आधार माना जा सकता है। निम्न तालिका में स्पष्ट लक्षित होगा कि एक और खेतिहरों की आय तथा दूसरी और नगरों में निवास करने वाले गैर कृषि कर्मियों की आय में अन्तर राजनैतिक स्वतंत्रता के फलस्वरूप तब से कम होने के स्थान पर शत प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा है।

प्रति व्यक्ति आय रूपयों में
(सन् 1960–61 के मूल्यानुसार)

| वर्ष | औसत | कृषि जनसंख्या | गैर कृषि जनसंख्या |
|---------|-------|---------------|-------------------|
| 1950–51 | 252.9 | 197.8 | 399.4 |
| 1960–61 | 305.6 | 219.2 | 531.4 |
| 1961–62 | 309.2 | 216.0 | 554.4 |
| 1962–63 | 308.2 | 205.6 | 578.6 |
| 1963–64 | 318.3 | 206.8 | 612.3 |
| 1964–65 | 335.1 | 220.5 | 639.5 |
| 1965–66 | 311.0 | 185.6 | 643.8 |
| 1966–67 | 307.4 | 179.6 | 646.4 |
| 1967–68 | 325.4 | 202.4 | 654.4 |
| 1968–69 | 327.0 | 198.7 | 669.8 |
| 1969–70 | 340.6 | 206.6 | 699.1 |
| 1970–71 | 353.0 | 219.0 | 711.3 |

| वर्ष | औसत | कृषि जनसंख्या | गैर कृषि जनसंख्या |
|---------|-------|---------------|-------------------|
| 1971–72 | 349.0 | 209.8 | 721.3 |
| 1972–73 | 337.1 | 190.4 | 729.3 |
| 1973–74 | 349.1 | 202.7 | 737.7 |
| 1974–75 | 343.2 | 191.1 | 745.1 |
| 1975–76 | 365.9 | 211.1 | 774.3 |
| 1976–77 | 365.1 | 195.5 | 813.2 |

स्रोत: नेशनल एकाउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स (भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के खाद्य सांख्यिकी पर सी. एस. ओ. द्वारा प्रकाशित सूचनापत्र तथा नेशनल एकाउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स की ईयर बुक 1960–61 के अकड़े 1960 से संबंधित हैं तथा ऐसे ही आगामी वर्षों के हैं।

ऐसी सामाजिक सुविधाओं की जैसे स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, बिजली और सबसे अधिक शिक्षा की व्यवस्था करने में गाँव व शहर के बीच सरकारी भेदभाव से ही गाँवों के प्रति सरकार के रवैये का पता चल जाता है। इन सेवाओं की व्यवस्था करना गाँवों व शहरों में मानवीय तत्व पर पूँजी लगाना है और कृषि के लिए अधिक नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उर्वरक व सिंचाई जैसे साधनों में पूँजी लगाना। हल चलाने वाला स्वरथ या शिक्षित नहीं होगा तो वह इन साधनों का कारगर प्रयोग नहीं कर सकेगा।

पीने के साफ़ पानी को लीजिये। पाँचवीं योजना शुरू हुई तो 85 प्रतिशत शहरी आबादी को नल का पानी मिल रहा था जबकि 1,16,000 ऐसे गाँव थे जिनमें रहने वाले 6,10,00,000 लोगों के लिए पीने के साफ़ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इनमें से 90,000 तो ऐसे गाँव थे जिनके आसपास एक मील की दूरी तक पानी का कुआँ भी नहीं था।

एक तो गाँव वालों को बिजली मिलती ही नहीं है और जहां मिलती है वहीं उनको उद्योगों की अपेक्षा अधिक कीमत पर दी जाती है। उत्तर प्रदेश की इतना ही नहीं कि कृषि को तो उपभोग की गयी प्रति इकाई के 29.75 पैसे के दर से और उद्योग को उपभोग की गयी प्रति इकाई के 14 पैसे के दर से बिजली दी गयी बल्कि बिड़लानों की हिन्दालको कम्पनी और उत्तर प्रदेश सरकार के दरम्यान हाल में हुए समझौते के अनुसार हिन्दालको को 30 मेगावाट बिजली 10.5 पैसे प्रति इकाई में दी जाती है—मानो हमारे देश में गेहूँ से अल्यूमिनियम (जो हिन्दालको

बनाती है) ज्यादा जरूरी है। 1961 से यह समझौता होने तक बिडलानों को बिजली दो पैसा प्रति इकाई के दर से दी जाती थी। इसके विपरीत, जो किसान अपने खर्च से नलकूप लगा ले उसे प्रति एच० पी० 180 रु० के दर से देना पड़ता है चाहे उसे बिजली मिले या न मिले जिसकी वजह से किसान के लिए बिजली की कीमत और भी बढ़ जाती है।

| वर्ष | उद्योग के लिए वास्तविक लागत / इकाई पैसों में | कृषि के लिए वास्तविक लागत / इकाई पैसों में |
|---------|--|--|
| 1970-71 | 10.6 | 15.78 |
| 1971-72 | 10.0 | 16.68 |
| 1972-73 | 11.8 | 26.47 |
| 1973-74 | 14.0 | 29.75 |

शिक्षा से जितना आदमी का दिमाग खुल जाता है उतना किसी और चीज से नहीं। अब सभी यह मानते हैं कि शिक्षा आर्थिक विकास का परिणाम नहीं, उसका एक कारक है। खेती के लिए भी यह बात सही है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी शहरों की तरफ झुकाव दिखायी देता है। शहरों की अपेक्षा गाँवों में प्राथमिक व द्वितीय स्तर की शिक्षा की सुविधाओं की कमी है। 1971 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार गाँवों में साक्षरता 23.74 प्रतिशत है और शहरों में 52.49 प्रतिशत।

जहाँ तक उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध है, वास्तुकला, इंजीनियरी, कानून, प्रबन्ध, चिकित्सा, और सामाजिक कार्य जैसे छह व्यवसायों के प्रशिक्षण के बारह कॉलेजों तथा संस्थानों के छात्रों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से यह नतीजा निकलता है कि “ऐसे देश में जहाँ भी अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं वहाँ चुने हुए व्यवसायों में ग्रामीण विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व केवल 13 प्रतिशत है जबकि शहरों से आने वालों को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है।”

विद्यार्थियों में से दो प्रतिशत से भी कम के पिता हाथों से मेहनत करने वाले शहरी पेशों में काम करते थे, केवल 11 प्रतिशत कृषि में लगे थे, और सिर्फ 7 प्रतिशत कलर्की (जिसमें सेल्समैन शामिल है) करते

1 28 फरवरी, 1976 के ‘इकनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली’ में बलदेव आर० शर्मा का लेख।

थे। कुल मिलाकर इन श्रेणियों में पांच में से एक विद्यार्थी के पिता आते थे। इसके विपरीत 72 प्रतिशत विद्यार्थियों के पिता ऐसे पदों पर काम करते थे जो प्रशासन व उद्योग में देखभाल व आदेश देने वाले माने जाते हैं और 59 प्रतिशत के पिता उच्च सरकारी अधिकारी, व्यवसायी या ऐसे ही पेशों वाले थे।

| पृष्ठभूमि | संख्या | प्रतिशत |
|--|--------|---------|
| गाँव | 219 | 13.08 |
| क़स्बे जिनकी आबादी एक लाख से कम है | 268 | 16.01 |
| शहर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है | 1,159 | 69.24 |
| जिनका पता नहीं लगाया जा सका | 28 | 1.67 |
| जोड़ | 1,674 | 100.00 |

कृषि (और इसलिए, गाँवों) की उपेक्षा का कारण यह है कि हमारा शासक— वर्ग शहरी है, उसका दृष्टिकोण शहरी है। किसी का दृष्टिकोण क्या है, यह इस पर निर्भर करता है कि किस समाज में, कैसे घर में, कैसे वातावरण में उसका जन्म हुआ, लालन—पालन हुआ। जिस हद तक देश का नेतृत्व गाँव की आवश्यकताओं से अपरिचित होता है, उस हद तक उसकी आर्थिक नीति, जाने या अनजाने, शहरों के लिए ही होती है।

सतीश के० अरोड़ा के अनुसार: “1962–72 के दशक में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के आधे से अधिक सदस्य भारत के उन 20 प्रतिशत लोगों में से आये थे जो शहरी हैं और इनमें से दो—तिहाई उन शहरों से आये थे जिनकी जनसंख्या 10,00,000 से अधिक है। कृषकों का अनुपात लगभग बराबर 17 प्रतिशत बना रहा।”¹

शहरों के रहने वाले मंत्रियों के लिए यह समझना मुश्किल है कि गाँव वालों का दिमाग कैसे काम करता है और गाँव—समाज कैसे चलता है। इसलिए उनको गाँव वालों से बौद्धिक सहानुभूति हो सकती है लेकिन किसान समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं व असुविधाओं का न तो व्यक्तिगत ज्ञान होता है, न उनकी मानसिक समझ। उनके लिए भूमि की समस्या एक अनबूझी पहेली है।

1 ‘सोशल बैंकग्राउण्ड ऑफ़ द इण्डियन कैबिनेट’, ‘पॉलिटिकल एण्ड इकनॉमिक वीकली’, स्पेशल नम्बर, अगस्त 1972।

पश्चिमी देशों में राजनीतिक नेतृत्व व प्रशासन के शहरी रंगरूप से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देहाती क्षेत्र उनकी अर्थव्यवस्था का बहुत छोटा—सा अंश है। और फिर, कुछ देशों में, जैसे अमेरिका में, यह अलिखित नियम है कि कृषि—मन्त्री वही होगा जो कृषक वर्ग से आया हो। इसके अतिरिक्त वहाँ अकाल का उस प्रकार का तात्कालिक डर नहीं रहता जैसा भारत में बना रहता है।

एक अध्ययन¹ से यह पता चलता है कि 1961 में देश भर में आई० ए० एस० के 1,291 अधिकारी थे जिनमें से केवल 143 (अर्थात् 12 प्रतिशत) किसानों के घरों में पैदा हुए थे। समय गुजरने के साथ इस प्रशासनिक सेवा में भर्ती के मामले में कोई फर्क नहीं हुआ। 1974 में आई० ए० एस० में भर्ती हुए कृषकों की प्रतिशतता बढ़कर 14 हो गयी। ऐसा समझने की कोई वजह नहीं है कि दूसरी सेवाओं में स्थिति भिन्न होगी।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार 1975 में आई० ए० एस० व आई० एफ० एस० के लिए 165 सफल उम्मीदवारों में से केवल 50 गाँवों के रहने वाले थे जिनमें खेतिहर व कृषितर दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि उच्च सेवाओं में प्रवेश करने के लिए गाँव वाले उम्मीदवारों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों को नौ गुना अधिक अवसर मिला हुआ है।

भारत में उच्चतर सरकारी अधिकारियों के एक व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर, सुब्रह्मण्यम ने यह नतीजा निकाला था कि उनमें से अधिकतर (80 प्रतिशत या उससे अधिक) शहरी वेतन भोगी अथवा व्यावसायिक मध्यम वर्ग से आते हैं² दूसरी ओर, किसानों व खेतिहर मजदूरों को दस्तकारों व औद्योगिक मजदूरों से भी कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है। बलदेव आर० शर्मा का कहना है कि इन नतीजाँ का महत्व केवल यह नहीं है कि इनको निकालने के लिए बहुत व्यापक अध्ययन किया गया, बल्कि इसलिए भी है कि यह अध्ययन केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों के बारे में है जिनके सेवा में भर्ती किये जाने पर दो बन्धन लगे हैं, एक यह कि आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित अनुसूचित जातियों

1 'जर्नल ऑफ नेशनल एकेडेमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन' के जुलाई, 1961 में आर० कै० त्रिवेदी डी० एन० राव का लेख।

2 बी० सुब्रह्मण्यम, 'सोशल बैंकग्राउण्ड ऑफ इण्डियाज एडमिनिस्ट्रेटर्स', प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 1971।

व आदिम जातियों के लोगों के लिए एक कोटा तय है, और दूसरा यह कि भारत में जनवादी समाजवाद की स्थापना करनी है।¹

इस तरह की नौकरशाही की वजह से ही जनता, विशेषरूप से ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए बनी योजनानों में कल्पनाशीलता की कमी होती है और यदि कोई योजना भूले—भटके वास्तविकता के आधार पर बन भी गयी तो उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता, थोड़ा—बहुत हुआ भी तो आधा अधूरा।

इस सम्बन्ध में एक खतरनाक बात यह हो रही है कि उच्चतर सेवाओं की भर्ती अधिकाधिक अनुपात में वर्तमान नौकरशाही में से ही हो रही है। उच्चतर सेवाओं में प्रवेश करने वाला किसी नौकरशाह का बेटा या उसके परिवार का सदस्य होता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों में अधिकतर सरकार व उद्योग में उच्च स्तरीय अधिकारियों, या वकील — डॉक्टरों जैसे पेशेवालों या व्यापारियों के ही लड़के—लड़कियाँ होते हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान नौकरशाही एक विरासती जाति बनती जा रही है और ऊपर की सरकारी नौकरियों में उन लोगों के लिए दरवाजे करीब—करीब बन्द होते जा रहे हैं जो इस अफ़सरी दायरे के बाहर हैं, खासतौर से गाँव वालों के लिए।

कहने का यह मतलब नहीं कि कृषितर परिवारों से आये राजनेताओं व प्रशासकों की योग्यता या ईमानदारी में किसी को शुबहा है। मतलब सिर्फ़ यह है कि राजनीतिक नेता व प्रशासक के मूल्य व हित उन लोगों के हितों व मूल्यों से भिन्न हैं जिनके मामलों की उन्हें व्यवस्था करनी है। आमतौर से किसी एक व्यक्ति के विचार उसके परिवार की आय के स्रोत तथा उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनते हैं। उसके माता—पिता, उसका पड़ोस, उसका व्यवसाय, उसके मित्र व परिचित, उसके नातेदार — इन सभी का जोड़ व्यक्ति के जीवन—दर्शन को बनाता है। शिक्षा से इस प्रकार बने विचारों में बहुत कम अन्तर आता है—अक्सर शिक्षा उन विचारों की पुष्टि ही करती है।

गाँव के मूक भूखे—नंगों की दुर्दशा के प्रति ईमानदारी से सहानुभूति रखते हुए भी नेहरू ने आर्थिक विकास के लिए विदेशी अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझायी गयी उद्योग पर आधारित नीति स्वीकार कर ली।

1 'इकनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली', 28 फरवरी 1976।

माओ त्से-तुंग के विपरीत, नेहरू ने भारतीय समस्याओं के लिए कोई स्वतन्त्र दृष्टिकोण नहीं अपनाया। इसका कारण तलाश करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। माओ के विपरीत नेहरू शहरी माहौल व पश्चिमी शिक्षा की देन थे।

औद्योगिक अभिरचना

भोजन के अतिरिक्त मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी बहुसंख्यक व विविध हैं कि विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग तथा सामाजिक सेवाओं के उपयोग की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। और, जैसे कृषि के लिए भूमि एक सीमा लगाने वाला कारक है वैसा उद्योग व सेवाओं के क्षेत्र में अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाने के मार्ग में बाधा डालने वाला कोई तत्व नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश को जिन कृषितर साधनों व अवसरों की आवश्यकता हो सकती है उनकी कोई सीमा नहीं और न कृषितर व्यवसायों में लग सकने वाले व्यक्तियों की संख्या की कोई सीमा है। कृषितर साधनों का विकास जीवन—स्तर ऊँचा उठाने के लिए ही नहीं बल्कि रोज़गार के साधन के रूप में भी आवश्यक है।

सवाल यह है कि 1947 में राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद हमें किस प्रकार की औद्योगिक प्रभिरचना अपनानी चाहिए थी और अब हमें कैसी अपनानी चाहिए। इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं—एक भारतीय जागरण के प्रेरक महात्मा गांधी का और दूसरा स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का।

महात्मा गांधी हमेशा देश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया करते थे। वह कहते थे कि भारत गाँवों में रहता है शहरों में नहीं। गाँव वाले ग्रामीण हैं क्योंकि उनमें अधिकतर बेरोज़गार हैं या अल्प—रोज़गार की स्थिति में हैं। उनको उत्पादक रोज़गार देना होगा जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़े। वह कहते थे कि देश की वर्तमान स्थिति में जब मानवशक्ति असीम है और उसकी तुलना में भूमि व अन्य प्राकृतिक साधन कम हैं तो कुटीर उद्योग ही जिनके लिए थोड़ी ही या नाम मात्र पूँजी चाहिए, रोज़गार दे सकते हैं और हमारी अन्य आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हैं—वह पश्चिमी देशों की तरह के मशीनों पर आधारित पूँजी प्रधान उद्योग नहीं चाहते थे। वह कहते थे, उनसे बेरोज़गारी बढ़ेगी, कुछ लोगों के हाथों में सम्पत्ति केन्द्रित हो जायगी और पूँजीवाद के सभी दुर्गुण हमारे देश में आ जायेंगे। उनके नाम के साथ चर्खा जुड़

गया है। उनकी नज़र में वह हर प्रकार की दस्तकारी व कुटीर उद्योगों का प्रतीक था।

उनको छोटी इकाइयों द्वारा विकेन्द्रित उत्पादन पसन्द था। उन्होंने एक बार कहा था: “एक केन्द्र पर बहुत ही पेचीदा मशीनों के जरिये कम—से—कम लोगों द्वारा उत्पादन के बजाय मैं पसन्द करूंगा कि लाखों लोगों द्वारा अपने—अपने घर में व्यक्तिगत रूप से उत्पादन हो।”

वह साफ—साफ चाहते थे कि भारत इस सिद्धान्त का अनुक्रमण करे कि भारी अथवा पूँजी प्रधान उद्योग केवल उन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए लगाये जायें जिनका दूसरे ढंग से उत्पादन नहीं हो सकता और बड़े पैमाने के मशीनों पर आधारित उद्योग केवल ऐसे कामों के लिए लगें जो आदमी के हाथों से घरेलू व छोटे स्तर पर नहीं हो सकते। उनके विचार उनके ही शब्दों में संक्षेप में यह थे:

“यदि मैं सारे देश से अपने विचार मनवा सका तो भावी सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार होगा चर्खा और वह सब जो चर्खे का मतलब है। इसमें हर वह चीज शमिल होगी जिससे गाँव वालों का कल्याण हो। मेरी परिकल्पना के अनुसार दस्तकारी के साथ—साथ बिजली, पोत—निर्माण, लोहे के कारखाने, मशीनों का निर्माण व ऐसे ही काम भी चलेंगे। लेकिन पराश्रय का क्रम बदल जायगा। अभी तक तो औद्योगीकरण ऐसे हुआ है कि गाँव व गाँव की दस्तकारी बर्बाद हो गये। भावी राज्य में औद्योगीकरण गाँवों व गाँवों की दस्तकारी को बढ़ाएगा। मैं यह समाजवादी विश्वास नहीं मानता हूँ कि जिन्दगी की आवश्यकताओं के केन्द्रीयकरण से और केन्द्रित उद्योगों के राज्य द्वारा नियोजन व नियन्त्रण से सर्वसाधारण का कल्याण होगा।”¹

इसके विपरीत जवाहरलाल बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के पक्ष में थे। उनके दिमाग में जो तसवीर थी वह राष्ट्रीय विकास परिषद में जनवरी 1956 में दिये गये उनके भाषण में नज़र आती है:

“स्थायी समिति की बैठक में... भारी मशीन—निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने पर अधिक बल दिया गया क्योंकि यह कहा गया कि

1 ‘हाई कन्स्ट्रिविटव ओग्राम?’ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नई दिल्ली, द्वारा 1948 में प्रकाशित, पृ० 19।

यह औद्योगिक वृद्धि का आधार है, आप यह नहीं करेंगे तो औद्योगिक वृद्धि में देरी हो जायेगी। एक यह विचार भी कभी—कभी रखा जाता है कि उपभोक्ता उद्योग बनाओ, और उनके जरिये धीरे—धीरे धन बचाओ, कुछ और बनाओ, जिससे कुछ रोज़गार बढ़े। लेकिन मैं मानता हूं कि नियोजन की दृष्टि से यह पूरी तरह त्याज्य सिद्धान्त है। उससे कुछ—न—कुछ यहाँ—वहाँ भला हो जायेगा; मैं ब्योरे में नहीं जाता, लेकिन यह तरीका नियोजित विकास का हरागिज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारत औद्योगीकरण करे और आगे बढ़े, जैसा हम चाहते हैं, जो जरूरी भी है, तो आपको औद्योगीकरण करना होगा और यह ख्याल छोड़ना होगा कि छोटे—छोटे पुरानी तरह के कारखाने हों जिनमें बालों में लगाने वाला तेल और ऐसी ही चीजें बनती हों — इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपभोक्ता वस्तुएँ छोटी हैं या बड़ी। आपको जड़ तक, नींव तक जाना चाहिए और औद्योगिक वृद्धि की अभिरचना का निर्माण करना चाहिए। इसलिए भारी उद्योग महत्त्व रखते हैं, और किसी चीज का महत्त्व नहीं, सिवाय उसके जो सन्तुलन के लिए जरूरी हो — और सन्तुलन भी महत्त्वपूर्ण है। हमें भारी मशीन—निर्माण उद्योगों और भारी उद्योगों के लिए योजना बनानी चाहिए, हमें ऐसे उद्योग चाहिए जो भारी मशीनें बना सकें और हमें यह काम जल्दी से जल्दी करने में लग जाना चाहिए क्योंकि इसमें समय लगता है।”

अप्रैल 1956 में भारत सरकार ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया कि, “समाजवादी ढंग के समाज” के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक वृद्धि की दर को तेज किया जाये, औद्योगीकरण की रफ़तार को बढ़ाया जाय, भारी व मशीन—निर्माण उद्योगों को विशेष रूप से विकसित किया जाय, ‘सार्वजनिक क्षेत्र’ का विस्तार किया जाय और विशाल व विकासशील सहकारी क्षेत्र बनाया जाये। यह प्रस्ताव दूसरी योजना में शामिल कर लिया गया।

28 सितम्बर 1959 को चण्डीगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में दिये गये अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा: “एकीकृत योजना की प्रमुख बात है उत्पादन, न कि रोज़गार। रोज़गार महत्त्वपूर्ण है लेकिन उत्पादन के सन्दर्भ में बिलकुल महत्त्वहीन है। और उत्पादन पहले से श्रेष्ठतर तकनीकों से ही बढ़ सकता है जिसका अर्थ है आधुनिक उपायों से ही बढ़ सकता है।”

नेहरु व उनके सलाहकारों ने यह मान लिया था कि लम्बे अर्से में औद्योगीकरण की रफ़तार व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का दारोमदार इस बात पर है कि कोयला, बिजली, लोहा व इस्पात, भारी मशीनों, भारी रसायनिक कारखानों और आमतौर से भारी उद्योगों का उत्पादन बढ़ता रहे—अर्थात् पूँजी की रचना के लिए जरूरी उत्पादन बढ़े। यह स्वीकार किया गया कि भारी उद्योगों में बहुत अधिक लागत की जरूरत है और लाभप्रद होने के लिए लम्बी अवधि चाहिए, लेकिन यह दलील दी गयी कि बिना उनकी स्थापना के भारत न केवल उत्पादक वस्तुओं का बल्कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का भी आयात करता रहेगा जिससे देश के अन्दर पूँजी का संचयन नहीं हो पायेगा, इसलिए भारी उद्योगों का विकास तेजी से होना जरूरी है। इसीलिए पहली योजना के अलावा सभी पंचवर्षीय योजनाओं का आधारभूत सिद्धान्त यह रहा कि तेज संवृद्धि के लिए भारी उद्योग जरूरी हैं, उनके विस्तार से यह तय होगा कि किस रफ़तार से अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी व स्व-उत्पादक होती है, और उनके विस्तार से ही मध्यम व छोटे पैमाने के उद्योगों में जान आयेगी, वे बड़े उद्योगों के लिए कल-पुर्जे बनायेंगे व उनका माल खरीदेंगे, और इस प्रकार अन्ततोगत्वा बृहत्तर रोज़गार क्षमता प्रदान करेंगे। नियोजन की नीति यह थी कि देश का प्रति शीघ्र औद्योगीकरण किया जाय और उसका मतलब यह था कि भारी उद्योग को प्रथम स्थान दिया जाय।

पूँजी प्रधान उद्योगों के अनुकूल परिस्थितियां अविद्यमान

नेहरु के विचारों के विरोधी चिन्तकों ने कहा था कि विकास की जिस पश्चिमी नीति की वह नकल करना चाहते हैं उसके लिए इतनी अधिक पूँजी लगाने की जरूरत है जो भारत के लिए सम्भव न तब थी और न अब है।

भारत में उपलब्ध भूमि व प्राकृतिक साधनों की मात्रा व उनकी गुणवत्ता निर्धारित हैं (घट-बढ़ नहीं सकतीं) और आबादी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय अथवा उत्पाद तभी बढ़ना सम्भव है जब पूँजी की संवृद्धि या प्रौद्योगिकी में सुधार की दर या दोनों तत्व मिलकर—इतनी रफ़तार से बढ़ें कि जनसंख्या में वृद्धि की दर से आगे निकल सकें। यह तभी हो सकता है जब श्रमिकबल में अपनी भौतिक स्थिति सुधारने की आकांक्षा इतनी प्रबल हो कि वह उसके लिए कड़ी

मेहनत करने के लिए तैयार हो। इसका मतलब है कि आर्थिक संवृद्धि के लिए प्राथमिक निर्णायक तत्व है बचत की दर, पूँजी के संचयन की दर, पूँजी निर्माण की दर, या अर्थव्यवस्था में निवल लागत की दर। बचत आमदनी व खर्च का अन्तर है जिसे नक़दी के रूप में या बैंक में जमा करके रखा जा सकता है। जब इस बचत को इमारत बनाने, कारखाना लगाने या फार्म का विकास करने के लिए लगाया जाये तो पूँजी—निर्माण होता है। सिद्धान्तः स्टॉक में और माल शामिल करना भी पूँजी निर्माण माना जाता है।

पूँजी के दो घरेलू स्रोत उपलब्ध हैं—बचत व कर। हम यहाँ बचत के बारे में लिखेंगे। सीधे—सादे शब्दों में कहा जाये तो आदमी जो कमाता है और जो खा जाता है, उसका अन्तर बचत है। ऐसे देश में जहाँ सघन खेतिहार अर्थव्यवस्था हो, आय कम हो व उपभोग का स्तर बिलकुल गुजारे—भर हो, जहाँ आबादी की कुल मिलाकर आमदनी का बहुत बड़ा भाग खाने और इस तरह के प्राथमिक खर्चों में जैसे कपड़े व घर की जरूरी चीजों के लिए चला जाता हो, वहाँ बचत में वृद्धि करना आसान नहीं होता। 1973–74 में कुल व्यक्तिगत उपभोग का मूल्य तत्कालीन कीमतों के हिसाब से 43,602 करोड़ रुपया आंका गया था जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 75 प्रतिशत हुआ। उसमें से 65 प्रतिशत खाद्य—पदार्थ पर व्यय हुआ। जब केवल परमावश्यक वस्तुओं का ही उपभोग होगा तो जनसंख्या और भी बढ़ेगी जिसका अर्थ है कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का बराबर विस्तार हो। नतीजा यह होता है कि प्रचुर मात्रा में उत्पाद अथवा पूँजी का संचय होना बहुत मुश्किल हो जाता है।

अतिरिक्त उत्पादन के लिए आवश्यक लागत के बारे में योजना प्रयोग के सभी प्रक्षेपण गलत साबित हुए। पहली योजना यह मानकर बनायी गयी थी कि पूँजी व उत्पाद में वृद्धि का अनुपात 3:1 होगा — अर्थात् इतना अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए जिसका मूल्य एक रुपया हो, तीन रुपये अतिरिक्त लागत अथवा संबंधित पूँजी आवश्यक होगी। मुख्यतः फ़सलें अच्छी होने तथा जंगलों को काटकर कृषि के अंतर्गत भूमि का विस्तार किये जाने से, यह अनुपात 1.38: 1 रहा—यह ध्यान में नहीं रखा गया कि जंगल कटने से इमारती लकड़ी का कितना नुक़सान हुआ और परिस्थिति को कितनी हानि पहुँची। योजनाकारों ने अनुमान लगाया था कि यह अनुपात दूसरी योजना में 2.3:1, तीसरी में 2.62:1 और चौथी में 3.36:1 होगा। लेकिन बाद में पता चला कि सभी

अनुमान अत्यधिक आशावादी थे और दूसरी, तीसरी व चौथी योजनाओं में असलियत में प्रति उत्पादक इकाई दुगनी लागत लगी।

अब मान लीजिये कि भविष्य में पूँजी: उत्पाद अनुपात को घटाकर 4:1 किया जा सके और जनसंख्या में वृद्धि की दर को भी वर्तमान 2.5 प्रतिशत से घटाकर 2.25 प्रतिशत किया जा सके, तो भी रहन—सहन के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए हमें हर वर्ष राष्ट्रीय आय की 9 प्रतिशत (2.25×4) लागत लगानी होगी। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति 1 प्रतिशत उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें 13 प्रतिशत (9+4) अतिरिक्त लागत लगानी होगी तथा 2 प्रतिशत उत्पाद बढ़ाने के लिए 17 प्रतिशत अतिरिक्त लागत लगानी होगी। लघुगणकीय रीति से हिसाब लगाने पर पता चलता है कि वर्तमान रहन—सहन के स्तर को दो गुना ऊँचा उठाने के लिए हमें 51 वर्ष तक 17 प्रतिशत की दर से पूँजी लगानी होगी। और राष्ट्रीय आय व बचत का अनुपात 1950—51 में 5 प्रतिशत, 1955—56 में 6.3 प्रतिशत, 1960—61 में 3.5 प्रतिशत, 1965—66 में 4.1 प्रतिशत, और 1971—72 में 4.8 प्रतिशत था।

हमारी अत्यधिक जनसंख्या (व उसकी संभावित वृद्धि) तथा मानवीय कमियों की वजह से हमारी बचत की दर इतनी कम है। यह एक ऐसी अकाट्य व ठोस सच्चाई है जिसे अधिक पूँजी—प्रधान व भारी उद्योगों की विकालत करने वाले भूल गये हैं। इसी सच्चाई ने उन लोगों को गुलत साबित कर दिया। वह लोग सही थे जो कम पूँजी—प्रधान विकेन्द्रित उद्योगों के लिए कहते थे।

उन छोटे—छोटे देशों को छोड़ भी दें, जैसे आयरलैण्ड, प्यूर्टो रिको और लिबिया जिन की जनसंख्या 30 लाख के आसपास है, वर्ल्ड बैंक एटलस (1975) के अनुसार दुनिया में केवल 22 देश ऐसे हैं जहाँ प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी० एन० पी०) दो हजार डालर से अधिक है। कृषि में लगे श्रमिकों की प्रतिशतता सोवियत संघ में 32 और पोलैण्ड में 38 है—यह 25 प्रतिशत से अधिक होने की वजह से इन दोनों को आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में नहीं गिना जा सकता यद्यपि उनकी जी० एन० पी० बहुत अधिक है। बाकी रहे 20 विकसित देश। उनमें से दो अर्थात् लोकतांत्रिक गणवादी जर्मनी व चेकोस्लोवाकिया तीस वर्ष पहले कम्युनिस्ट कैम्प में खींच लिये जाने तक जर्मनी का हिस्सा थे और उन्होंने आर्थिक दृष्टि से काफ़ी तरक्की कर ली थी। अब 18 देश बचे जिनके आर्थिक विकास की पद्धति का हमें अध्ययन करना चाहिए। इनमें से इस्त्राईल व स्विटजरलैण्ड को

निकाल दीजिये तो बाकी 16 को आठ—आठ की दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक श्रेणी में आते हैं नीदरलैण्डस, बेलजियम, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क और फ्रांस। इन देशों में जनसंख्या की सघनता के अनुपात में बहुत थोड़े प्राकृतिक साधन थे। उन्होंने उपनिवेशों व अन्य देशों पर कब्जा करके प्राकृतिक साधनों की कमी को पूरा किया। दूसरी श्रेणी में आते हैं ऑस्ट्रिया, नार्वे, स्वीडन, अमेरिका, न्यूजीलैण्ड, फिनलैण्ड, कनाडा और आस्ट्रेलिया। इनके पास जनसंख्या की सघनता के अनुपात में बहुत अधिक भौतिक साधन थे (जिसकी वजह से दूसरे देशों पर कब्जा करने की न उन्हें जरूरत थी, न उसके लिए उनके पास बहाना था)। अपने संसाधनों से वह अपने कारखानों के लिए कच्चा माल पैदा करने के साथ—साथ इतना खाद्यान्न पैदा कर सकते थे जो उनकी देहाती आबादी की जरूरतों से ज्यादा था और औद्योगिक मज़दूरों तथा पूँजी—निर्माण में लगे लोगों को खिलाने के लिए काफ़ी था।

अन्य किसी देश को पूरी तरह से विकसित या आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता—सोवियत संघ को भी नहीं जिसकी प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद केवल 2,030 डालर है। कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका व भारत को छोड़कर अन्य सभी देशों में प्रति व्यक्ति भूमि अथवा प्राकृतिक साधनों की बहुलता है, फिर भी वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। वे अपने प्राकृतिक साधनों को देखते हुए रहन—सहन का जितना ऊँचा स्तर प्राप्त कर सकते थे, नहीं कर पाये। इसका मुख्य कारण है उनके पास उन मानवीय गुणों का अभाव जो विकसित देशों के पास हैं (और जिन गुणों के कारण उनमें से कुछ देश विदेशी भूमि खण्डों पर कब्जा कर सके)।

सोवियत संघ द्वारा सफलता न प्राप्त करने का एक और भी कारण है—कम्युनिस्टों ने किसानों को उनकी मर्जी के खिलाफ खदेड़कर सामूहिक खेतों के साथ बांध दिया जिससे सामूहिक खेतों की उत्पादकता इतनी कम है कि उनसे किसान छुटकारा नहीं पा सकते। ऊपर जिन चार देशों का उल्लेख किया गया है उनमें से पाकिस्तान, श्रीलंका व भारत में संसाधनों की कमी है और वहाँ के लोगों में विकसित देशों के रहने वालों जैसे गुणों का अभाव है, लेकिन कोरिया ने हाल में काफ़ी प्रगति की है हालांकि अभी वह विकसित देश नहीं बना है।

नीदरलैण्डस तथा अन्य (उपरोक्त पहली श्रेणी में उल्लिखित) विकसित देशों को जो सुविधाएँ प्राप्त थीं, भारत को उपलब्ध नहीं हैं।

नैतिकता को छोड़ भी दिया जाये, तो भी अब ऐसे उपनिवेश व आश्रित देश हैं ही नहीं जिनका शोषण किया जा सके। हमने विश्व रंगमंच पर उस समय प्रवेश किया है जब दूसरे देशों की जनता व उनके साधनों का शोषण कर सकना असम्भव है। और फिर सभी अल्पविकसित देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अगर बिलकुल नहीं, तो बहुत थोड़ी ही विदेशी मण्डियां ऐसी हैं जिनका हम शोषण कर सकें या जहां अपनी औद्योगिक वस्तुओं को बेच सकें।

शायद भारत एक सौ वर्ष पहले ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना औद्योगीकरण करता तो उसके लिए विकास का पश्चिमी मार्ग खुला हुआ होता – एक सौ वर्ष पहले इस पूरे महाद्वीप की कुल जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक नहीं थी, मृत्यु दर ऊँची थी, जनसंख्या वृद्धि की दर आधे प्रतिशत से भी कम थी और उद्योगों में लगाने के लिए तब आज की जितनी अधिक पूँजी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज वह रास्ता पूरी तरह बन्द है। भारी उद्योग को जितनी पूँजी चाहिए उतनी न तो हमारे पास फालतू है और न हम जमा कर सकते हैं, और न ही भारी उद्योग आज के भारत की अत्यधिक जनसंख्या को रोज़गार दे सकते हैं।

इतना तो स्पष्ट है कि सोवियत संघ के उदाहरण का अनुकरण भारत के लिए उपयोगी नहीं होगा। अगर दो परिस्थितियाँ एक जैसी हों तो उत्पादन बढ़ाने में पूँजीवाद अधिक दक्ष रहेगा, कम्युनिज्म कम दक्ष। चीन से भी कुछ सीखने का प्रश्न नहीं उठता। कम्युनिज्म के अन्तर्गत सोवियत संघ अपने विशाल संसाधन के रहते हुए भी अपनी जनता के रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठाने में बहुत सफल नहीं रहा तो चीन जिसके पास साधन कम हैं, सफलता की आशा कम ही कर सकता है। यद्यपि चीन के सम्बन्ध में विश्वसनीय सूचना तो उप–लब्ध नहीं है लेकिन अगर चीन को भारत की तुलना में कुछ सफलता मिली है और चीनवासी भारतवासियों की अपेक्षा अच्छा खाते व अच्छा पहनते हैं तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि उसने गांधी की एक से अधिक शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया है। ऐसे सूत्रों से जिनकी सत्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता, यह मालूम हुआ है कि 1962 से माओ त्से–तुंग ने न केवल कृषि को प्राथमिकता दी, अपितु अपने देश के निर्माण के लिए बड़ी–बड़ी मशीनीकृत योजनाओं व उद्योगों की अपेक्षा मानव श्रम व विकेन्द्रित श्रम–प्रधान उद्यमों पर अधिक भरोसा किया। तो हम इस अकाट्य परिणाम पर पहुँचते हैं कि भारत में पूँजी प्रधान

अभिरचना के लिए जिस मात्रा में पूँजी चाहिए वह हम घरेलू बचत से प्राप्त नहीं कर सकते—और जितनी जल्दी यह पूँजी चाहिए उतनी जल्दी तो हर्गिज प्राप्त नहीं कर सकते—चाहे यहाँ जनतंत्रीय व्यवस्था हो चाहे कम्युनिस्ट।

लेकिन एक जगह थी जहाँ से हम सहायता प्राप्त करने की आशा कर सकते थे—अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी। वहाँ से सहायता प्राप्त करने के औचित्य की पश्चिमी अर्थशास्त्री व्याख्या कर चुके हैं—उनमें से रेंजर नसंके व आर्थर लेविस के नाम उल्लेखनीय हैं। उनकी दलील यह है कि गरीब देश एक दुश्चक्र में फँसे हुए हैं—क्योंकि आय कम है इसलिए बचत कम है, क्योंकि बचत कम है इसलिए निवेश कम होता है, क्योंकि निवेश कम है इसलिए उत्पादकता कम है, क्योंकि उत्पादकता कम है इसलिए आय कम है। इसलिए भारत या किसी भी अन्य गरीब देश के लिए उचित अवधि के अन्दर ऊपर उठने के लिए उसके अपने प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं। यह दलील दी गयी कि क्योंकि इस दुश्चक्र के बाहर निकला नहीं जा सकता इसलिए भारत का प्रचुर विकास बिना विशाल विदेशी सहायता के सम्भव नहीं है।

नेहरू इस दलील का शिकार हो गये, हालांकि अनेक अर्थशास्त्रियों व देश के शुभचिंतकों ने उनको इसके विपरीत सलाह दी थी। एक रास्ता हमारे लिए और भी खुला हुआ था जो महात्मा गांधी ने हमें दिखाया था—देश का धीरे—धीरे व धैर्यपूर्वक अपने संसाधनों के सहारे नीचे से निर्माण किया जाये। लेकिन नेहरू तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वह तो अमेरिका व सोवियत संघ की तरह की एक औद्योगिक अभिरचना की स्थापना करने पर तुले हुए थे। इसलिए उन्होंने सारा ध्यान व सारी मेहनत विदेशी पूँजी व विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में लगा दी। यही नहीं, उन्होंने सारे सम्भव घरेलू संसाधन भी भारी उद्योग में लगा दिये और खाना, पानी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य की आवश्यकताओं तक की भी उपेक्षा की।

६

समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था

पश्चिमी साहित्य में वर्णित जनतन्त्र में दृढ़ विश्वास रखने और साथ ही, रूसी क्रान्ति के उद्देश्यों से आकर्षित होने की वजह से भारतीय राज-नेताओं में से अधिकतर एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के स्वप्न देखते थे जिसमें न केवल किसी का शोषण न हो सके बल्कि हर एक को अपनी उन्नति के लिए अवसर भी मिल सके। उनके इस स्वप्न में जनतन्त्रीय स्वतन्त्रताओं व आर्थिक समानता के साथ तेज गति से आर्थिक विकास की परिकल्पना भी निहित थी। इसलिए नेहरू के प्रभाव में लाकर उन्होंने समाजवाद व पूँजीवाद में समझौता करके 'मिश्रित' अर्थव्यवस्था स्वीकार कर ली जिसमें राष्ट्र के भौतिक संसाधनों पर कुछ राज्य का व कुछ नागरिकों का स्वामित्व रहे और कुछ को राज्य चलाये कुछ को नागरिक-दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र एक साथ चलें। शायद यही वजह है कि भारत में बड़े व्यवसायी भी समाजवाद में विश्वास रख सकते हैं और उसे व्यावहारिक नीति-उद्देश्य मान सकते हैं।

कांग्रेस पार्टी ने जनवरी 1964 में अपने भुवनेश्वर अधिवेशन में 'संसदीय जनतन्त्र पर आधारित समाजवादी राज्य' की स्थापना को अपना उद्देश्य घोषित किया। सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने औपचारिक रूप से जनवरी 1955 में अवाडी अधिवेशन में समाजवाद का शोशा छोड़ा था लेकिन कांग्रेसजन को आज तक यह नहीं मालूम है कि वे ठीक-ठीक क्या चाहते हैं। इतने वर्ष सत्तारूढ़ रहने पर भी नेहरू स्वयं यह कभी स्पष्ट नहीं कर सके कि जो उद्देश्य उन्होंने देश के सामने रखा है उसकी और जाने के लिए सुनिश्चित मार्ग कौन-सा है।

जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए (प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में) नयी कांग्रेस ने जनवरी 1971 में अपने चुनाव घोषणापत्र में यह दो टूक घोषणा की थी कि कुछ हाथों में आर्थिक सत्ता व सम्पत्ति को केन्द्रित होने से रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों को छोड़कर "निजी सम्पत्ति का एक संस्था के रूप में उन्मूलन करने का

कोई इरादा नहीं है।” दूसरी ओर, अपनी नीतियों के ‘समाजवादी’ चरित्र पर बल देने के लिए श्रीमति इन्दिरा गांधी ने अगले वर्ष भुवनेश्वर में घोषणा की कि “घरेलू व विदेशी नीतियों पर कम्युनिस्टों व कांग्रेस का चिन्तन एक समान है।”¹

लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संचालन की आलोचना होने लगी तो उन्होंने समय—समय पर सार्वजनिक समारोहों में यह कहना शुरू किया कि समाजवाद का अर्थ सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं है और सरकार किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण तभी करेगी जब ऐसा करना बिलकुल जरूरी होगा। गांधीनगर (गुजरात) में 9 और 10 अक्टूबर 1972 को—समाचारपत्रों के अनुसार इस काल्पनिक विचार का खण्डन किया कि “राष्ट्रीयकरण अपने में ही एक समाजवादी कार्य है।”

गांधीजी का यह स्पष्ट मत था केवल उन बड़ी—बड़ी परियोजनाओं व उद्योगों को ही कम—से—कम संख्या में सरकार को अपने अधिकार अथवा स्वामित्व में लेना चाहिए जो बिलकुल जरूरी हों। उन्होंने कहा था:

“जो बात मैं चाहूँगा वह तो यह है कि सत्ता राज्य के हाथों में केन्द्रित न हो बल्कि द्रस्ट्रीशिप की भावना का विस्तार हो क्योंकि मेरा मत है कि राज्य की हिंसा की अपेक्षा निजी स्वामित्व की हिंसा कम हानिकारक है। लेकिन यदि अनिवार्य हो तो मैं न्यूनतम राज्य—स्वामित्व ही का समर्थन करूँगा।”²

समाजवादी व्यवस्था के बारे में जिसमें सम्पत्ति का स्वामी राज्य हो, गांधी क्या सोचते थे यह तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने राज्य को एक विशालकाय जन्तु बनने देने के विरुद्ध देश को बार—बार सचेत किया था।

“स्वराज्य का अर्थ है सरकार के नियन्त्रण से—चाहे सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय—स्वतन्त्र होने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना। यदि लोग यह आशा करेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र का नियन्त्रण सरकार करे तो वह बेकार का स्वराज्य होगा।

1 ‘टाइम्स ऑफ इण्डिया’, 10 फरवरी 1974

2 ‘एन इण्टरव्यू विद गांधीजी’, ‘मार्डन रिव्यू’, अक्टूबर 1935।

“वही राष्ट्र सच्चे अर्थ में जनतन्त्रीय है जो बिना अधिक सरकारी हस्तक्षेप के अपने काम सुगमता व कारगर ढंग से कर ले। जहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है, सरकार का वह रूप नाम मात्र को ही जनतन्त्रीय है।

“मैं सरकार की शक्ति में वृद्धि से बहुत डरता हूँ क्योंकि वह लोगों का शोषण कम—से—कम होने देकर कहने को तो उनका भला करती है लेकिन वह इस प्रकार व्यक्तित्व को नष्ट करके उनको अधिकतम हानि पहुँचाती है, क्योंकि व्यक्तित्व ही तो हर प्रकार की प्रगति का मूल स्रोत है।”

समाजवाद का अनिवार्य रूप से अर्थ है ऊपर से नीचे तक नियोजन और इससे स्वतन्त्रता की जड़ें खोखली हो जाती हैं क्योंकि इसमें लोगों को अपने निर्णय के अनुसार काम करने देने के बजाय आदेशों का पालन करने के लिए विवश किया जाता है। लेकिन गांधीजी ने जैसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी उसमें नियोजन की प्रक्रिया नीचे से आरम्भ होकर ऊपर तक चलती जाती है। ऐसा हो तो हर एक के हितों को सभी की खुशहाली के साथ संलग्न किया जा सकता है जिससे जनतन्त्र का उद्देश्य सिद्ध होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र

समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए कारखानों व उत्पादन के अन्य साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व की माँग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में उठायी गयी थी ताकि मज़दूरों का शोषण रोका जा सके। तब तक मज़दूरों को मतदान का अधिकार नहीं था, हड्डताल का अधिकार नहीं था, अपने संघ बनाने का अधिकार नहीं था और मनमाने ढंग से नौकरी से हटा दिये जाने के बारे में उनको किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। यह भी समझा जाता था कि कारखाने पर सार्वजनिक स्वामित्व होने से श्रमजीवी का रुतबा बढ़ जायगा और व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक जनतन्त्रीय व समाजवादी बन जायेगी। यह भी समझा जाता था कि राज्य तो उद्योग को सार्वजनिक हित में चलायेगा जबकि पूँजीवादी उसे निजी स्वार्थ के लिए चलाता है, इसलिए सरकारी प्रबन्ध से उसकी दक्षता बढ़ जायेगी।

जहाँ तक पहले उद्देश्य का सम्बन्ध है, वह तो अब संगत नहीं

रहा। औद्योगिक मज़दूरों के अधिकाधिक सर्वहारा बनने के बारे में कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। पूँजीवादी देशों में पुराने ढंग के मज़दूर वर्ग के साथ और कुछ हुआ हो या न हुआ हो, उदारवादी पूँजीवाद ने उपभोक्ता वस्तुओं का इतनी प्रचुर मात्रा में और इतने नियमित रूप से उत्पादन करके, कि कभी पूर्ति का प्रवाह रुकने न पाये, सार्वजनिक गरीबी को उन दिनों की याद-भर बना दिया है जब राजाओं के दैवी अधिकार माने जाते थे।

सार्वजनिक क्षेत्र या समाजवाद का अर्थ है निजी सम्पत्ति का उन्मूलन, लेकिन निजी सम्पत्ति खत्म करने भर से ही तो मज़दूरों का शोषण खत्म नहीं किया जा सकता। नोकरशाही की रोकथाम की समस्या तो बनी रहती है और क्योंकि यह मानव व्यवहार का प्रश्न है, इसका कोई हल नज़र नहीं आता। हमारे देश में अधिकतर बड़े सार्वजनिक उद्यमों में मज़दूर-प्रबन्धक सम्बन्ध यदि घोटाले में पड़े हुए हैं तो इसलिए कि श्रेणियों में विभक्त अफ़सरशाही मज़दूरों से बहुत दूर रहती है। आशा थी कि सरकार अपने आदर्श व्यवहार से निजी क्षेत्र के मालिकों के लिए एक मिसाल बन जायेगी, लेकिन यह हुआ नहीं।

सार्वजनिक स्वामित्व अथवा राष्ट्रीयकरण से मज़दूर को नया रुतबा नहीं मिला है और न इससे मज़दूरों को अपने कारखानों, मशीनों व काम से कोई लगाव पैदा हुआ है। ताकतवर मज़दूर सभाओं के समर्थन के बावजूद, व्यक्तिगत रूप से हर कर्मचारी यह अनुभव करता है कि उसे अपने काम की परिस्थितियों पर कोई वास्तविक नियन्त्रण प्राप्त नहीं है और एक प्रकार के मालिकों से दूसरी तरह के मालिकों के पास उसकी बदली हो गयी है।

सार्वजनिक स्वामित्व द्वारा अधिक समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ने तथा नये इजारेदारों को पैदा होने से रोकने की भी बात थी। लेकिन मालूम हुआ कि यह काम तो दूसरे उपायों से हो सकता है जैसे कर लगाकर, कीमतों पर नियन्त्रण करके, उत्पाद के गुणों के बारे में पाबन्दी लगाकर, ऐसे सामाजिक कानून पास करके जिनके द्वारा बुढ़ापे में पेंशन व बीमारी में सुविधाएँ दी जायें, तथा मज़दूर-सभाओं की प्रतिकारी शक्ति से। इंग्लैण्ड व अमेरिका में इन उपायों के प्रयोग से पिछली चौथाई शताब्दी में अमीरों व गरीबों के दरम्यान फ़र्क बहुत कम हो गया है लेकिन भारत में जहाँ औद्योगिक क्षमता का 60 प्रतिशत राज्य के स्वामित्व में है, यह फ़र्क बहुत बढ़ा है।

31 मार्च 1976 को केन्द्रीय सरकार के आधीन 139 सार्वजनिक संस्थान थे जिनमें से आठ निर्माणाधीन थे, सात बीमा निगम थे, तीन कम्पनी ऐक्ट की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत थे, 42 सेवा उद्यम थे और शेष 79 उत्पादन में लगे थे। उनकी संख्या व उनमें पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक लगी पूँजी अगले पृष्ठ पर तालिका में दी जा रही है:

| अवधि | कुल लागत (करोड़ रुपयों में) | इकाइयों की संख्या |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| पहली योजना के शुरू में | 29 | 5 |
| दूसरी योजना के शुरू में | 81 | 21 |
| तीसरी योजना के शुरू में | 953 | 48 |
| तीसरी योजना की समाप्ति पर (31 मार्च 1966 को) | 2,415 | 74 |
| 31 मार्च 1967 को | 2,841 | 77 |
| 31 मार्च 1968 को | 3,333 | 83 |
| 31 मार्च 1969 को | 3,902 | 85 |
| 31 मार्च 1970 को | 4,301 | 91 |
| 31 मार्च 1971 को | 4,692 | 97 |
| 31 मार्च 1972 को | 5,052 | 101 |
| 31 मार्च 1973 को | 5,571 | 122 |
| 31 मार्च 1974 को | 6,237 | 122 |
| 31 मार्च 1975 को | 7,261 | 129 |
| 31 मार्च 1976 को | 8,973 | 129 |

31 मार्च 1976 को सरकारी स्वामित्व के सार्वजनिक संस्थानों में 8,973 करोड़ रुपये की लागत लगी हुई थी जो देश के सभी संगठित उद्योगों में लगी पूँजी के आधे के करीब है। यदि नक्द ऋण प्रबन्धों के आधीन बकाया (2,023 करोड़) शामिल कर लिया जाये तो यह रकम 10,966 करोड़ रुपया हो जायगी। इसमें से भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, और बोकारो स्टील लिमिटेड में ही लगभग 2,570 करोड़ की लागत लगी है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगी कुल लागत का 28.6 प्रतिशत है। इसमें से 2,300 करोड़ रुपया से कुछ

अधिक हिन्दुस्तान स्टील व बोकारो में लगा है जिसमें चौथी योजना के अवधि में बोकारो में लगा 872 करोड़ रुपया भी शामिल है।

सार्वजनिक क्षेत्र की लागत पर—और इसलिए उसके प्रतिलाभ पर भी—रिश्वत, बेकार पड़ी क्षमताओं तथा अकुशलता ने भी अतिक्रमण किया है। बही—खातों में दिखायी गयी लागत का बहुत बड़ा अंश—20 से 40 प्रतिशत तक—रिश्वत के जरिये निजी आय में बदल जाता है—उसकी मात्रा इस पर मुनहसिर है कि परियोजना कौन—सी है और सम्बन्धित व्यक्ति कौन हैं। इसलिए वास्तविक लागत बहीखातों में दिखायी गयी रकम से उतनी कम होती है जितनी रिश्वत के रूप में कई नाम से दी जाती है। और फिर वास्तविक लागत का भी एक भाग (अर्थात् रिश्वत में दी गयी रकम निकालकर जो रकम दी गयी, उसका भी एक भाग) बेकार पड़ी क्षमता के रूप में गतिहीन हो जाता है। गतिहीन लागत से जिन पूँजी—संसाधनों का वह प्रतीक है, वे भी बेकार जाते हैं। कच्चे माल व सहायक माल की बर्बादी जरूरत से ज़्यादा कर्मचारियों के रखने और मशीनों की अकुशल देखरेख की वजह से उत्पाद की कीमत, उसकी क्वालिटी व उसकी मात्रा पर भी उलटा असर पड़ता है; इसका नतीजा यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में लगी स्थिर पूँजी की प्रति इकाई बढ़ने वाला मूल्य सबसे कम है—निजी क्षेत्र के कारखाने का छठवाँ भाग ही है। नीचे दी गयी तालिका के कालम 2 व 3 में दिये गये आंकड़े भारत सरकार के प्रकाशन एनुअल सर्वे ऑफ़ इण्डस्ट्रीज, 1970, से लिये गये हैं।

| किस प्रकार का स्वामित्व है | प्रति कर्मचारी स्थायी पूँजी रु० में | प्रति कर्मचारी बड़ा मूल्य रु० में | लागत पूँजी पर बड़ा मूल्य (3/2) |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| सार्वजनिक क्षेत्र | 48,923 | 6,146 | 0.125 |
| संयुक्त क्षेत्र | 27,490 | 7,592 | 0.276 |
| निजी क्षेत्र | 9,256 | 6,927 | 0.748 |
| सभी क्षेत्र | 19,656 | 6,762 | 0.344 |

विदेशी ऋण व सहयोग

सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग की स्थापना के साथ—साथ मौजूदा निजी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ नावाजिब ढंग से बढ़ा है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो अंग्रेज़ रिजर्व बैंक में 1,180 करोड़ रुपये के सिक्के व सोना तथा अन्य कीमती धातुएँ छोड़कर गये थे। इसके अलावा इंग्लैण्ड 1,733 करोड़ रुपये का देनदार था (हमारा कर्जदार था) और हमें युद्ध—पूर्व ऋण के भुगतान में 425 करोड़ रुपये मिलने थे और 115 करोड़ रुपये ब्रिटिश साम्राज्य के पास जमा डॉलरों में से हमारे हिस्से के रूप में हमें मिलने थे। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 3,453 करोड़ रुपये थे। परन्तु आज स्वतन्त्रता के बाद निर्यात की मात्रा बढ़ जाने व विदेशी शासकों के रख—रखाव के लिए रुपया भेजना बन्द हो जाने पर भी भारत कर्ज का शिकार हुए देशों में सबसे पहले गिना जाता है।

1972 में भारत का विदेशी ऋण उसकी राष्ट्रीय आय का 20.2 प्रतिशत था जो उन सभी देशों से अधिक मात्रा थी जिनके आँकड़े उपलब्ध हैं।

1950—51 तक हम वह सभी धन, जो अंग्रेज़ यहाँ छोड़ गये थे, पानी की तरह बहा चुके थे और हम विदेशों के 32 करोड़ रुपये के कर्जदार हो चुके थे। आगामी पृष्ठ की तालिका से मालूम होगा कि हमें 1951—76 की अवधि में 17,654.6 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मिली जिसमें से 1,288.8 करोड़ रुपया अर्थात् 7.3 प्रतिशत हमें पूर्णतः अनुदान के रूप में मिला। इस 17,654.6 करोड़ की राशि में वह बीस लाख मीटरी टन गेहूं शामिल नहीं है जो हमें 1972—73 में सोवियत संघ से इसलिए मिला था कि हम ईरान से मँगाये गये तेल के एक अंश का भुगतान कर दें। और न इसमें 1,664 करोड़ रुपये की वह भारी रकम शामिल है जो अमेरिका के पी० एल० 480 के अंतर्गत हमारे ऊपर कर्ज के तौर पर थी और जिसे अमेरिका ने 1974 में बट्टेखाते में डाल दिया। यह जो कर्ज की 17,654 करोड़ रकम है उसमें से मार्च

1976 तक हमने 3,435.8 करोड़ रुपया मूलधन की मद में और 1,989.8 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में यानी कुल मिलाकर 5,425.6 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया। 1976–77 में कर्ज़—अदायगी के लिए हमें 760.7 करोड़ रुपया देना था, जिसका अर्थ है कि हमें कुल 6,186.3 करोड़ का भुगतान करना बाकी था।

कुल विदेशी सहायता, अनुदानों, कर्ज़ों व सर्विस चारों का हिस्सा, और प्राप्त वास्तविक सहायता

(करोड़ रुपयों में)

| अवधि | कुल विदेशी सहायता* | कुल सहायता में अनुदान का हिस्सा | कुल ऋण सर्विसिंग (ऋण का भुगतान + ब्याज का भुगतान) † | वास्तविक सहायता |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| पहली योजना तक | 317.7 | 34.8 | 23.8 | 293.9 |
| दूसरी योजना के दौरान (1956–61) | 2252.6 | 11.2 | 119.4 | 2,133.2 |
| तीसरी योजना के दौरान (1961–66) | 4531.0 | 3.7 | 542.6 | 3,988.4 |
| 1966–67 | 1131.4 | 8.6 | 274.5 | 856.9 |
| 1967–68 | 1195.6 | 5.1 | 333.0 | 862.6 |
| 1968–69 | 902.6 | 7.2 | 375.0 | 527.6 |
| 1969–70 | 856.3 | 3.0 | 412.5 | 443.8 |
| 1970–71 | 791.4 | 5.5 | 450.0 | 341.4 |
| 1971–72 | 834.1 | 6.1 | 479.3 | 354.8 |
| 1972–73 | 666.2 | 1.8 | 507.4 | 158.8 |
| 1973–74 | 999.3 | 2.4 | 595.8 | 403.5 |
| 1974–75 | 1337.4 | 7.0 | 626.0 | 711.4 |
| 1975–76 | 1839.0 | 15.4 | 686.3 | 1,152.7 |
| जोड़ | 17,654.6 | 7.3 | 5,425.6 | 12,229.0 |

स्रोतः इकॉनॉमिक सर्वे, 1976–77, तालिका 7.4 और 7.6, पृ० 114 व 116

- * विदेशी मुद्रा में दिखायी गयी रकम को अवमूल्यनोत्तर दर के (एक डालर बराबर 750 रुपये के) आधार पर 1970–71 तक रुपयों में बदल दिया गया है। 1972–73 के लिए रुपयों के आँकड़े उन केन्द्रीय दरों के आधार पर लिये गये हैं जो दिसम्बर 1971 के मुद्रा पुनरांकन के बाद प्रचलित थे। 1973–74 के लिए रुपये समकक्ष आंकड़ों पर पहुंचने के लिए उपयोगिता के तिमाही आंकड़ों पर व्यक्तिगत दाता मुद्रा के साथ रुपये की विनिमय दर की तिमाही औसत लागू की गयी है। 1974–75 के लिए उपयोगिता सम्बन्धी आँकड़े चालू दरों पर निकाले गये हैं। 1975–76 के लिए उपयोगिता सम्बन्धी आँकड़े व्यक्तिगत दाता मुद्रा के साथ उन तारीखों की वैनिक दरों पर आधारित हैं।
- + इन आंकड़ों का सम्बन्ध उन अदायगियों से है जो विदेशी मुद्रा व वस्तुओं के निर्यात से की गयी। पहली तीन योजनाओं के लिए रुपये में परिवर्तन अवमूल्यन पूर्व विनिमय (1 डालर बराबर 4.7619 रुपये के) दर पर किये गये हैं। और 1970–71 तक, बाद के तीन वर्षों के लिए यह परिवर्तन अवमूल्यनोत्तर विनिमय (1 डालर बराबर 7.50 रुपये) दर पर किये गये हैं।

सहयोग

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना था कि विदेशी पूँजी के प्रयोग का एक तरीका तो कर्ज़ लेना है, दूसरा तरीका है ऐसे विदेशी पूँजी लगाने वालों को आकर्षित करना जो भारत में मशीनें व कारखाने लगाने में दिलचस्पी रखते हों। यह कारखाने रोज़गार तो देंगे ही, साथ में तकनीकी जानकारी तथा प्रबन्ध-दक्षता भी मुहैय्या करेंगे और भारत में तकनीकी जानकारी व प्रबन्धकीय दक्षता की कमी है। पूँजी व उस पर ब्याज की वापसी का या राजनीतिक शर्तों का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। इसलिए 'सहयोग' के नाम पर विदेशी पूँजी आमन्त्रित की गयी।

पहले ही कहा जा चुका है कि नेहरू तो उद्योग के मूर्ति पूजक थे। वह विदेशी पूँजी को लाने के लिए—चाहे वह क़र्ज़ों की शक्ल में हो चाहे विदेशी पूँजीपतियों द्वारा यहाँ लगायी गयी हो—कमर कसकर जुट गये। उस समय भी कुछ लोगों ने इस नीति से पैदा हो सकने वाले खतरों के बारे में सचेत किया था। वह चेतावनियाँ सही साबित हुईं। अब मालूम होता है कि भारतीय वित्तीय संसाधनों का विदेशियों द्वारा लूटे जाने का ही दूसरा नाम विदेशी सहयोग है।

इण्डिया इंवेस्टमेंट सेन्टर के अध्यक्ष आर० एस० भट्ट ने 20 अगस्त 1975 को नई दिल्ली में एक समाचार-सम्मेलन में बड़े गर्व के साथ कहा कि कई विदेशी कम्पनियों की राय है कि उनके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्त 'उचित व वाजिब' हैं और दुनिया में किसी अन्य देश में विदेशी कम्पनियों को 74 प्रतिशत तक इकिवटी शेयर लेने की इजाजत नहीं है।

इस नीति का नतीजा यह हुआ है कि स्वतन्त्रता मिलने पर जो विदेशी पूँजीपति अपना बोरिया-बिस्तर बाँधे यहाँ से चले जाने के लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने यहाँ बने रहना तय कर लिया। और, भारत में लगी विदेशी पूँजी बढ़ने लगी। 1948 में हमारे यहाँ 260 करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी थी जो बढ़कर मार्च 1969 में 1,611.8 करोड़ और 1973 में 1,863 करोड़ हो गयी—और यह हुआ तब जबकि हमारा दावा है कि हमने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शोषण से अपने देश को स्वतन्त्र कर लिया है। आज एक विदेशी शोषक के बजाय कई विदेशी शोषक हैं और उन्होंने पिछले 25 वर्ष में हमारा शोषण पहले की अपेक्षा सात गुना बढ़ा लिया है। भारत में लगी निजी विदेशी पूँजी का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:

अलग-अलग देशों से आयी भारत में लगी विदेशी पूँजी

(लाख रुपयों में)

| देश | मार्च के अन्त में | | | | |
|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| इंग्लैण्ड | 6,36,70 | 6,17,90 | 6,17,50 | 6,41,00 | 6,49,60 |
| अमेरिका | 4,33,90 | 4,31,30 | 4,56,70 | 4,84,80 | 5,09,70 |
| पश्चिमी जर्मनी | 1,04,00 | 1,15,70 | 1,19,60 | 1,36,70 | 1,56,20 |
| इटली | 73,40 | 90,20 | 91,10 | 84,00 | 78,70 |
| जापान | 81,40 | 71,30 | 60,30 | 54,70 | 49,30 |
| स्विटज़रलैंड | 32,40 | 44,50 | 46,30 | 46,40 | 48,80 |
| फ्रांस | 56,00 | 53,20 | 48,10 | 49,50 | 47,20 |
| कनाडा | 18,50 | 20,60 | 23,80 | 28,00 | 29,80 |
| स्वीडन | 18,60 | 18,80 | 19,50 | 20,20 | 20,50 |

| देश | मार्च के अन्त में | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अन्य देश | 76,60 | 96,20 | 1,11,50 | 1,20,30 | 1,18,30 |
| अन्तर्राष्ट्रीय | 87,80 | 81,20 | 85,20 | 90,10 | 1,08,20 |
| संस्थाएँ | | | | | |
| कुल जोड़ | 16,19,30 | 16,40,90 | 16,79,60 | 17,55,70 | 18,16,30 |

स्रोत: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, मई 1976

विदेशी कम्पनियां विभिन्न रूपों में रुपया बाहर भेजती हैं। 1972-73 में उन्होंने 88 करोड़ 88 लाख रुपया बाहर भेजा। 1971-72 और 1972-73 में बाहर भेजी गयी रकम का ब्योरा नीचे दिया जाता है:

| शीर्ष | (लाख रुपयों में) | |
|-------------------------------------|------------------|---------|
| | 1971-72 | 1972-73 |
| मुनाफे | 9,94 | 15,54 |
| लाभांश | 38,87 | 39,08 |
| रायल्टी | 5,86 | 7,33 |
| तकनीकी जानकारी | 13,90 | 11,33 |
| निजी क्षेत्र द्वारा ब्याज का भुगतान | 12,13 | 15,60 |
| कुल जोड़ | 80,70 | 88,88 |

संसद की सार्वजनिक संस्थान समिति इस नतीजे पर भी पहुंची है कि भारत में आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने पर भी सार्वजनिक संस्थान उसके लिए बिना सोचे—समझे विदेशी तकनीकी सहयोग के समझौते करते रहे हैं। लोक सभा को दी गयी अपनी 80वीं रिपोर्ट में समिति ने इस तरह के कई उदाहरण दिये हैं जिनमें स्थानीय सार्वजनिक संस्थानों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी के लिए निजी कम्पनियों ने विदेशियों से सहयोग के लिए समझौते किये। एक उदाहरण यह है कि हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स, पुणे के पास नाइट्रोटेलोयूम की प्रौद्योगिकी मौजूद थी, फिर भी बम्बई की एक फर्म ने इसके लिए विदेशी सहयोग का समझौता कर लिया। एक उदाहरण यह है कि इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड ने ऑक्सीजन के एक प्लांट के लिए विदेशी सहयोग का समझौता कर लिया जबकि उसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी भारत हैवी

प्लेट एण्ड वैसिल्स, विशाखापटनम, के पास उपलब्ध थी। टैक्सामको, कलकत्ता, ने एक इण्डस्ट्रियल बायलर के लिए विदेशी समझौता किया जबकि त्रिची स्थित बी० एच० ई० एल० के पास आवश्यक प्रौद्योगिकी मौजूद थी। कितनी ही अन्य मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन जो मिसालें यहाँ दी गयी हैं, वे यह बताने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार बिना सोचे—समझे विदेशी सहयोग के लिए समझौते किये जाते हैं। भारत की जनता को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हाल में ही अर्थात् 1975 में विदेशी कम्पनियों को अपनी उत्पादन क्षमता 25 प्रतिशत बढ़ाने की इजाजत दी गयी है। यदि जांच की जाय तो यह पता चलने पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे प्यारे देश की इस लूट में कुछ राजनीतिक नेता भी साझेदार थे।

आज अधिकतर गरीब देशों की तरह भारत भी धनी देशों पर न केवल विकासात्मक सहायता के लिए बल्कि प्रौद्योगिकी के लिए भी आश्रित है। विदेशी पूँजी के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी भी आयी। जब एक अन्ये को खाने के लिए आमंत्रित किया जाय तो दो आदमियों के लिए खाना पकाना चाहिए क्योंकि दोनों अभिन्न होते हैं। सच तो यह है कि विदेशी पूँजी व विदेशी प्रौद्योगिकी को जान—बूझकर आमंत्रित किया गया था। विदेशी 'सहयोग' की नीति की मुख्य वजह विदेशी पूँजी के साथ—साथ विदेशी प्रौद्योगिकी भी थी। कोई सार्वजनिक भाषण ऐसा नहीं होता था जिसमें नेहरू भारत के लिए 'उन्नत' प्रौद्योगिकी की आवश्यकता की चर्चा न करते हों। वह भूल जाते थे कि 'उन्नत' प्रौद्योगिकी का अर्थ भूमि या पूँजी की प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि काम में लगे प्रति श्रमिक या प्रति उद्यमी उत्पादन बढ़ाना है—जिसका नतीजा हुआ यह कि आयों में असमानता बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण बढ़ा, और यही वे रोग थे जिनको हमारे संविधान के निर्माता दूर करना चाहते थे।

नयी दिल्ली में 25 नवम्बर 1976 को इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स की इण्डियन नेशनल कमेटी के समक्ष भाषण करते हुए तत्कालीन विदेश मन्त्री वाई० बी० चहवाण ने यह स्वीकार किया कि "विदेशी पूँजी अपने साथ ऐसी पूँजी—प्रधान प्रौद्योगिकी लेकर आयी जो अतिरिक्त श्रम वाले देशों की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। अतिरिक्त श्रम वाले विकासोन्मुख देशों में तो पूँजी की कमी है इसलिए उसे कम खर्च करना चाहिए।" यह स्मरणीय है कि यही चहवाण थे जिन्होंने देश में "प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दूर करने के लिए" निजी विदेशी पूँजी के

आयात की नीति का समर्थन लोक सभा में किया था। बहरहाल, पास में न आवश्यक मात्रा में पूँजी है, न आवश्यक मात्रा में प्रौद्योगिकी जिसकी वजह से हम दूसरों की सहायता का सहारा लेने के ऐसे कुचक्र में फँस गये हैं जिसका कहीं अन्त नहीं है। दुख की बात है कि हमारे राष्ट्र का आर्थिक विकास विदेशी पूँजी, विदेशी मशीनों और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर है।

चीन व जापान के उदाहरण इसके विपरीत हैं। चीन ने असम्भव कठिनाइयों का सोलह वर्ष से, अर्थात् जब से सोवियत संघ ने अपने टेक्निशियन वहाँ से वापस बुला लिये थे, विदेशी उपायों व विदेशी सहायता के विरुद्ध संघर्ष किया है और अपनी समस्याओं के अपने हल खोजे हैं। जापान ने विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात तभी किया जब उसके बिना काम नहीं चल पाया। लेकिन न विदेशी पूँजी का आयात किया, न विदेशी प्रबन्ध का। जापानी अर्थशास्त्रियों के अनुसार “इस नीति का नतीजा यह हुआ है कि स्थानीय उद्यम के विकास को प्रोत्साहन मिला है और जापानी अर्थव्यवस्था के अन्दर विदेशी ‘उपनिवेश’ नहीं बन पाये हैं जैसा कि अल्पविकसित देशों में हुआ है।”

८

निजी क्षेत्र व आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण

भारतीय संविधान में लिखित निदेशात्मक तत्वों का अनुगमन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1971 में लोकसभा के चुनाव घोषणा-पत्र में यह वायदा किया था कि वह “आर्थिक सत्ता व सम्पत्ति का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण” रोकेगी क्योंकि केन्द्रीकरण “जनतन्त्र व सामाजिक न्याय की संकल्पना के विपरीत है।” लेकिन दूसरे क्षेत्रों की तरह इस सवाल पर भी अधिकृत दस्तावेजों में व्यक्त किये गये सुन्दर विचारों को आगे चलकर ठोस कदम उठाने में पूरी तरह से झुठला दिया गया। भला हो भारी उद्योग का, हमारे यहाँ हर वर्ष सम्पत्ति व आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण चौकड़ियाँ भर-भर कूदकर बढ़ रहा है। इन्दिरा गांधी के शासन के दस वर्षों में सबसे ऊपर के 10 व्यावसायिक घरानों की कुल परिसंपत्ति 1966 में 2,335 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975-76 में 5,111 करोड़ रुपये हो गयी। यह 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

18 सितम्बर 1971 के इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया में ए० एन० ओझा ने ‘भारतीय बड़ा व्यवसाय कितना बड़ा है’ शीर्षक लेख में इस वृद्धि पर बड़ी खूबी के साथ रोशनी डाली है। नीचे का विवरण उसी लेख पर आधारित है।

1966 में 290 कम्पनियाँ बिड़ला घराने के नियन्त्रण में थीं और 70 कम्पनियाँ टाटाओं के अधिकार में थीं। बांगड़ों के पास 93 कम्पनियां थीं, सूरजमल नागरमल के पास 104, मफतलाल के पास 34 और थापरों, जे० के० (सिंघानिया), श्रीराम व साहू जैन के नियन्त्रण में क्रमशः 59, 47, 36 और 29 कम्पनियाँ थीं। कुल मिलाकर 1966 में सबसे चोटी के 20 व्यावसायिक घरानों के पास, जिनमें से हर एक की परिसंपत्तियों का मूल्य 35 करोड़ रुपये से अधिक था, कम-से-कम एक सी कम्पनियाँ थीं।

आगे (पृ० 86-88 पर) दी गयी तालिका में दिये गये आँकड़ों से सबसे बड़े व्यावसायिक घरानों के आकार व उनकी निवल परिसंपत्तियों

में 1951 से 1975 तक हुई वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। इन आँकड़ों के स्रोत भी बता दिये गये हैं। यह आँकड़े अपना मतलब स्वयं बता देते हैं और उनका यहाँ उल्लेख करने की जरूरत नहीं है।

फिर भी, उनको समझने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस तालिका में शामिल करने के लिए उन 23 व्यावसायिक घरानों को छांटा गया है जो 1971 में सबसे बड़े थे। इसलिए पहले के वर्षों के लिए उन घरानों के भी आँकड़े दिये गये हैं जो पहले तो चोटी के 20 में नहीं थे लेकिन 1971 में थे। दूसरी बात यह है कि हजारी के 1951 के आँकड़े सिर्फ पब्लिक कम्पनियों के बारे में हैं और अन्त में, 1972–73 व 1975–76 के लिए इकॉनॉमिक टाइम्स के आँकड़ों की प्रामाणिकता का आश्वासन नहीं दिया जा सकता — उदाहरण के लिए उनमें सूरजमल नागरमल के बारे में आँकड़े नहीं शामिल हैं, हालाँकि यह घराना 1971 में ग्यारहवाँ था।

केन्द्रीकरण का परिमाण

हर कॉलम में कोष्ठकों में दी गयी संख्या उस घराने का आकार के अनुसार रुतबा बताती है। इन रुतबों से इन घरानों के बढ़ते हुए कदमों और मुनाफों का पता चलता है। उदाहरण के लिए 1963 में मफ़तलाल का रुतबा 16वाँ था लेकिन वह 1971 में कूदकर तीसरा हो गया। 1963 में किलोस्कर का रुतबा 36वाँ था लेकिन वह इतनी तेजी से बढ़ा कि 1971 में 15वाँ हो गया। इसके विपरीत 1966 में सूरजमल नागरमल का रुतबा छठा था लेकिन गिरकर 1971 में ग्यारहवाँ हो गया।

बड़ी विदेशी कम्पनियाँ बड़े भारतीय व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग हैं। यह इससे मालूम होता है कि देश की सबसे बड़ी कम्पनियों में लगभग 20–25 विदेशी कम्पनियाँ हैं और उनकी कुल परिसंपत्ति 20 बड़े घरानों की कुल परिसंपत्तियों के जोड़ का 15 से 20 प्रतिशत तक है। इसके अतिरिक्त 25 चोटी के घरानों में दो के—आई० सी० आई० व पैरी के—घनिष्ठ विदेशी सम्बन्ध हैं। पिछले दस वर्षों में 20 सबसे बड़ी विदेशी कम्पनियों की परिसंपत्ति में 138 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विशेष पक्षपात

दत्त कमेटी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जारी किये गये लाइसेंसों

की संख्या तथा लाइसेंसों की स्वीकृत की गयी रकम—दोनों में से 20 बड़े घरानों ने अनुपात से ज्यादा भाग प्राप्त कर लिया। जितने लाइसेंस जारी किये गये उनमें से 20 प्रतिशत इन घरानों को मिले और जितनी लागत के लिए कुल लाइसेंस जारी किये गये उसकी 41 प्रतिशत लागत इनको मिले लाइसेंसों के अन्तर्गत आ जाती है। इन 20 घरानों द्वारा लाइसेंसों के लिए दिये गये प्रार्थना—पत्रों में से केवल 20 प्रतिशत खारिज किये गये जबकि गैर—बड़े घरानों के प्रार्थना—पत्रों में से 66 प्रतिशत खारिज किये गये।

लाइसेंस जारी करने में बड़े घरानों के साथ कई विशेष तरीकों से पक्षपात किया जाता है। ये तरीके हैं: (1) जल्दी सूचना देना। विशेष पार्टियों को खास परियोजनाओं के बारे में पहले से सूचना दी जाती है और परियोजना स्वीकार किये जाने पर उसके अनुसार उन पार्टियों के आवेदन—पत्र मांगे जाते हैं (जैसे बिडलाधों की एल्यूमिनियम परियोजना)। (2) विशेष पार्टियों की सुविधा के लिए किसी विशेष वस्तु के लिए नयी उत्पादन—दक्षता पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये जाते हैं (जैसे श्रीराम की कैलशियम कारबाइड परियोजना)। (3) जल्दी से फैसला। अधिकतर प्रार्थना—पत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने में महीनों और सालों लग जाते हैं लेकिन जिन पार्टियों के साथ पक्षणत करना होता है उनके बारे में 'ऊपर से' आयी हिदायतों के अनुसार बड़ी जल्दी ही फैसला हो जाता है। इसका खास उदाहरण यह है कि एक विदेशी पार्टी (प्योर ड्रिक्स) को 'सोफ्ट ड्रिंक' (शर्बत—सोडा आदि—अनु०) बनाने के लिए महज एक दिन के अन्दर लाइसेंस जारी कर दिया गया। (4) अपर्याप्त संपरीक्षण। कुछ खास बड़े घरानों को बिना पर्याप्त छान—बीन के कुछ खास उत्पादों के लिए लाइसेंस दिये गये (जैसे बिडलाओं की रेयोन की परियोजना, कस्तूरभाई की सूपर फॉस्फेट परियोजना)। (5) 'फाइल पर' फैसले लिये जाना—अर्थात् लाइसेंसिंग की सामान्य कार्य पद्धति की अवहेलना करके निर्णय लिये गये। इस प्रकार बड़े घरानों के लगभग 50 प्रार्थना—पत्रों पर पक्षपात पूर्ण फैसले किये गये (उदाहरण के लिए बाँगड़ों की वायर प्रोडक्ट्स परियोजना)।

प्रतिद्वन्द्वियों के लिए दरवाज़े बन्द करना

पक्षपात के मामलों से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी पूँजी लगाने पर लाइसेंसिंग के प्रतिबन्धों को बड़े घराने वालों ने लाइसेंस दी

बड़े व्यावसायिक घरानों के आकार व उनकी बुद्धि: उनकी कुल परिसंपत्ति

| व्यावसायिक घराना (रक्ख) ¹ | 1951 (रक्ख) ¹ | 1958 (रक्ख) ¹ | 1963 (मईक) ² | 1966 (इलप) ³ | 1971 (कम्पनी विभाग की रिपोर्ट) | 1975-76 (इकैनॉमिक दाइस्य) | (करोड़ रुपयों में) | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------|------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| टाटा | 116 | 303 | 418(1) | 505(1) | 818(1) | 975(2) | 96 | 42.2 | |
| बिडला | 153 | 294 | 304(2) | 458(2) | 726(2) | 1065(1) | 139 | 46.7 | |
| मफतलाल | 13 | 25 | 46(16) | 93(7) | 235(3) | 284(3) | 411 | 29.9 | |
| मार्टिन बर्न | 41 | 112 | 150(3) | 153(3) | 173(4) | — | 15 | — | |
| बांगड़ | 20 | 54 | 78(5) | 104(4) | 149(5) | 196(7) | 91 | 40.0 | |
| थापर | 16 | 47 | 72(7) | 99(5) | 145(6) | 204(6) | 101 | 54.7 | |
| आई० सी० आई०. | — | — | 37(19) | 50(20) | 137(7) | 182(10) | 270 | 24.3 | |
| ए० सी० सी० | 22 | 49 | 77(6) | 90(8) | 129(8) | 169(12) | 68 | 23.3 | |
| श्रीराम | 12 | 27 | 55(12) | 74(10) | 128(9) | 187(8) | 133 | 35.6 | |
| जे० के० सिंघनिया | 37 | 39 | 59(10) | 67(12) | 119(10) | 224(4) | 102 | 63.8 | |
| सूरजमल नारामल | — | — | 81(4) | 96(6) | 114(11) | — | 41 | — | |
| वालचन्द | 13 | 20 | 55(11) | 81(9) | 103(12) | 135(17) | 87 | 35.9 | |
| साराभाई | — | — | 43(17) | 57(16) | 97(13) | 183(9) | 126 | 40.9 | |

| व्यावसायिक घराना | | 1951 (रक्ख) | 1958 (रक्ख) | 1963 (मइक) ² | 1966 (इलप) ³ | 1971 (कम्पनी) विभाग की स्थिरता | 1975-76 (इकॅनॉनिक टाइम्स) | 1963 वे 1971 में प्रतिशत वृद्धि | 1972 वे 1976 में प्रतिशत वृद्धि |
|---------------------|-----|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 48.8 |
| किलोवट एंड | — | — | 42(18) | 51(13) | — | 139 (16) | — | — | 48.8 |
| कम्पनी | — | — | 50(13) | 57(15) | 97(14) | — | 94 | — | — |
| मैकेनिल बेरी / बिनी | — | — | 19(36) | 43(23) | 95(15) | 177(11) | 400 | 54.8 | — |
| किलोस्टकर | 2 | 6 | — | 35(18) | अप्राप्य | 143(16) | — | 51.1 | — |
| बजाज | — | — | 21(30) | 59(14) | 93(16) | — | 37 | — | — |
| साहू जैन | 130 | 257 | 68(8) | — | — | — | — | — | — |
| सिंधिया | 25 | 48 | 47(14) | 56(17) | 90(17) | 217(5) | 92 | 70.9 | — |
| बर्ड हाइजर्स | 34 | 47 | 60(9) | 69(11) | 85(18) | — | — | 42 | — |
| लार्सन टोबरा | — | — | — | — | — | 114(19) | — | 109.0 | — |
| गोयनका | — | — | 47(15) | 65(13) | 79(19) | — | 68 | — | — |
| करस्टरमाई लालभाई | 13 | 22 | 34(21) | 51(18) | 76(20) | 109(20) | 124 | 27.3 | — |
| मोदी | — | — | 11(55) | 19 | — | 116(18) | — | 86.4 | — |
| टी० वी० सुन्दरम | — | — | 22(27) | 44(22) | 74(21) | — | 236 | — | — |

निजी क्षेत्र व आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण

८५

| व्यावसायिक घराना | 1951 (रकह) ¹ | 1958 (रकह) ¹ | 1963 (मइक) ² | 1966 (इलप) ³ | 1971 (कम्पनी विभाग की रिपोर्ट) | 1975-76 (इकेन्टामिक टाइम्स) | 1963 व प्रतिशत वृद्धि | 1972 व प्रतिशत वृद्धि में 1976 में |
|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| महिन्द्रा | 1 | 12 | 20(33) | 38(26) | 72(22) | 144(14) | 260 | 73.2 |
| पैरी | — | — | 12(52) | 42(24) | 70(23) | 148(13) | 483 | 33.2 |
| सबसे ऊपर के 20 | 648 | 1,362 | 1,823 | 2,335 | 3,688 | 5,111 | 102.3 | 45.3 |
| घरानों का जोड़ | | | | | | | | |
| सबसे ऊपर के 10 | 594 | 1,250 | 1,367 | 1,753 | 2,759 | 3,717 | 102.8 | 43.3 |
| घरानों का जोड़ | | | | | | | | |

रकह = आर० के० हजारी की रिपोर्ट।

मइक = मोनोपलीज इच्चायारी कमेटी रिपोर्ट,

इलप = इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट;

कोच्हकों में दी गयी संख्या रुढ़ा बताती है।

जाने वाली उत्पादन—दक्षताओं को क्रम से पूर्व प्राप्त करके व दूसरों को धकिया कर—दूसरे शब्दों में पहले से ही हथियाकर—अपने फायदे के लिए और कम साधनों वाले अपने प्रतिद्वन्द्वियों के वास्ते, जिनको उद्योग संस्थान के आकार का लाभ प्राप्त नहीं है, दरवाजा बन्द करने के लिए इस्तेमाल किया है। बड़े घरानों ने उसी उत्पाद के लिए कई—कई और बार—बार प्रार्थना—पत्र देकर लाइसेंस प्राप्त करके और प्राप्त लाइसेंसों पर नावाजिब तौर से लम्बे अर्से तक काम शुरू न करके दूसरों का रास्ता रोक दिया है। इस ढंग से होता यह है कि लाइसेंस मिल गया तो जब तक वे उस पर काम शुरू नहीं करते तब तक किसी अन्य पार्टी को यह कहकर लाइसेंस नहीं दिया जायगा कि उस उत्पाद के लिए अब गुंजायश नहीं है। टाटाओं तक ने, जो अपने को अन्य व्यावसायिक घरानों से ‘मिन्न’ समझते हैं, लगभग छह लाइसेंसों पर तीन से छह वर्ष तक या उससे अधिक तक काम शुरू नहीं किया। बड़े घराने नये उद्योगपतियों को अपने क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए उससे अधिक उत्पादन क्षमता खड़ी कर लेते हैं जिसका उन्हें लाइसेंस दिया जाता है (उदाहरण के लिए 25 ऐसे लाइसेंसों में से जिनकी उत्पादन क्षमता लाइसेंस में दी गयी क्षमता की दो गुनी है, दो बिड़लाओं के पास हैं और दो टाटाओं के)।

बहुत लोग इस प्रचार को सही मान बैठते हैं कि बड़े घरानों व विदेशी कम्पनियों ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन उनका यह दावा मानने से पहले नीचे दिये गये तथ्यों पर विचार करना चाहिए।

सबसे बड़ा भाग

बड़े घरानों के पास इतने अधिक मानवीय व अन्य साधन हैं, फिर भी उन्होंने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया है। बहुत हद तक उनकी संवृद्धि विदेशी प्रौद्योगिकी व विदेशी पूँजी के आयात पर निर्भर करती है। 1956 से 1968 तक जितने विदेशी सहयोगों को धनुमति दी गयी उनमें से लगभग एक—चौथाई 20 चोटी के बड़े घरानों को मिले और पूँजीगत माल के आयात में से 40 प्रतिशत उनके हिस्से में आने की अनुमति दी गयी। 1968 के बाद से विदेशी सहयोग तेजी से बढ़े हैं और अधिकतर का सम्बन्ध बड़े घरानों से है। विदेशी पूँजीपति बड़े घरानों के साथ ही सहयोग

करना पसन्द करते हैं और बड़े घराने भी विदेशी पूँजी पसन्द करते हैं। आधारिक—संरचना उद्योग के जिस नये व आधुनिक क्षेत्र में भी उन्होंने प्रवेश किया है, विदेशी प्रौद्योगिकी व विदेशी पूँजी की सहायता से ही किया है। बड़े घरानों के पूँजी लगाने के जितने सुझाव स्वीकार किये गये हैं उनमें से लगभग 40 प्रतिशत में विदेशी सहयोग रहा है और हजारी के अनुसार जितनी पूँजी इन घरानों ने लगायी है उसमें से 60 प्रतिशत आयात की हुई है। दूसरी बात यह कि बड़े घरानों ने जो भी बड़ी परियोजनाएँ हाथ में ली हैं उनके लिए अपने—आप पूँजी एकत्र करने की उन्होंने नाम मात्र की ही कोशिश की है और उनकी परियोजना लागत का लगभग 50 प्रतिशत सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों से आया है। संस्थागत वित्त—प्रवाह का सबसे बड़ा भाग उनके पास ही गया है। इस मामले में भी वे अपने छोटे व मँझले—स्तर के प्रतिद्वंद्वियों से आगे हैं।

तानाशाही राजनीति

ऊपर जो कुछ बताया गया है उसकी रोशनी में यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं मालूम होता कि बड़े व्यावसायिक घरानों ने व उनके अखबारों ने आपात—स्थिति के दिनों में हर तरह से श्रीमति गांधी का साथ दिया। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनको प्राप्त सुविधाएँ आपातस्थिति के कारण बहुत अधिक बढ़ जायेंगी। न संसद होगा, न कोई विरोधी सदस्य उनके रास्ते में बाधक बन सकेगा या शासकों से उनके सम्पर्कों के बारे में पूछ—ताछ कर सकेगा। न कोई मज़दूर सभाएँ होंगी जो उनके मुनाफों में हिस्सा बटायेंगी या वफ़ादार मैनेजरों को परेशान करेंगी। और दलित—पीड़ित लोगों व जनतन्त्र की दुहाई देते हुए श्रीमति गांधी उनको सभी सुविधाएँ देती जायें तो आपातस्थिति में उनकी पाँचों उंगलियाँ धी में होंगी। उनके लिए आपातस्थिति से होने वाले लाभ उससे कहीं अधिक थे जो कष्ट दो—चार गोयनका या वीरेन शाह जैसे उनके भाई—बन्दों ने उठाये। दो—चार हठधर्मी व्यक्तियों के हितों के कारण वे बड़े व्यवसाय के समूचे वर्ग के हितों को तो नहीं छोड़ सकते थे।

इतिहास भी बताता है कि जर्मनी व जापान में बड़े व्यवसाय ने ही जनतन्त्र को बर्बाद किया। अमेरिका में भी जो सबसे बृहद जनतन्त्र है, बड़े व्यवसाय ने ही निक्सन की सत्तावादी राजनीति का समर्थन किया।

आइजनहॉवर ने अपने देश के लोगों को 'सैनिक उद्योगों' के खतरे के बारे में बेकार ही चेतावनी नहीं दी थी। आपातस्थिति में भारत में बड़े व्यवसाय की भूमिका से मालूम होता है कि वह दूसरे देशों से भिन्न नहीं है।

९

दोहरी अर्थव्यवस्था

भारी या पूँजी प्रधान उद्योग ने—चाहे वह निजी क्षेत्र में हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में—एक ऐसी दोहरी अर्थव्यवस्था बनाकर खड़ी कर दी है जिसमें गरीबी, बेरोज़गारी व गतिहीनता के बीच कहीं—कहीं समृद्धि के छोटे—छोटे द्वीप दिखायी देते हैं। एक ओर तो ऊपर सम्पत्ति का केन्द्रीकरण हुआ है, दूसरी ओर नीचे की सतह पर दसियों लाख व्यक्ति बेरोज़गारी व अल्परोज़गारी का शिकार होने से कंगाल होते जा रहे हैं। ‘गरीबी हटाओ’ का दावा करने वाले दल की, जिसके हाथों में अभी हाल तक शासन था, नीतियों का नतीजा है कि एक ओर तो इजारेदार घराने पैदा हो गये जिनके पूँजी—स्टाक व मुनाफ़े बराबर बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर गाँवों की झोपड़ियों में व शहरी गन्दी बस्तियों में ऐसे करोड़ों लोग रहते हैं जिनको न भरपेट खाना मिलता है, न तन ढंकने—भर कपड़ा। एक ओर कुछ दस—बीस हजार व्यक्ति हैं जो ऐश—आराम में डूबे रहते हैं और यह नहीं जानते कि छपड—फाड़कर जो मुनाफ़ा उनको हुआ है या जो उन्होंने ग़लत ढंग से हासिल किया है, उसका क्या करें, और दूसरी ओर वे करोड़ों लोग हैं जो एक टुकड़ा रोटी के लिए तरसते हैं। यह तो सच है कि सदियों से भारत में अमीरों व गरीबों के बीच एक बहुत चौड़ी खाई रही है, लेकिन एक—चौथाई शताब्दी पहले स्वतन्त्रता मिलने के बाद वह खाई पाटे जाने के बजाय और भी चौड़ी की गयी है।

भारत जैसे सघन खेती प्रधान देशों के बारे में यह विचार सिद्धान्त के रूप में भी उतना ही ग़लत है जितना व्यवहार में सावित हुआ कि समृद्धि को प्राप्त करने के लिए उद्योगों के बढ़ने के साथ इतना विस्तार किया जाये कि अधिकांश जनसंख्या उसमें लग जाय और धीरे—धीरे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में संवृद्धि की तेज गति के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँच जायें। जहाँ श्रम की बहुतायत हो ऐसे देश में पूँजी प्रधान उपायों का एक ही परिलाभ हो सकता था और वही हुआ है—एक ऐसी दोहरी अर्थव्यवस्था बन गयी है जिसमें गाँव व

शहरी गन्दी बस्तियों रूपी दरिद्रता के विशाल महासागर में महानगरी खुशहाली के कुछ टापू हैं।

कारण स्पष्ट हैं और उनको खोजना कोई कठिन काम नहीं। प्रथम, बड़े व प्रौद्योगिक दृष्टि से बड़े और जटिल संस्थानों को चलाने के लिए प्रवीणता की आवश्यकता है, इसलिए मैनेजरों व इंजीनियरों को बहुत अधिक वेतन मिलता है। दूसरे, लागत जितनी पूँजी प्रधान होगी उतनी ही कम जरूरत उसे श्रमिकों की होगी और उतनी ही अधिक उसकी उत्पादकता होगी। और चूंकि उनकी संख्या कम होती है और वे एक छोटे—से इलाके में एक साथ रहते हैं, इसलिए श्रमिकों के लिए यह आसान होता है कि वे एक होकर उत्पादों में से अधिक भाग की मांग करें। मालिक, चाहे राज्य हो चाहे कोई नागरिक, अधिक उत्पादकता की वजह से वेतन बढ़ सकता है—नहीं बढ़ायेगा तो काम बन्द होने पर उत्पादन गिरने से उसे बहुत नुकसान होगा।

वेतन अभिरचना की अन्यायपूर्णता, जो ट्रिब्यूनलों के तर्कहीन निर्णयों के कारण और भी बढ़ गयी है, तब स्पष्ट हो जाती है जब उद्योगों में तथा अन्यत्र मिलने वाले वेतनों की तुलना की जाये। एक संगठित उद्योग में सफाई करने वाले को 400 रुपया प्रतिमास मिलता है, कार चलाने वाले ड्राइवर को 1200 रुपया और कलर्क को 750 रु० से 900 रु० तक मिलता है। इसके विपरीत दोहरे (डबल) स्नातक को 450 रु० माहवार और विश्वविद्यालय के अर्हतायुक्त अध्यापक को 650 रु० माहवार मिलता है।

एक सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि बम्बई में व दूसरे शहरों में निम्न वर्ग के औद्योगिक मज़दूर 360 रु० से 1,400 रु० माहवार तक कमा लेते हैं। एक बड़े—स्तर के उद्योग में ट्रक ड्राइवर कॉलेज लेक्चरार से कहीं ज्यादा कमा लेता है। एक सरकारी स्वामित्व के व्यावसायिक बैंक के चपरासी को महीने में 450 रु० से 600 रु० तक और कलर्क को 550 रु० से 1,300 रु० तक मिलता है।

भारत के जीवन बीमा निगम के तीसरे व चौथे वर्ग के कर्मचारियों के लिए वेतन तथा महंगाई भत्ते की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। 1 अगस्त 1977 से तीसरे वर्ग के कर्मचारी अपने वेतन के 162 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता पा रहे हैं और चौथे वर्ग के कर्मचारी 216 प्रतिशत की दर से। उदाहरण के लिए जीवन बीमा निगम के प्रथम व तीसरे वर्ग के कर्मचारियों को समान वेतन सीमा पर मिलने वाले महंगाई भत्ते के हिसाब से मिलाने वाली रकम की तुलना करते हुए एक तालिका अगले पृष्ठ पर दी गयी है।

| वेतन रु० | तीसरी श्रेणी | | पहली श्रेणी | |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| | महंगाई भत्ता | कुल मिलाकर ^१ रु० | महंगाई भत्ता | कुल मिलाकर रु० |
| | रु० | रु० | रु० | रु० |
| 530 | 859 | 1,389 | 710 | 1,240 |
| 610 | 988 | 1,598 | 870 | 1,480 |
| 690 | 1,118 | 1,808 | 880 | 1,570 |
| 770 | 1,247 | 2,017 | 890 | 1,660 |
| 850 | 1,377 | 2,227 | 890 | 1,740 |
| 920 | 1,490 | 2,410 | 875 | 1,805 |
| 1,600 | — | — | 755 | 2,250 |
| 2,355 | — | — | 135 | 2,385 |

1. इस प्रकार तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को जो मिलता है उसके अतिरिक्त उन्हें अपने मूल वेतन का 15 प्रतिशत बोनस मिलता है।

सरकारी नौकरियां भी पीछे नहीं रही हैं। औद्योगिक मज़दूरों व सार्व-जनिक संस्थानों के कर्मचारियों के बारे में दिये गये तर्क उनके लिए भी सही हैं। इसके अलावा चुनाव के परिणामों में उनका बड़ा हाथ था। इसलिए उन्होंने भी अपनी आवाज उठायी और उसे तुरन्त सुना गया। हर साल वेतन बढ़े, महँगाई-भत्ते बढ़े-कभी-कभी तो हर तीन महीने के बाद बढ़े।

केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों तथा शक्तिशाली मज़दूर सभाओं के सबल समर्थन से संगठित सफेदपोश व औद्योगिक मज़दूर एक ऐसे समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बन गये हैं जिसमें करोड़ों लोग, जनसंख्या के आधे लोग, ग़रीबी की रेखा के नीचे रहते हैं।

कांग्रेस पार्टी के समाजवाद से समाज के उच्चतम वर्ग में आयी असीम समृद्धि साफ़ दिखायी देती है। उसके रहन-सहन के ढंग में हुए परिवर्तन: चार और पाँच स्टार होटलों की संख्या में वृद्धि, जो बराबर भरे रहते हैं, विलासपूर्ण नाना सुविधाओं में वृद्धि, खचाखच भरे अवकाश विश्राम-स्थान, बहुमूल्य साज-सज्जा से युक्त आलीशान मकानों की संख्या में वृद्धि, और शादी-ब्याहों जैसे सामाजिक समारोहों में धन-दौलत का दिखावा – यह सभी उच्चतम वर्ग की समृद्धि दिखाते हैं। यह समृद्धि ऐसी विलासता की सामग्री के उत्पादन में हुई अतिवृद्धि

के आँकड़ों में भी दिखायी देती है जो जनसाधारण की पहुँच के बाहर हैं। आधुनिक उद्योग का आविर्भाव ही हुआ है उस वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिसमें अधिकांशतः शामिल हैं औद्योगिक मज़दूर, सरकारी कर्मचारी जो प्रति वयक्ति धनी हैं, व मुख्यतः शहरों के रहने वाले और जिन्होंने रहन—सहन के पाश्चात्य ढंग को अपना लिया है।

आगे दो पृष्ठों (96—97) पर दिये गये आँकड़ों से मालूम होता है कि अमेरिका में तो राष्ट्रीय आय में चोटी के 20 प्रतिशत लोगों के भाग में गिरावट आयी और वह 1950 में 45.7 प्रतिशत से घटकर 1959 में 43 प्रतिशत रह गया, और श्रीलंका में भी 1952—53 में 53.9 प्रतिशत से घटकर 1963 में 42.3 प्रतिशत हो गया लेकिन भारत में वह बढ़ गया; 1953—57 के चार वर्षों में 42 प्रतिशत था और बढ़कर 1967—68 में 53.8 प्रतिशत हो गया। यहीं नहीं। अमेरिका में तो इसी दौरान निम्नतम 20 प्रतिशत जनसंख्या का राष्ट्रीय आय में भाग केवल 4 प्रतिशत कम हुआ व श्रीलंका में 12 प्रतिशत लेकिन भारत में 40 प्रतिशत घटा। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका में तो चोटी के 10 प्रतिशत लोग 1959 में राष्ट्रीय आय का केवल 27.8 प्रतिशत भाग ले लेते थे जबकि भारत में 1967—68 में 36.5 प्रतिशत भाग। फिर भी अपनी समाजवादी नीतियों की तुलना में अमरीकी पूँजीवादी नीतियों की निन्दा करते हुए हम सरकारी स्तर पर बड़ी बेहयाई के साथ बराबर प्रचार करते रहे हैं।

बढ़ती बेरोज़गारी

अब हम भारी उद्योग के सबसे खराब नतीजे की तरफ ध्यान देंगे, अर्थात् बढ़ती बेरोज़गारी व अल्प—रोज़गार की और जिसने हमारे राष्ट्र को अन्दर से खोखला कर दिया है। नेहरू व उनके सलाहकारों को प्रौद्योगिकी व भारी उद्योग रूपी जुड़वाँ देवताओं पर अन्धविश्वास था। यह विश्वास ग़लत साबित हुआ। पश्चिम में श्रम की कमी थी, इसलिए आदमी की जगह मशीन से काम लेना जरूरी था, इसलिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। वह प्रौद्योगिकी उन देशों की समस्या का हल नहीं है जहाँ श्रमिकों को अल्परोज़गार मिलता है और वे भरपेट खाना नहीं पाते या जहाँ पूँजी की बेहद कमी है।

जब औद्योगिक क्रान्ति अपनी चरम सीमा पर थी तो भी इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी में जनसंख्या वृद्धि की गति एक प्रतिशत प्रति वर्ष से कम थी। सारे यूरोप के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर वर्तमान शताब्दी

के प्रथम दशक में जाकर 1.1 से अधिक हो पायी। इसके विपरीत एशिया, अफ्रीका व लातिनी अमेरिका के विकासशील देशों में 1952–72 में जनसंख्या वृद्धि की दर 2.4 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गयी। अल्पविकसित अथवा विकासशील देशों के पास प्राकृतिक साधन व पूँजी कम है और श्रम बहुत है। इसलिए उनमें से शायद ही कोई देश ऐसा हो जो उस तरह आर्थिक प्रगति कर सके जिस तरह आज के विकसित देशों ने की थी। पश्चिमी देशों की परम्परागत विकास नीति जनसंख्या बहुल अर्थ-व्यवस्थानों के उपयुक्त नहीं है—विकसित देशों में जिस नीति का अनुसरण किया गया उसका नतीजा यह हुआ कि खेती के विकास के साथ ही श्रमिक आधुनिक अथवा पूँजी प्रधान उद्योगों में काम करने के लिए अपने आप शहर चले गये।

चुने हुए देशों में क्रमसूचक समूहों की (गृहस्थियों या करदाताओं के आधार पर) व्यक्तिगत आय का प्रतिशत भाग

| देश व वर्ष | क्रमसूचक समूह के भाग | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | निम्नतम 20 प्रतिशत | निम्नतम 60 प्रतिशत | सर्वोच्च 20 प्रतिशत | सर्वोच्च 10 प्रतिशत | सर्वोच्च 5 प्रतिशत |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अल्पविकसित देश | | | | | |
| भारत, 1953–54 से 1956–57 तक | 8.00 | 36.00 | 42.00 | 28.00 | 20.00 |
| श्रीलंका, 1952–53 | 5.1 | 27.7 | 53.9 | 40.6 | 31.0 |
| मैकिस्को, 1957 | 5.4 | 21.2 | 61.4 | 46.4 | 37.0 |
| बारबाडोस, 1951–52 | 3.6 | 27.1 | 51.6 | 34.2 | 22.3 |
| प्योटर्टेरिको, 1953 | 5.6 | 30.3 | 50.8 | 32.9 | 23.4 |
| इटली, 1948 | 6.1 | 31.2 | 48.5 | 34.1 | 24.1 |
| विकसित देश | | | | | |
| इंग्लैण्ड, 1951–52 | 5.4 | 33.3 | 44.5 | 30.2 | 20.9 |
| पश्चिमी जर्मनी, 1950 | 4.0 | 29.0 | 48.0 | 34.0 | 23.6 |
| नीदरलैण्डस, 1950 | 4.2 | 29.5 | 49.0 | 53.0 | 24.6 |
| डेनमार्क, 1952 | 3.4 | 29.5 | 47.0 | 30.7 | 20.1 |

| देश व वर्ष | क्रमसूचक समूह के भाग | | | | |
|---------------|----------------------|---------|----------|----------|----------|
| | निम्नतम | निम्नतम | सर्वोच्च | सर्वोच्च | सर्वोच्च |
| | 20 | 60 | 20 | 10 | 5 |
| | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| स्वीडन, 1948 | 3.2 | 29.1 | 46.6 | 30.3 | 20.1 |
| अमेरिका, 1950 | 4.8 | 32.0 | 45.7 | 30.3 | 20.4 |

स्रोत: रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, सितम्बर 1963, पृ० 1140

यूनाइटेड नेशन्स: "नेशनल इनकम एण्ड इंटर्सिट्रीब्यूशन इन अण्डरडिवैलप्ड कंट्रीज", स्टॉटिस्टिकल पेपर्स, सीरीज ई नं० 3, न्यूयार्क, 1951, पृ० 29।

यूनाइटेड नेशन्स, इकॉनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ यूरोप—1956, जैनेवा, 1957, अध्याय 9, पृ० 6।

कुज़नेत्स, साइमन, क्वान्टिटेटिव आस्पैक्ट्स ऑफ द इकॉनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन्स, आठवाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंकम बाई साइज, इकॉनॉमिक डिवलपमेंट एन्ड कल्वरल चैंज, जनवरी 1963, तालिका 3, पृ० 13-15।

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कार्मस, इन्कम डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन, 1953, तालिका 21, पृ० 85।

चुने हुए एशियाई देशों व अमेरिका में भारत की तुलना में दशमक समूहों की पारिवारिक आय का भाग*

| देश | वर्ष | दशमक समूह का कुल आय में प्रतिशत भाग | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | द ₁ | द ₂ | द ₃ | द ₄ | द ₅ | द ₆ | द ₇ | द ₈ | द ₉ | द ₁₀ |
| अमेरिका | 1959 | 1.3 | 3.3 | 5.1 | 6.7 | 7.9 | 9.1 | 11.1 | 12.4 | 15.2 | 27.8 |
| जापान | 1963 | 3.0 | 4.7 | 5.7 | 7.3 | 7.9 | 9.0 | 10.4 | 12.0 | 16.0 | 24.0 |
| ताइवान | 1964 | 3.0 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 7.6 | 8.9 | 9.8 | 13.2 | 13.8 | 26.3 |
| दक्षिणी कोरिया | 1966 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 |
| फिलीपाइन | 1965 | 1.1 | 2.9 | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 9.0 | 11.6 | 15.0 | 40.0 |
| थाईलैण्ड | 1962 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.8 | 8.2 | 9.3 | 14.7 | 43.0 |
| मलाया | 1957— | 2.6 | 3.9 | 6.1 | 5.1 | 7.2 | 8.5 | 10.3 | 12.4 | 16.1 | 27.8 |
| | | 58 | | | | | | | | | |
| श्रीलंका | 1963 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 11.2 | 15.5 | 36.8 |
| भारत (वर्तमान सर्वे) | 1967-68 | 1.8 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 11.8 | 16.8 | 36.5 |

नोट: द₁ का अर्थ है निम्नतम 10 प्रतिशत गृहस्थियां व द₁₀ का अर्थ है सर्वोच्च 10 प्रतिशत गृहस्थियां।

* बेसिक स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू इंडियन इकॉनॉमी, 1950–51 टू 1972–73, तालिका 10, सी० एस० ओ०, योजना मन्त्रालय, भारत सरकार।

स्रोत: "इन्कम इनइक्वेलिटी एण्ड इकॉनॉमिक ग्रोथ, द पोस्ट वार एक्सपीरियंस ऑफ एशियन कण्ट्रीज", व मलायन इकॉनॉमिक रिव्यू भाग 15, सं० 2 अक्टूबर 1970, पृ० 7।

लेकिन पुराने व परम्परागत अर्थशास्त्रियों की राय मानकर नेहरू यह समझने लगे कि भारी पूँजी प्रधान उद्योग से उत्पादन बढ़ता है जिससे राष्ट्रीय आय अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी० एन० पी०) में वृद्धि होती है और हम जी० एन० पी० बढ़ाने की ओर ध्यान दें तो गरीबी व बेरोज़गारी की समस्या अपने आप हल हो जायेगी। दलील यह थी कि आर्थिक संवृद्धि के लिए मूलभूत आवश्यकता पूँजी का उपलब्ध होना है। पूँजी प्रधान उद्योग से आय का वितरण इस प्रकार होता है जिससे मुनाफे बढ़ जाते हैं अथवा थोड़े हाथों में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण बढ़ जाता है—हालांकि यह बात इन साफ़ शब्दों में कभी नहीं कही गयी लेकिन जो कुछ कहा गया उसका मतलब यही था कि धनी लोगों में बचत की प्रवृत्ति होती है इसलिए पूँजी प्रधान उद्योगों से मुनाफे बढ़ने पर बचत भी बढ़ेगी। और बचत करने वाले अथवा उद्योगपति या तो इस बचत को नये बड़े अथवा पूँजी प्रधान उद्यमों की स्थापना में लगायेंगे या उसे सरकार करों के रूप में उनसे जमा कर लेंगी और स्वयं ही सार्वजनिक क्षेत्र में नये उद्योग चलाने के लिए लगायेंगी। कहा जाता था कि इस प्रकार अर्थव्यवस्था में इतनी जान आ जायगी कि वह अपने ही आप आगे बढ़ने लगेगी और छोटे व मध्यम उद्योगों में भी जान फूँक देगी जिससे रोज़गार के बहुत से नये रास्ते खुल जायेंगे। इसीलिए नेहरू राष्ट्रीय आय बढ़ाना हमारी योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य मानते थे और उनकी दृष्टि में रोज़गार के नये अवसर आय वृद्धि का उप-उत्पाद मात्र थे। चौथी योजना में यह बात साफ़—साफ़ कह दी गयी। उसमें लिखा गया कि भारत जैसे गरीब देश में पुनः वितरक नीतियों से कोई महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि अधिक धनी वर्ग की अधिक ऊँची आयों से जितनी भी बचत की जा सकेगी वह अर्थव्यवस्था में ही लगा दी जायेगी ताकि भविष्य में अधिक उपभोग के लिए आधार बनाया जा सके। इसलिए गरीबों को व दुर्बलों को अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को अधिकाधिक द्रुतगामी बनाकर तथा अन्य विशिष्ट नीतिकार्यों से सहायता पहुँचायी जा सकती है।

संवृद्धि को अधिकाधिक द्रुतगामी बनाने के लिए पूँजी को रियायतें प्रदान की गयीं और पूँजी प्रधान लागत बढ़ाने के लिए प्रशासनिक नियन्त्रण का प्रयोग किया गया। रोज़गार को सम्पूर्ण संवृद्धि का उप-उत्पाद बनाकर पीछे का दर्जा दिया गया। रोज़गार का संकट हुआ तो अधिकतर नेहरू के सलाहकार अर्थशास्त्रियों की पहली प्रतिक्रिया यही हुई कि उसी प्रकार से पूँजी और लगायी जाये जिससे रोज़गार के अधिक अवसर नहीं निकलते।

जब कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बड़ी फर्मों में या बड़े फार्मों में छोटों की अपेक्षा कम श्रम का उपयोग होता है तो कहा गया कि छोटे उत्पादकों द्वारा पूँजी लगाने दिये जाने से संवृद्धि की गति धीमी हो जायेगी। कहा गया कि श्रम-प्रधान संस्थानों की आय इतने लोगों में बंट जायेगी कि दुबारा लगाने के लिए बचत करने लायक किसी की आय नहीं होगी। संवृद्धि की गति को धीमा करने के जो दूरगामी खराब नतीजे होंगे उनसे रोज़गार के तात्कालिक लाभ बेकार हो जायेंगे। लेकिन ससेक्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डडले सीयर्स, जिनको अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ ने कोलम्बिया की बेरोज़गारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था, इस नतीजे पर पहुँचे कि “सम्पूर्ण संवृद्धि को द्रुतगामी बनाकर बेरोज़गारी की समस्या हल करने की कोशिश के फलस्वरूप जैसे-जैसे लक्ष्य निकट आता दिखायी देता जायेगा वह उतना ही दूर होता जायेगा।”

वास्तव में, रोज़गार व उत्पादन में, रोज़गार में वृद्धि और आय में वृद्धि में कोई विरोध नहीं है। सामाजिक न्याय तथा विकास एक साथ सम्भव हैं। लेकिन मान लीजिये कि पूँजी प्रधान उद्यमों की अपेक्षा, जिनकी नेहरू वकालत करते थे, श्रम-प्रधान उद्यमों में लागत पूँजी की प्रति इकाई कम उत्पादन हो तो सवाल यह होता है कि क्या हमें, और कुछ नहीं, केवल यही ध्यान में रखना है कि पूँजी की उत्पादकता से प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़े? यदि कोई वास्तविक द्विविधा है (द्विविधा का कोई कारण है नहीं) तो यही हो सकती है कि जो लोग बेरोज़गार होंगे उनकी हानि व शेष समुदाय की सम्भावित प्रगति के बीच सन्तुलन कैसे स्थापित किया जाये। हमारे देश में जहाँ जनसंख्या के 40 से 50 प्रतिशत तक लोग अपेक्षित न्यूनतम आय से कम पर दशकों से गुजारा कर रहे हैं इन दोनों में से एक रास्ता चुनना मुश्किल नहीं है—हमें उन लोगों की आय व उपभोग को बढ़ाना है जो आय-वितरण के निम्नतम स्तर पर हैं, न कि उनकी आय व उनके उपभोग को जिन्हें

आय—वितरण का बड़ा भाग मिलता है। निम्नतम के रोजगार के लिए यह कीमत अदा करना मुनासिब होगा कि समाज के बाकी लोगों की आय में वृद्धि उनसे धीमी रफ्तार से हो।

गांधीजी की सलाह के विपरीत हमारे नेता आधुनिक क्षेत्र के मोह में क्यों फँसे? इसके कारण मनोवैज्ञानिक व विचारधारा सम्बन्धी थे। तकनीकी उन्नति से विकसित देशों को प्राप्त होने वाले लाभ इतने अधिक थे, तकनीकी आधुनिकता का जादू इतना मोहक था कि वे चाँधिया गये और यह न देख सके कि एक उप—उत्पाद के नाते प्रौद्योगिकी हमारी अर्थव्यवस्था में बेकारी बढ़ाकर व आय की समानताओं को बढ़ाकर कितनी सामाजिक कीमत वसूल कर रही है।

नतीजा यह है कि स्वराज्य के कोई तीस वर्ष बाद भी एक ओर तो देश—भर के शहरों व गाँवों में दरिद्रता बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर इजारेदारी पैदा हो रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि सोच—समझकर चलायी गयी योजना का नतीजा है।

सत्तरह से अधिक वर्षों तक अर्थात् 2 सितम्बर 1946 को प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारी उद्योग को तरजीह देने की नीति से जब देश को बहुत हानि हो चुकी तो जवाहरलाल नेहरू की समझ में आया कि महात्मा गांधी सही कहते थे। 11 दिसम्बर 1963 को संसद में योजना पर बोलते हुए नेहरू ने कहा:

“मैं अधिकाधिक महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के बारे में सोचने लगा हूँ... मैं पूरी तरह से आधुनिक मशीन का प्रशंसक हूँ और बेहतरीन मशीन ब बेहतरीन तकनीक चाहता हूँ। लेकिन हमारे देश में हालत यह है कि हम आधुनिक युग में चाहे जितना बढ़ जायें, उसका बहुत दिनों तक हमारे लोगों की बहुत बड़ी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें उत्पादन में भागीदार बनाने के लिए कोई और उपाय करना होगा, चाहे उत्पादन—यन्त्र आधुनिक तकनीक के मुकाबले में बहुत कुशल न हों।”

लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब उन्होंने यह भाषण दिया वह बीमार थे और छह महीने भी नहीं बीते कि वह चल बसे।

लातीनी अमेरिका की सरकारों ने भी हमारे नेतृत्व की तरह बिना रोजगार बढ़ाये आर्थिक संवृद्धि के मार्ग पर चलने की ग़लती की और नतीजा भी वही निकला—सार्वजनिक असन्तोष। चिली व यूरागुये इसकी दो खास मिसालें हैं।

नई दिल्ली में फोरम ऑफ़ फाइनेन्शियल राइटर्स द्वारा दिसम्बर 1972 की जनवरी में आयोजित एक विचार गोष्ठी में भाषण देते हुए एक अमेरिकी विकास—अर्थशास्त्री एडगर ओवेश ने कहा कि “कई वर्षों से लातीनी अमेरिकी देशों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद 5 प्रतिशत या उससे भी अधिक गति से बढ़ रहा है और विनिर्माण का उत्पाद तो उससे भी कहीं अधिक दर से बढ़ रहा है। लेकिन विनिर्माण में लगा श्रमिक—बल कुछ घटा है, 1950 में 14.4 प्रतिशत था और 1969 में 13.8 प्रतिशत।” 1960 वाले दशक में श्रमिक—बल में लातिन अमेरिकी देशों में जितनी वृद्धि हुई उसका पाँच में से तीन भाग ही आर्थिक दृष्टि से लाभदायक कार्यों में लग सका जिसका मुख्य कारण यह था कि उद्योग में नये रोज़गार की गुंजायश पैदा नहीं हुई। इसके विपरीत श्रम—प्रधान ताइवान व दक्षिण कोरिया में 1960 वाले दशक में विनिर्माण में लगे श्रमिक बल का अनुपात दुगुना हो गया।

नीचे दी गयी तालिका में डॉ० एन० आज ने बड़े उद्योग को कुटीर व लघु उद्योगों की अपेक्षा मिलने वाले लाभों को दिखाया है:

| दस्तकार वर्ष (परम्परागत) | लघु उद्योग (आर्ध—स्वचालित करधा) | बड़े पैमाने पर उत्पादन (पूरी तरह स्वचालित करधा) |
|--|---------------------------------------|--|
| प्रति करधा पूँजी | 50 रु० | 200 रु० |
| एक श्रमिक द्वारा चलाये जा सकने वाले करधों की संख्या | 1 | 1 |
| प्रति श्रमिक पूँजी लागत | 50 रु० | 200 रु० |
| प्रति करधा प्रतिदिन उत्पादन | 4 गज | 20 गज |
| प्रति करधा जोड़ा गया कुल मूल्य (25 पैसा प्रति गज और हर साल 300 कार्य दिवस के आधार पर) | 300 रु० | 1,500 रु० |
| प्रति श्रमिक प्रति वर्ष जोड़ा गया कुल मूल्य | 300 रु० | 1,500 रु० |
| | | 96,000 रु० |

| दस्तकार वर्ग (परम्परागत) | लघु उद्योग (अर्ध-स्वचालित करधा) | बड़े पैमाने पर उत्पादन (पूरी तरह स्वचालित करधा) | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| साधारणतः प्रति मज़दूर का वार्षिक वेतन | 1 रु० की दर से 300 रु० | 3रु० की दर से 900 रु० | 5 रु० की दर से 1,500 रु० |
| प्रति श्रमिक प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन | कुछ नहीं | 600 रु० | 94,500 रु० |

स्रोतः इकॅनॉमिक वीकली, बम्बई, 4 अप्रैल 1956, पृ० 436

पूँजी—प्रधान उद्यम में इतना अतिरिक्त उत्पादन जमा हो जाता है कि चाहे जिस प्रकार का उतार—चढ़ाव आये, मण्डी में घटा—बढ़ी हो, शुल्क या कर—नीतियों में हेर—फेर हो, या इसी तरह का कुछ और हो, उद्यमी को मुनाफा मिल ही जाता है, लेकिन दूसरे प्रकार के औद्योगिक उत्पादन में यह उतार—चढ़ाव अलाभकर सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रति गज बड़े हुए शुद्ध मूल्य को 25 पैसे से घटाकर 12 पैसे कर दिया जाय तो कुटीर अथवा परम्परागत उद्योग में कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो पायगा बल्कि श्रमिक—मज़दूरी आधी अथवा 50 पैसे रह जायेगी। और, लघु उद्योग में अतिरिक्त उत्पादन जमा होना कम हो जायेगा, वेतनों में 15 प्रतिशत कमी हो जायेगी, उद्यम चलता रह सकता है। और काम भी चलता रह सकता है लेकिन मुनाफा कमाने की गुंजायश कम रह जायेगी। इसके विपरीत बड़े उद्योग में फिर भी इतना उत्पादन होगा कि श्रमिकों को पूरा वेतन दिया जा सके और उस उद्यम की निवल आय कुछ—न—कुछ बढ़ जायेगी। नतीजा यह होगा कि कारखाने के उत्पाद का बाजार में मुकाबला उसके सस्तेपन की वजह से न कर सकने के कारण छोटे उद्यम जिनमें कम पूँजी लगी हो और विशेष रूप से दस्तकारी वाले उद्यम या तो काम बन्द करने पर विवश कर दिये जाते हैं या पनप ही नहीं पाते। हाथ से बने माल की अपेक्षा कारखाने का बना माल सस्ता होना लाजमी है क्योंकि उनका प्रक्रमण या विनिर्माण मशीनों से होता है। नतीजा यह है कि जैसे—जैसे अधिकाधिक पूँजी—प्रधान उद्योग लगते जाते हैं, अधिकाधिक लोग बेरोजगार होते जाते हैं। इसलिए हमारे देश में लम्बी—चौड़ी योजनाएँ, जिनमें जरूरत से अधिक बल भारी उद्योग पर दिया जाता है, पाँच वर्ष

में जब पूरी होती हैं तो मालूम होता है कि पहले से अधिक बेरोज़गारी फैली हुई है।

यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शहरों की ओर जो बेरोज़गार लोग जाते हैं, उनमें वह लोग भी अधिक संख्या में होते हैं जो खेती में नहीं खपाये जा सकते हैं। जैसे—जैसे पारिवारिक जोतें छोटी होती जाती हैं वैसे—वैसे ही वह खेतिहर जो अंग्रेज़ी जमाने में शिकमी, बटाईदार, गैरकानूनी काबिज और ज़र्मीदारों की सीर अथवा खुदकाश्त के गैर—मौरुसी पट्टेदार थे, या तो बेदखल कर दिये जाते हैं या उनके लिए बेदखली का खतरा पैदा हो जाता है। आज जो मशीनों से चलने वाले बड़े-बड़े फार्म देश में चारों ओर दिखायी देते हैं, स्वतंत्रता मिलने से पहले उनका वजूद भी नहीं था। वे लाखों खेतिहरों को जबर्दस्ती या धोखे से बेदखल करके बने हैं, और जब तक ये फार्म चलते रहेंगे लाखों खेतिहर मजदूर बेकार रहेंगे। यही खेतिहर मजदूर हैं जो कभी अपनी भूमि जोतते थे, जिनसे उनकी भूमि छिन गयी, जिनको पैतृक सम्पत्ति से अलग कर दिया गया, यही आज नक्सलवाद की ओर जा रहे हैं। जो कल तक शासक दल था, उसमें इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन अब यह खुद बोलेंगे, और जोरों से बोलेंगे—जनता पार्टी के मंच से।

१०

एक नीति-विकल्प

यदि देश को बचाना है तो नेहरूवादी नीति के स्थान पर गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें आज की स्थिति से निकलने के लिए गांधीजी के पास वापस जाना होगा। गांधीजी के विचार न केवल 1977 के भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं बल्कि 2000 के भारत के लिए भी। भारत ने 1947 में गांधी का मार्ग छोड़कर और एक ऐसी नीति अपनाकर बहुत बड़ी ग़लती की जो पश्चिमी है, केन्द्रीकरण पर आधारित है और जिसमें लाभ ऊपर से छनकर, टपक-टपककर, नीचे पहुँचने की कल्पना निहित है। आज भी वही नीति चल रही है। शायद भारत की समस्या का हल दोनों-गांधी व नेहरू की-नीतियों का उपयोगी समन्वय खोजकर हो सके। गांधी के विचारों में बड़े पैमाने के या मशीनों पर आधारित ऐसे उद्योग निषिद्ध नहीं जिनका परित्याग कोई भी आधुनिक समाज कर ही नहीं सकता। गांधीवादी नीति का उद्देश्य है बृहत स्तर पर, विकेन्द्रीकरण के आधार पर अधिकतम उत्पादन व संगठन करना और उसके लिए स्थानीय साधनों व योग्यताओं का प्रयोग करना।

आर्थिक क्षेत्र में हमारी असफलता के दो मुख्य कारण हैं: उद्योग व कृषि के बीच वित्तीय साधनों का गलत वितरण, और बड़ी मशीनों का अपनाया जाना व उनका उपयोग। ऐसी स्थिति में हमारे दो ही मुख्य काम हैं: वित्तीय साधनों के बंटवारे को कृषि के पक्ष में बदलना, और जहाँ तक हो सके बड़ी मशीनों का प्रयोग छोड़ देना। पहले काम का मतलब है ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना, और दूसरे का मतलब है अपने पास उपलब्ध कारकों पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना जो विदेशी पूँजी व विदेशी प्रौद्योगिकी को छोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े।

एक प्रकार से भारत के योजना बनाने वालों का “मूल अपराध” कृषि की उपेक्षा है। कृषि की उपेक्षा का अर्थ था कृषि के अतिरिक्त उत्पाद की ओर ध्यान न देना अर्थात् खाद्यान्न व कच्चे माल के उत्पाद के बारे

में सोचना बन्द कर देना। पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन न हो सकने के कारण हमें अभी तक खाद्य पदार्थों के आयात पर 6,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा है और खाद्यान्न व कच्चे माल के उत्पादन में कमी की वजह से हम औद्योगिक व अन्य कृषितर रोज़गारों का विकास नहीं कर पाये हैं। 1951 में हमारे यहाँ कुल श्रमिकों में से 72 प्रतिशत खेती में लगे थे, 10 प्रतिशत उद्योग में और 18 प्रतिशत अर्थव्यवस्था की अन्य शाखाओं में। आज भी वही अनुपात चला आ रहा है। जहाँ तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध है हमारा देश सबसे गरीब देशों में से एक है। और इससे भी अधिक चिन्ता की बात यह है कि आर्थिक संवृद्धि की दर भी हमारे यहाँ करीब—करीब सभी से कम है। दुनिया में हमें भिखारी देश कहा जाता है।

दूसरी ग़लती हमने यह की कि बहुत ऊँची उड़ान ली और राजनीतिक सत्ता पाते ही भारी उद्योग के मोह में फंस गये। गांधीजी चाहते थे कि देश का निर्माण नीचे से शुरू हो और अपने ही संसाधनों से किया जाये उनकी परिकल्पना में गाँव, कृषि व दस्तकारी विकास की आधार—रेखा थे और शहर व ऐसे बड़े उद्योग जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता हो उसकी सर्वोच्च शिखा। हम यह भूल गये कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास या उसकी विशाल जनसंख्या के रहन—सहन के स्तर में उन्नति दो दायरों की सीमा के अन्दर ही सम्भव है—एक दायरा बनता है भारत को उपलब्ध उत्पादन—कारकों अथवा भूमि और प्राकृतिक साधनों की कमी व जनसंख्या के निम्न स्तर द्वारा लगी सीमाओं से, और दूसरा दायरा है भारत की राजनीतिक व्यवस्था का जिसमें जनवादी अधिकार एक सीमा के बाद श्रमिक—बल का शोषण—निषेध करते हैं।

इसलिए वर्तमान स्थिति को सुधारा जा सकता है। संसाधनों को उच्च—मध्यवर्गीय क्रय—शक्ति पर आधारित महानगरीय औद्योगीकृत, पूँजी प्रधान व केन्द्रित उत्पादन से हटाकर ऐसे कृषि, रोज़गार—प्रधान व विकेन्द्रित उत्पादन में लगाकर जो, गांधी के शब्दों में, “न केवल सर्वसाधारण के लिए किया जाता हो बल्कि उनके द्वारा किया जाता हो।”

अधिकतर देशों में कृषि व श्रम—प्रधान उद्योगों का विकास पहले हुआ—गांधीजी भी इसी तरह के विकास की वकालत करते थे—और इससे उन देशों को बहुत लाभ भी हुआ। इस मार्ग की सफलता का सबसे प्रमुख उदाहरण जापान है, और 1962 के बाद से कम्यूनिस्ट चीन

भी इसी रास्ते पर चला जा रहा है (फर्क यह है कि चीन में कृषि का सामूहीकरण हो गया है)। यही एक मात्र मार्ग है जिस पर चलकर वह देश, विशेष रूप से भारत, जहाँ श्रम का बाहुल्य है, अपनी बेरोज़गारी व गरीबी की समस्या को हल कर सकते हैं और साथ में ऐसे भारी उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं जो उनके यहाँ होने ही चाहिए।

“भारी उद्योग और विशेषरूप से भारी मशीन निर्माण उद्योग आर्थिक विकास का स्रोत व आधार¹ कभी नहीं रहे हैं। औद्योगीकरण के आरम्भिक दिनों में आर्थिक संवृद्धि का आधार थे कृषि, व्यापार व दस्तकारी। सोवियत संघ व जापान को छोड़कर हर बड़े औद्योगिक देश में भारी उद्योग उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के आधार पर व इन उद्योगों की मांग के अनुसार ही बढ़े हैं। यह न केवल अमेरिका, इंग्लैण्ड व जर्मनी बल्कि फ्रांस, इटली, कनाडा आदि के बारे में भी सही है। रूस व जापान में इसके विपरीत ढंग से विकास हुआ तो उसकी वजह थी ऐसी ऐतिहासिक परिस्थिति जिसे अपवाद मानना चाहिए। रूस में पीटर महान के बाद और जापान में मीजी राजवंश की पुनःस्थापना के बाद, अधिकतर सरकार ने ही अपने राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया और उसका नियंत्रण किया। दोनों देशों में सामारिक शक्ति के आधार रूप में, न कि अधिक औद्योगीकरण के लिए, भारी उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध से पहले रूस में सोवियत-संस्थाओं ने व जापान में सैनिक दल ने उसी नीति का बड़ी क्रूरता के साथ अनुसरण किया।”²

यदि और आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो आर्थिक प्रगति का एक मात्र “स्रोत व आधार” कृषि है, और कुछ नहीं। कोई देश उसी हद तक विकास करता जायेगा जिस हद तक उसके यहाँ खाद्यान्न व कच्चा माल उपलब्ध होंगे। अगर किसान अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न नहीं पैदा करते तो उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, और वे बेचेंगे नहीं तो खरीदने के लिए उनके पास साधन नहीं होंगे।

1 ‘स्रोत व आधार’ शब्दों का प्रयोग जवाहरलाल नेहरू ने भारी उद्योग के संदर्भ में किया था।

2 ‘इंडिया: द अवेकनिंग जायंट’, हार्पर एण्ड ब्रदर्स, न्यूयार्क, 1959, पु० 175।

इसका मतलब है कि बिना कृषि उत्पादन में बुद्धि के न तो कोई व्यापार चल सकता है न दस्तकारी।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगर किसी देश के अन्दर अतिरिक्त खाद्यान्व व कच्चा माल उपलब्ध नहीं है या वह देश अपने विनिर्मित माल के बदले में उनका आयात सुनिश्चित नहीं कर सकता है तो उसके रहने वालों के जीवन—स्तर में कोई सुधार नहीं होगा, न उस देश का आर्थिक विकास होगा। इतना ही नहीं, जिस दर से व जिस मात्रा में कोई देश अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर सकता है, उसी पर उस देश के औद्योगीकरण की रफ़तार, उसका दायरा व उसका ढंग मुनहसिर है। भारत जैसे देश के हालात में, जहाँ भूमि व मनुष्य का अनुपात बहुत कम है, जहाँ श्रम का अपेक्षाकृत बाहुल्य है व पूँजी की कमी है, अर्थात् मशीनों की अपेक्षा आदमी सस्ते पड़ते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था में हाथ से चलने वाले उद्योगों, दस्तकारी व कुटीर उद्योगों की प्रधानता रहेगी। जब कृषि का उत्पादन बढ़ जाये जिससे खेती से आमदनी बढ़ जाये और विनिर्मित माल की मांग बढ़ जाये तो एक संचयी प्रक्रम आरम्भ होता है, अर्थात् अधिकाधिक उद्योग लगने लगते हैं और औद्योगीकरण आय बढ़ने का परिणाम न रहकर उसका कारण बन जाता है।

क्योंकि मानवीय मांगों में बहुत विभिन्नता है, इसलिए एक के बाद दूसरे उद्योग बनने लगते हैं—यह उद्योग एक—दूसरे के पूरक होते हैं अर्थात् एक—दूसरे के लिए बाजार बनाते हैं व इस प्रकार एक—दूसरे को सहारा देते हैं। अधिकतर उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय बराबर बढ़ती रहती है।

धीरे—धीरे वह स्थिति आ जाती है जब (विभिन्न प्रकार के उद्योगों व सेवाओं के बन जाने से) श्रम की अपेक्षाकृत कमी हो जाती है और पूँजी का बाहुल्य हो जाता है, आदमी सस्ता पड़ने के बजाय मशीनें सस्ती पड़ने लगती हैं। उस मंजिल पर पहुँचकर जहाँ भारत को पहुँचने में बहुत समय लगेगा, अर्थव्यवस्था में मशीनों से चलने वाले उद्योगों को प्रधानता मिलने लगती है। दस्तकारी से मशीन—प्रधान उद्योगों तक, श्रम—प्रधान तकनीकों तक प्रगति का दारोमदार इस पर है कि किस रफ़तार से खेती से अतिरिक्त उत्पादन मिलता है या पूँजी मिलती है—खेती से जितने श्रमिक छुटकारा पायें, अर्थात् जिनकी खेती में जरूरत न रहे, उनके अनुपात में पूँजी को देखना चाहिए। जिस प्रकार कुटीर व छोटे—स्तर के उद्योग मुख्यतः खाद्य पदार्थ व कच्चे

माल के रूप में कृषि के अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर बढ़ते हैं, वैसे ही मशीनीकृत उद्योग कुटीर व छोटे-स्तर के उद्योगों के आधार पर उनकी माँग को पूरा करने के लिए व अपने को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हुए बढ़ेंगे। जहाँ सघन कृषि व्यवस्था हो, वहीं भारी व बड़े उद्योगों के बनने में समय लगना चाहिए और उनको ऐसी अभिरचना का शिखर-बिन्दु होना चाहिए जिसकी आधार-रेखाएं हों कृषि, दस्तकारी व ग्रामीण उद्योग।

भारत में प्रगति का मापदण्ड यह नहीं है कि हम कितना इस्पात, या कितने टी० वी० सेट, या कितनी मोटरगाड़ियाँ बना सकते हैं, बल्कि यह है कि हम किस मात्रा में व किस तरह की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे खाना, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को, उस आदमी तक पहुँचा सकते हैं जिसे गांधीजी 'आखिरी आदमी' कहते थे। भारत में या ऐसी ही स्थितियों वाले किसी भी देश में भारी उद्योग को प्राथमिकता देने का अर्थ है कृषि विकास को कुण्ठित करना, खाद्य पदार्थों की कमी करना व आयात की हुई भोजन सामग्री पर आश्रित रहना।

ऐसे बहुत-से विकासशील देश हैं जिनको भारत से अधिक प्राकृतिक साधन उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी वहाँ रोज़गारों का बाहुल्य है, गरीब लोग सम्पत्ति पैदा कर रहे हैं, कम बच्चे मरते हैं और साक्षरता बढ़ती जा रही है। इन देशों की राजनीति का स्वरूप जनतन्त्रीय है। उनमें से कुछ के नाम हैं तायवान, इस्माईल, प्योर्ट रिको व इजिप्ट। फिर भारत क्यों गरीबी व दरिद्रता के गर्त में पड़ा है और आगे नहीं बढ़ पाता? स्पष्ट है कि हमारी नीतियाँ ग़लत हैं और उनको बदलने की जरूरत है जिसका मतलब है कि हमें उन मिथ्या धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा जो बहुत दिन से हमारे बीच फैलायी जा रही हैं।

इन मिथ्या धारणाओं में एक-दो का उल्लेख कर दिया जाये तो अच्छा होगा। बहुत लोग विश्वास करते हैं कि बड़े फ़ार्मों में अधिक पैदावार होती है और अधिक लोगों को काम मिलता है जबकि सही बात यह है कि छोटे फ़ार्मों में अधिक पैदावार होती है और अधिक लोग काम करते हैं। छोटे व कुटीर उद्योगों में शहरों में लगे बड़े कारखानों की अपेक्षा, जिनमें नवीनतम मशीनें लगी हों, लागत-पूँजी की प्रति इकाई अधिक उत्पादन होता है और अधिक आदमियों को काम मिलता है। भारत में खेती में भूमि और उद्योग में पूँजी ऐसे कारक हैं जो उत्पादन को सीमित करते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र का नौसिखिया भी यह कहेगा

कि उनका अधिकतम उपयोग किया जाये। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक संवृद्धि का कोई और जनतन्त्रीय उपाय नहीं है।

उद्योग के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण का औचित्य

भारत के लिए किस प्रकार की औद्योगिक व्यवस्था मुनासिब होगी, यह इस पर मुनहसिर करता है कि हम चाहते क्या हैं। यदि हमारा उद्देश्य केवल यही है कि प्रति श्रमिक अधिकतम उत्पादन हो, उत्पादन का प्रति व्यक्ति लगी पूँजी से सकारात्मक सम्बन्ध हो तो हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें पश्चिमी देशों के ढंग की पूँजी—रचना हो। और, पश्चिमी देशों में बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। लेकिन उत्पादन के बजाय यदि हम समूची जनता का कल्याण चाहते हैं तो एक ऐसे देश में जहां पूँजी का प्रभाव हो और श्रम का बाहुल्य, हमें महात्मा गांधी द्वारा बताये गये ढंग की अर्थव्यवस्था से बचने के लिए कोई गुंजायश ही नहीं है। उनके ढंग की अर्थव्यवस्था में आज के हालात में न केवल सम्पत्ति का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि हमारे अन्य उद्देश्य भी पूरे होंगे अधिकतम रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा, राष्ट्रीय उत्पाद का समान वितरण सम्भव हो सकेगा और जनतन्त्रीय जीवन को बढ़ावा मिलेगा।

सूती कपड़ा उद्योग में पूँजी व उत्पादन में पारस्परिक सम्बन्ध के उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत के लिए कम—पूँजी वाली संरचना सबसे उपयुक्त है। स्वर्गीय डॉ० पी० एस० लोकनाथन के कथनानुसार, 1940 के बाद के दशक में भारत में मोटे तौर से उत्पादन के चार विभिन्न तरीकों से सूती कपड़ा बनाया जाता था। इन में पूँजी तीव्रता (अर्थात प्रति श्रमिक लागत—पूँजी एक—एक सीढ़ी करके बढ़ती जाती थी) सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

भारत में सूती बुनाई उद्योग में पूंजी व उत्पाद

| उत्पादन का तरीका | पूंजी की तीव्रता (प्रति श्रमिक जुड़ा हुआ मूल्य) | उत्पाद(प्रति श्रमिक जुड़ा हुआ मूल्य) | पूंजी गुणांक (मूल्य अथवा पूंजी से अनुपात) | पूंजी की प्रति श्रम |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आधुनिक मिल अथवा ऐसी मिली—जुली मिल जिसमें कताई व बुनाई एक ही जगह होती थी (बड़े पैमाने के उद्योग) | 1,200 | 650 | 1.54 | 1 |
| बिजली करघा अथवा छोटी मिल जिसमें केवल बुनाई होती थी (छोटा उद्योग) | 300 | 200 | 0.66 | 3 |
| स्वचालित करघा (कुटीर उद्योग) | 90 | 80 | 0.90 | 15 |
| हाथ करघा (कुटीर उद्योग) | 35 | 45 | 1.29 | 25 |

स्रोत: ईस्टर्न इंकॉर्पोरेशन्स, 23 जुलाई 1943, पृ० 340।

टिप्पणी: पृष्ठ 101 पर तालिका भी देखिये।

तीन प्रकार के उद्योगों में, कुटीर, लघु-स्तर व बड़े स्तर के उद्योगों में श्रम, पूंजी व उत्पाद के सम्बन्ध को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है:

| निवल उत्पाद अथवा प्रति श्रमिक जुड़ा मूल्य | निवल उत्पाद अथवा पूंजी की एक इकाई द्वारा जोड़ा मूल्य | पूंजी की प्रति इकाई के लिए लगे श्रमिक | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------|------|------|-------|-----|------|
| कुटीर | लघु | बड़ा | कुटीर | लघु | बड़ा | कुटीर | लघु | बड़ा |
| 45 | 200 | 650 | 1.0 | 0.60 | 0.54 | 25 | 3 | 1 |
| 450 | 2,250 | 48,000 | 9.0 | 1.5 | 0.6 | | | |
| 300 | 1,500 | 96,000 | 6.0 | 7.5 | 0.6 | 3,200 | 4 | 1 |

इन आंकड़ों से मालूम होता है कि जहाँ तक प्रति श्रमिक निवल उत्पाद (अर्थात् जोड़े गये मूल्य) का प्रश्न है, उसका उद्यम के आकार व तकनीक से एक सकारात्मक सम्बन्ध है – अर्थात् प्रति श्रमिक उत्पाद उतना ही बढ़ता है जितना आकार, पूँजी तीव्रता (या प्रति श्रमिक लगी पूँजी) तथा / अथवा प्रौद्योगिकी में सुधार होता है। कुटीर उद्योग में प्रति श्रमिक उत्पाद लघु उद्योग से कम होता है और लघु उद्योग में बड़े अथवा पूँजी प्रधान उद्योग की अपेक्षा कम होता है। लेकिन निश्चित पूँजी की प्रति इकाई का जोड़े गये मूल्य तथा लगाये गये श्रम के साथ विपरीत सम्बन्ध है। अर्थात् जैसे–जैसे किसी उद्योग में पूँजी तीव्रता या प्रति श्रमिक लगी पूँजी बढ़ती है और प्रौद्योगिकी में सुधार होता है वैसे–वैसे ही उत्पादन कम होता जाता है और काम में लगे श्रमिकों की संख्या कम होती जाती है।

एक प्रकार से योजना आयोग के स्टैटिस्टिकल सलाहकार प्रो० महालनोबीस को हमारे भारी उद्योग कार्यक्रम का निर्माता कहा जा सकता है। उन्होंने लेख¹ में निम्नलिखित आँकड़े दिये हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं:

| धन्धा जिसमें पूँजी लगी | कितने अतिरिक्त संसाधनों का उत्पादन करती है | कितने व्यक्तियों को रोज़गार देती है |
|------------------------|--|-------------------------------------|
| भारी उद्योग | 14 लाख रु० | 500 |
| उपभोक्ता माल उद्योग | 33 लाख रु० | 1,500 |
| कृषि | 57 से 69 लाख रु० | 4,000 |

भारत सरकार के उद्योग विभाग के खादी व ग्रामोद्योग उप–विभाग के काम के सिलसिले में अगस्त 1974 में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसके अनुसार चौथी योजना की अवधि 1969–74 में बड़े उद्योगों की अपेक्षा खादी व ग्रामोद्योगों में एक श्रमिक को रोज़गार देने के लिए बहुत कम पूँजी लगाने की जरूरत थी – खादी व ग्रामोद्योगों में औसतन 530 रु० की पूँजी लगाने की जरूरत थी, सूती कपड़ा उद्योग में 10,000 रु० और सीमेण्ट या इस्पात उद्योग में 5 से 10 लाख रु०। और 1974–75 के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के

1 'जर्नल ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट', दिसम्बर 1965।

अनुसार बड़े उद्योगों के क्षेत्र में कुल मिलाकर एक श्रमिक को रोज़गार देने के लिए 29,600 रु० की पूँजी लगाने की आवश्यकता थी।

निम्न तालिका में दोनों क्षेत्रों के अर्थात् बड़े स्तरीय व छोटे स्तरीय, ऐसे कारखानों की जिनकी गणना की जाती है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में तुलनात्मक ऑकड़े दिये जा रहे हैं—छोटा—स्तरीय कारखाना वह माना गया है जिसमें मशीनें व प्लांट के लिए कुल मिलाकर 7.5 लाख की लागत लगी हो:

संरचनात्मक सम्बन्ध (आकार के अनुसार) - 1970

| मद | बड़ा | छोटा |
|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| प्रति फैक्टरी उत्पादक—पूँजी (लाख रु० में) | 203.13 | 1.89 |
| प्रति एक लाख रु० रोज़गार (संख्या) | 3.8 | 19.0 |
| प्रति फैक्टरी रोज़गार (संख्या) | 777 | 36 |
| प्रति फैक्टरी सकल उत्पाद (लाख रु० में) | 169.94 | 5.73 |
| जोड़ा गया मूल्य | 42.68 | 0.96 |
| प्रति श्रमिक उत्पादक— पूँजी (लाख रु० में) | 26,130.00 | 5,240.00 |
| प्रति श्रमिक सकल उत्पाद (रु० में) | 21,861.00 | 15,917.00 |
| प्रति श्रमिक जोड़ा गया मूल्य (रु० में) | 5,490.00 | 2,665.00 |
| जोड़ा गया मूल्य — सकल उत्पाद के मूल्य का प्रतिशत | 25.1 | 16.7 |
| उत्पादक—पूँजी व जोड़े गये मूल्य का अनुपात | 4.76 | 1.97 |
| उत्पादक—पूँजी व सकल उत्पाद के मूल्य का अनुपात | 1.20 | 0.33 |

नीचे की तालिका में 1961 में ताइवान में विभिन्न प्रकार की फैक्टरियों में पूँजी—लागत व श्रम का भाग दिखाया गया है। 2,500 डालर से कम लागत की इकाइयों में पूँजी व उत्पाद का अनुपात उसका आधा है जो 250,000 डालर से 2,500,000 तक लागत की इकाइयों में होता है। अतः, 2,500 डालर से कम लागत की इकाइयों में श्रमिक की आय का

भाग 250,000 डालर से 2,500,000 डालर तक लागत वाली इकाइयों का दूना है।

फैक्टरी के आकार के आधार पर उत्पादन बढ़ाने की पूँजी-लागत तथा श्रमिक की आय का भाग, ताइवान, 1961

| उद्योग का आकार – लागत-पूँजी के अनुसार | 1.00 डालर का उत्पादन बढ़ाने के लिए लागत पूँजी | प्रति 1.00 डालर आय में श्रम का भाग |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 2,500 डालर से कम | 1.97 डालर | 74 सैंट |
| 2,500 डालर से 25,000 डालर तक | 2.52 डालर | 72 सैंट |
| 25,000 डालर से 250,000 डालर तक | 3.26 डालर | 50 सैंट |
| 250,000 डालर से 2,500,000 डालर तक | 3.66 डालर | 39 सैंट |
| 2,500,000 डालर से अधिक | 4.46 डालर | 31 सैंट |

स्रोत: एडगर ओवेन्स व रार्बट शॉ: डिवलपमेंट रीकन्सिडर्ड, लैनाटन बुक्स, मैसाचुसेट्स, 1972।

यह स्पष्ट है कि जहाँ तक लागत पूँजी के प्रति इकाई उत्पाद का सम्बन्ध है, विनिर्माण उद्योग में कुल मिलाकर बड़े आकार में किफायत होने का सिद्धान्त लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में, वास्तविक जीवन में ऐसा कोई सिद्धान्त या नियम नहीं है कि एक उद्योगपति के हाथों में पूँजी का केन्द्रीकरण होने से उत्पाद-पूँजी अनुपात भी बढ़ जाता हो, और न इस तरह के विचार के लिए विज्ञान में कोई गुंजायश है। मशीनीकरण व स्वचालन शुरू किये गये थे श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अर्थात् उत्पाद-श्रमिक अनुपात बढ़ाने के लिए। मशीनीकरण व स्वचालन का उत्पाद-पूँजी अनुपात पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और विपरीत प्रभाव भी। प्रौद्योगिकी के विकास से अतिरिक्त पूँजी लगाकर श्रम-प्रधान उद्यमों को तो समाप्त किया जाता है लेकिन उससे उत्पादन नहीं बढ़ता।

हम पाठ्य पुस्तकों में बड़े आकार में किफायत होने के सिद्धान्त के जो उदाहरण पढ़ते हैं, वे मुख्य रूप से बहुत अधिक औद्योगीकृत देशों के अनुभव पर आधारित होते हैं। भारत में इस सिद्धान्त का, जिसका

अर्थ है कि जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी ही कम प्रति इकाई लागत होगी, कोई उदाहरण मिल सकता है तो इस्पात जैसे पूँजीगत माल पैदा करने वाले उद्योगों में ही। उपभोक्ता उद्योगों में तो इस सिद्धान्त का कोई नाम-निशान नहीं मिलता।

यद्यपि आधुनिक मिलें व फैक्टरियाँ बनाने के अर्थ में भारत में औद्योगीकरण उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही शुरू हो गया था, लेकिन 1948–49 में भारत के कुल उत्पादन में से केवल 6.4 प्रतिशत ही उत्पाद हुआ 'फैक्टरी संस्थानों' में, (अर्थात् छोटी-बड़ी फैक्टरियों में जो 1948–49 के फैक्टरी कानून के अन्तर्गत आती थीं) और 10 प्रतिशत हुआ उन छोटे उद्यमों में जो फैक्टरी नहीं माने जाते थे। 20 वर्ष तक बड़े-स्तरीय उद्योग में अनुपातहीन ढंग से अन्धा-धुन्ध पूँजी लगाने के बाद भी 1968–69 में उसका उत्पादन बढ़कर केवल कुल उत्पाद का 10.7 प्रतिशत हो सका लेकिन छोटे उद्यमों का भाग जो फैक्टरी एकट में नहीं गिने जाते, घटकर 7 प्रतिशत रह गया। (इन दोनों प्रकार के उद्यमों में कितनी कितनी आय हुई, इसके आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।) कुल मिलाकर सफल राष्ट्रीय आय में विनिर्माण उद्योगों का अशादान 1948–49 में 16.7 प्रतिशत से बढ़कर 1968–69 में केवल 17.7 प्रतिशत हो पाया। यद्यपि इसकी बड़ी धूमधाम है कि औद्योगीकरण की वजह से अब दुनिया के औद्योगीकृत देशों में भारत को आठवाँ या नवां स्थान मिल गया है, लेकिन भारत के रहन-सहन का स्तर एशिया में लगभग सबसे कम है और 35 करोड़ व्यक्ति हमारे देश में भुखमरी की सीमा-रेखा पर खड़े रहते हैं।

जो लोग भारी या बड़े-स्तरीय आधुनिक उद्योग के मोहजाल में फँसे हैं, उनको विशेष रूप से इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि हमारी नीतियों के फलस्वरूप कुटीर धन्धे तो खत्म हो रहे हैं लेकिन 1973 में छोटी-बड़ी मिलाकर सभी फैक्टरियों में केवल 55 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ था जबकि हर वर्ष हमारे देश में रोज़गार तलाश करने वालों अर्थात् श्रमिक-बल की संख्या 50 लाख बढ़ जाती है। गाँवों में बेरोज़गारी के विभिन्न अनुमान हैं—किसी के अनुसार गाँवों में 90 लाख बेरोज़गार हैं, तो किसी के अनुसार 260 लाख। इस सम्बन्ध में कृषि आयोग का यह कथन विचारणीय है कि कृषि से कृषितर क्षेत्र में श्रमिकों का हस्तान्तरण बहुत धीमी रफ़तार से ही होगा। बहुत हुआ तो इस शताब्दी के अन्त तक कृषितर क्षेत्र कुल श्रमिक-बल अर्थात् कुल रोज़गार लायक व्यक्तियों के 30 प्रतिशत को ही रोज़गार दे पायेगा।

जो लोग यह विश्वास करते हैं कि उद्योग से हमारे बेरोज़गारों व अल्प-रोज़गार वालों की समस्या हल हो जायेगी, उनके विचारों की अवास्तविकता इसी से स्पष्ट हो जायेगी कि प्रौद्योगिकी के निरन्तर विकास के कारण उतना ही माल बनाने के लिए आवश्यक मज़दूरों की संख्या में भी निरन्तर कमी होती जा रही है। उदाहरण के लिए, 1961 में हमारे यहाँ की 445 सूती कपड़ा मिलों में कपास की 36,87,000 गांठों की खपत होती थी और 7,22,000 मज़दूरों को काम मिला हुआ था। 1971 में सूती कपड़ा मिलों की संख्या तो बढ़कर 684 हो गयी, कपास की खपत भी बढ़कर 62,51,000 गांठे हो गयी लेकिन मज़दूरों की संख्या बढ़कर केवल 7,61,000 हो पायी। सूती कपड़ा उद्योग ने अपने मुनाफ़ों को आधुनिक मशीनों लगाने के लिए इस्तेमाल किया है, और इन मशीनों ने मज़दूरों का स्थान ले लिया है। ऐसी प्रवृत्तियाँ सीमेंट, कोयला तथा खदान जैसे उद्योगों में भी नज़र आती हैं।

आगे क्या होने वाला है, यह इस मिसाल से जाहिर होगा कि गुजरात के मेहसाना ज़िले में 70 करोड़ रुपये की लागत से एक उर्वरक फैक्टरी बनी है जिसमें केवल 350 व्यक्तियों को काम मिला है। और, एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात के ही भड़ौच ज़िले में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक उर्वरक फैक्टरी बन रही है जहाँ 1979 के मध्य में काम शुरू होने पर कुल 1,100 लोगों को काम मिलेगा।¹

औद्योगिक प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ-साथ मानवीय श्रम की उत्पादकता जरूर बढ़ती है परन्तु एक मज़दूर को काम देने के लिए पहले से कहीं अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। सच तो यह है कि मज़दूर की उत्पादकता इसलिए बढ़ती है कि बहुत अधिक पूँजी लगायी जाती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था में जहाँ पूँजी की कमी हो, उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी को अस्वीकार करने से कम आदमियों को रोज़गार मिलेगा। जिनको रोज़गार मिलेगा उनकी आय तो पहले से अधिक हो जायगी लेकिन उनकी आय में यह वृद्धि दूसरों की आय खत्म करके होगी। हमारे यहाँ जो स्थिति है कि पूँजी का प्रभाव है और श्रम न केवल बहुत है बल्कि फालतू है उसे देखते हुए राष्ट्रीय हित में यह नहीं होगा कि सबसे नयी व बहुत अधिक स्वचालित तथा कीमती मशीनों का प्रयोग किया जाय जिनको पूँजी तो अधिक चाहिए लेकिन श्रम कम। हमारे देश में साफ़ जाहिर है कि श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी की

1 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया', नई दिल्ली, 3 दिसम्बर 1975।

जरुरत है—ऐसी प्रौद्योगिकी की जिसके लिए एक मजदूर को रखने में कम पूँजी चाहिए। ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उतनी ही पूँजी में मजदूरों की कहीं अधिक संख्या को काम दिया जा सकेगा। कहने का मतलब यह कि भारत में पूँजी ऐसा कारक है जो उत्पादन को सीमित करता है, इसलिए हमारा आर्थिक संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों की अपेक्षा जहाँ श्रम का प्रभाव है, उत्पाद व पूँजी का अनुपात अधिक हो, न कि उत्पाद व श्रम का अनुपात।

पूँजी—प्रधान उद्यम उन लोगों के लिए हितकर हो सकते हैं जो उनमें काम करते हैं क्योंकि उनको दूसरों से अधिक वेतन मिलेगा। लेकिन सारे देश की दृष्टि से श्रम—प्रधान उद्यम ही अधिक हितकर हैं, विशेष रूप से ऐसे देश में जहाँ पूँजी का प्रभाव है (ऐसे उद्यमों को कम पूँजी चाहिए), गरीबी अत्यधिक है (ऐसे उद्यम लागत की फ़ी इकाई अधिक उत्पादन करते हैं), और श्रम का बाहुल्य है (ऐसे उद्यमों में अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है)। पश्चिमी देशों में सरकारों व अर्थशास्त्रियों के सामने श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का सवाल है, लेकिन हमें तो एक राष्ट्र के नाते पूँजी की उत्पादकता बढ़ाने की चिन्ता होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास पूँजी की कमी है, उन्नत देशों की तरह श्रम की कमी नहीं है। हमारे सामने दो रास्ते हैं—एक है पूँजी प्रधान रास्ता जिस पर चलकर कुछ लोगों की आय अधिक हो सकती है, और दूसरा रास्ता है श्रम—प्रधान जिस पर चलकर सभी को मामूली—सी आय होगी लेकिन वह आय बढ़ती जायेगी। इसमें से हमें दूसरा रास्ता चुनना है जो जापान ने भी चुना था।

1947 से जिन नीतियों का सरकार ने अनुसरण किया उनके फलस्वरूप इजारेदारियों ने जन्म ले लिया है और असमानताएं बढ़ गयी हैं। एक विशिष्ट विचारधारा ने आर्थिक प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है और मजा तो यह है कि उससे लाभ उन शक्तियों को ही हुआ जिनका वह विचारधारा दिखावे के लिए विरोध कर रही थी। हमारे यहाँ जान—बूझकर असमानता बढ़ायी गयी क्योंकि आशा यह थी कि बड़ी या पूँजी—प्रधान इकाइयों से उपलब्ध अतिरिक्त आय को अर्थव्यवस्था में फिर से लगाने के लिए जमा कर सकना आसान होगा। धीरे—धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि उन लोगों को भी, जिनका ऐसे उद्योगों की वजह से रोज़गार छिन गया या जिनको इन धन्धों में रोज़गार न मिल सके, काम में खपाया जा सकेगा। यह आशा पूरी नहीं हो हुई और जैसा कि प्रो० डडले सीयर्स ने बताया है, कभी पूरी नहीं हो

पायेगी। खासतौर से भारत के लिए तो कोई वजह नहीं थी कि अपनी अर्थव्यवस्था में यह दोष आंने देता क्योंकि उसे तो लम्बे अर्से तक गांधी की शिक्षा का मार्ग—दर्शन उपलब्ध था जो और देशों के सामने नहीं था। संवृद्धि तथा वितरण, सकल राष्ट्रीय आय व सामाजिक न्याय—यह परस्पर विरोधी नहीं थे। दोनों साथ—साथ सम्भव थे।

बहुत दिन पहले 1939 में राजकुमारी अमृत कौर को एक पत्र में गांधीजी ने लिखा था कि “जवाहरलाल की योजनाओं में फिजूलखर्ची जरूर होगी लेकिन वह तो किसी ऐसी चीज से सन्तुष्ट नहीं होंगे जो बड़ी न हो।” नेहरू ने अपनी ग़लती को समझा, लेकिन बहुत देर में। 11 दिसम्बर 1963 को लोकसभा में उन्होंने स्वीकार किया कि “योजना से कुछ लोगों के हाथों में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए।”

बेरोज़गारी उन्मूलन के उपाय

बेरोज़गारी भारत की सबसे बड़ी शत्रु है। या तो उसका उन्मूलन किया जाना चाहिए, या फिर सभ्य राष्ट्रों के समाज से वह हमारा उन्मूलन कर देगी। बेरोज़गारी की समस्या का हल ही ग़रीबी और आय की व्यापक असमानताओं की समस्याओं के समाधान की कुंजी है। जब श्रमिक को रोज़गार का आश्वासन मिल जाये अर्थात् यह व्यवस्था हो जाये कि उसे कुछ—न—कुछ अवश्य मिल जायेगा, तो ग़रीबी तथा आय की असमानता भी कम होने लगेगी। इसलिए बेरोज़गारी की चुनौती को टाला नहीं जा सकता। किसी सेना के मनोबल का मापदण्ड यह है कि वह अपने घायल सैनिकों की देखभाल कैसे करती है और उन्हें मैदान में पड़ा न छोड़ने के लिए कितने खतरे उठाती है। उसी प्रकार किसी अर्थनीति या राजनीति की गुणवत्ता का मापदण्ड यह है कि वह अपने पीड़ित, दुर्बल, बेरोज़गार, मूक नागरिकों का उद्धार कैसे करती है और उन सभी लोगों को, जो असहाय हैं और जिन्हें दूसरे दिन की रोटी का सहारा नहीं है, कैसे राहत पहुंचाती है। उनमें अधिकतर न वोट देते हैं, न यह जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धान्तों का क्या मतलब है। उनको इतने दिनों से और इतनी प्रकार से धोखे दिये जाते रहे हैं कि वे अब यह भी विश्वास नहीं करते कि कोई प्रगति सम्भव है। भारत में राजनीतिक नेतृत्व की परख अब उसके क्रान्तिकारी नारों से नहीं होगी बल्कि इन बेचारों के लिए किये गये काम से होगी।

दुर्भाग्य है कि अभी तक राजनीतिक क्षेत्रों में यह पूरी चेतना नहीं

है कि हमारा उद्घार तभी सम्भव होगा जब हम उन दोषपूर्ण नीतियों में जिनकी वजह से आज की स्थिति उत्पन्न हुई है, आमूल परिवर्तन करेंगे। हम चाहे जितनी सरकारी नौकरियाँ बढ़ा दें, गाँवों में निर्माण कार्य आरम्भ कर दें, गन्दी बस्तियों की सफाई में लोगों को लगा दें, लेकिन इनमें से कोई भी काम बेरोज़गारी के रोग का, जो हमारे राष्ट्र को अन्दर से खोखला कर रहा है, न टिकाऊ है, न पूरा इलाज है। कोई भी नीति हो, उसका उद्देश्य यह तो नहीं हो सकता कि चाहे जैसा कार्यक्रम आरम्भ कर दिया जाये, या चाहे जैसा काम लोगों को दिला दिया जाये। किसी भी नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि लोगों को ऐसा काम मिले जो आर्थिक दृष्टि से उत्पादक हो और उससे रहन—सहन के मार्कूल स्तर के लायक आमदनी हो। काम का अर्थ मुख्य रूप से यह होना चाहिए कि लोगों के लिए अधिक सामान व सेवाओं का उत्पादन हो। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों की जरूरत नहीं है या जिनको कुछ भी नहीं आता सिफर उन्हें मज़दूरी मिल जाये — यह किया गया तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

हमारे सामने एक विडम्बनापूर्ण स्थिति है। एक तरफ तो दसियों लाख लोग बेरोज़गार धम रहे हैं। दूसरी ओर हमारे यहाँ माल व सेवाओं का प्रभाव है (क्योंकि लोगों से काम नहीं लिया जाता)। हमारे यहाँ पूँजी व भूमि सीमित हैं और श्रमिक—बल असीम मालूम होता है। यदि अधिकतम दर पर भी पूँजी लगायी जाये तो भी आने वाले बहुत दिनों तक श्रम की अपेक्षा उसकी कमी रहेगी। ऐसी स्थिति में जहाँ भी हो सके पूँजी के स्थान पर श्रम से काम लिया जाये और किसी भी हालत में किसी ऐसी पूँजी—प्रधान परियोजना को हाथ में न लिया जाये जिसका कोई श्रम—प्रधान विकल्प सम्भव हो।

ऐसी स्थिति का सामना केवल भारत को ही नहीं करना पड़ रहा है। अधिकतर विकासोन्मुख देश जिन्होंने आर्थिक संवृद्धि का पश्चिमी ढंग अपनाया था लेकिन जिनकी अर्थव्यवस्था सघन कृषि पर निर्भर है, आज अपने को भारत जैसी ही स्थिति में पाते हैं। फिर भी उनमें से तीन—चार को छोड़कर जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कोई भी अपनी नीति बदलने के लिए तैयार नहीं है। (गाँवों व शहरों में) असंख्य कृषितर रोज़गार के साधन बनाने व बढ़ाने के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाना (और लोगों की दिमागी आदतों को बदलना जरूरी है। फिर भी यदि कृषि को उचित प्राथमिकता दी जाये व उसमें आवश्यक पूँजी लगायी जाये तो कुछ समय के लिए उसमें विनिर्माण उद्योग से

अधिक रोज़गार मिल सकता है। तीन मुख्य पर सम्बन्धित क्षेत्र हैं जिनमें बड़े स्तर पर रोज़गार के लिए अवसर पैदा किये जा सकते हैं:

- (1) कृषि जिसमें पशुपालन, देसी खाद बनाना, सफाई तथा गोबर गैस शामिल है;
- (2) गाँवों में निर्माण कार्य, जैसे सिंचाई परियोजनाएं, भूमि संरक्षण, भूमि उद्घार, जंगल लगाना, आदि;
- (3) ग्रामीण व कुटीर उद्योग।

सिंचाई का विस्तार करने से, जंगल लगाने, भूमि का उद्घार करने तथा ऐसे ही ग्रामीण निर्माण कार्य आरम्भ करने से कृषि व वन-विभाग में नये रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की नयी व्यवस्था की गयी है वहाँ अनुमान लगाया गया है कि कृषि में रोज़गार के 60 प्रतिशत नये प्रवसर खुल जाते हैं।

इण्डियन कौसिल ऑफ़ एग्रीकलचरल रिसर्च के भूतपूर्व डायरेक्टर एम० एस० स्वामीनाथन ने कहा है कि यदि हम कृषि की ओर उचित ध्यान दें तो आगामी दशक में उसमें चार करोड़ नये लोगों को काम दे सकने की क्षमता है। इण्डियन एग्रीकलचरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के अनुसार, वहाँ एक से अधिक फसल पैदा करने की परियोजना बनायी जा रही है जिससे उत्पादन में तिगुनी वृद्धि होगी और एक करोड़ सत्तर लाख गाँव वालों को आगामी तीन वर्ष में काम मिल जायेगा। हमारे देश में 700 लाख हैंक्टर भूमि पर साल में एक ही फ़सल पैदा होती है और इसमें से 370 लाख हैंक्टर भूमि इस परियोजना के अन्तर्गत आ सकती है। इसकी कुल लागत 100 करोड़ रुपया होगी। इन्स्टीट्यूट ने यह अनुमान लगाया है कि लागत पूँजी की इकाई में कृषि में उद्योग की अपेक्षा दस गुना लोगों को रोज़गार मिल सकता है।

एफ० ए० ओ० (अन्तर्राष्ट्रीय भोजन एवं कृषि संगठन) द्वारा 1970 में प्रकाशित 'प्रोडक्शन ईयरबुक' के अनुसार 1971 में कृषि में पिछड़े देशों में 100 एकड़ भूमि पर 39 व्यक्ति काम करते थे जबकि कृषि की दृष्टि से उन्नत देशों में बहुत ज्यादा, जैसे जापान में 87, दक्षिणी कोरिया में 79, ताईवान में भी 79 और मिश्र में 71। यह चार देश दुनिया में छोटे खेतों पर आधारित श्रम-प्रधान कृषि के लिए नमूना हैं। इन चार देशों में अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा प्रति एकड़ सबसे अधिक पैदावार, छोटे काश्तकारों को सबसे अधिक आमदनी और कृषि विकास के लिए

प्रति एकड़ सबसे कम पूँजी—लागत होती है। यदि हम गहन खेती (इन्टरेन्सिव कल्टीवेशन) की सफलता के उपयुक्त परिस्थितियाँ पैदा कर दें तो हम न केवल अधिक लोगों को रोज़गार दे सकेंगे बल्कि प्रति एकड़ पैदावार भी अधिक कर सकेंगे।

यदि हम वर्तमान तकनीकों में औद्योगिकियों में (मशीनीकरण को छोड़कर, अन्य) सुधार कर सकें तो अनुभव बताता है कि श्रम की मांग बढ़ जायेगी। उदाहरण के लिए, हाल में प्रौद्योगिकी में हुए सुधारों के लिए जिनको सामूहिक रूप से 'हरित क्रान्ति' कहा जाता है, भूमि तैयार करने, बुवाई, छँटाई, बढ़ती फसल की देखभाल करने तथा कटाई के लिए ज़्यादा आदमियों की जरूरत होती है। कुछ सुधार तो ऐसे हैं जिनमें खेती से पहले ही अधिक श्रम लागत की आवश्यकता होगी जैसे सिचाई की नालियाँ आदि बनाने व उनको अच्छी हालत में रखने के लिए। इस दृष्टि से देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि गाँवों में फैले हुए अल्परोज़गार के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार कृषि की ऐसी तकनीकें हैं जो पुरानी हो गयी हैं और जिनमें कोई सुधार नहीं किया गया है।

हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यदि हम रोज़गार की समस्या को दिल से हल करना चाहते हैं तो कम—से—कम उन क्षेत्रों में जहाँ खेतिहर मज़दूरों की अधिकता है खेती में बड़ी मशीनों के प्रयोग के लिए किसी प्रकार का प्रशासनिक अथवा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए—न तो इन मशीनों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए, न सरल व सुगम ऋण की सुविधा और न किराये/किस्तों पर खरीदने की सुविधा दी जानी चाहिए, न इन मशीनों की कीमतों पर नियंत्रण करके उनकी अधिक बिक्री कराना और न कृषि विस्तार सेवाओं द्वारा उनका प्रचार कराना चाहिए—ये मशीनें श्रमिकों को हटाकर उनका काम खुद करती हैं। मशीनीकरण से जोतदार को प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने में (जो भारत में हमारा उद्देश्य होना चाहिए) सहायता नहीं मिलती बल्कि अधिक बड़ी जोत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। इसलिए हमारी नीति का मुख्य आधार यह नियम होना चाहिए कि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी के उन तत्वों पर बल दें जो श्रमिक का स्थान नहीं लेते—जैसे उन्नत बीज, आधुनिक उर्वरक व कीटाणु नाशक दवाएँ — तथा पूँजी निर्माण के उन स्वरूपों को प्रोत्साहन दें जिनमें श्रमिक—बल का अधिक प्रयोग होता है—जैसे भूमि को साफ़ करना व हमवार बनाना, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, नालियाँ बनाना

और बचाव के लिए बाड़ा आदि बनाना। यदि कृषि का मशीनीकरण करना ही है तो ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जो – जैसा कि गांधीजी ने कहा था – मानव श्रम की पूरक हों, मनुष्य के श्रम को सुगम बनायें, न कि मनुष्य का स्थान स्वयं ले लें। ऐसी ही मशीनें जापान में खेती में प्रयोग की जाती हैं।

पिछले पृष्ठों में हमने सुझाव दिया है कि लोग अधिकाधिक कृषितर धन्धों में लगें। इससे कोई गुलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब था कि यदि लोग खेती से सन्तुष्ट रहे तो वे ग्रामीण बने रहेंगे। हमारा यह मतलब नहीं था कि आज जो लोग खेती में लगे हैं उनकी मेहनत का पूरा इस्तेमाल होता है या यह कि अब खेती में रोज़गार की गुंजायश नहीं। न हमारा यह मतलब था कि आज जैसी स्थिति में भी जब हमारे देश में कृषितर रोज़गार नहीं मिलता (उसकी वजह चाहे जो हो) बेरोज़गार अथवा अल्परोज़गार वाले खेती में न लगे रहें। लेकिन आर्थिक जीवन के कुछ ठोस तथ्य होते हैं जिनके बारे में कोई विवाद नहीं होता। वे तथ्य यह हैं कि लगभग हर देश में कृषि से होने वाली प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा कृषितर धन्धों से होने वाली औसत-प्रति व्यक्ति आमदनी ज्यादा होती है, और लोगों के रहन-सहन का स्तर तभी बढ़ता है—भारत जैसे सघन खेती के देश में (जहाँ भूमि—मनुष्य अनुपात बहुत कम हो) तभी बढ़ सकता है जब खेतिहर मज़दूर कृषितर धन्धों में स्थानान्तरित हो जायें। लेकिन विडम्बना यह है कि कृषिगत समृद्धि (अर्थात् कृषि की उत्पादकता में बुद्धि) के बिना लोग खेती से हटकर कृषितर धन्धों में नहीं जा सकते। कृषि में रोज़गार की कमी से एक प्रकार से कृषि को हानि होगी लेकिन सारे समाज की सम्पन्नता के लिए यह कमी दीर्घकाल में कल्याणकारी ही होगी। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ उसकी पैदावार के उपभोग पर प्रकृति द्वारा लगी दूरगामी पाबन्दियों से खेतिहर मज़दूरों की संख्या में तीव्र एवं समान गति से कमी होगी।

टाइम्स ऑफ़ इण्डिया (नई दिल्ली) ने एक सम्पादकीय लेख में (21 अक्टूबर 1975) पिछले नौ वर्षों में संगठित उद्योग में रोज़गार में वृद्धि न होने पर टिप्पणी करते हुए लिखा था:

“ऐसी स्थिति के लिए कुछ हद तक इस बात को दोष दिया जा सकता है कि पिछले तीन दशकों में जो उपभोक्ता उद्योग स्थापित हुए हैं वे सभी श्रमिकों को विस्थापित करने वाले हैं। जूता बनाने

के कारखाने, रोटी बनाने के मशीनीकृत कारखाने, खाना पकाने के बर्तन बनाने वाले कारखाने, मशीनों से ईंट बनाने वाली भट्टियां, सूती कपड़ा रंगने व छापने वाली मिलें तथा ऐसे ही धन्धों ने लाखों जूता बनाने वालों, रोटी बनाने वालों, कुम्हारों, ईंट बनाने वालों, कपड़े की छपाई करने वालों आदि को बेरोज़गार बना दिया है। अभी तक यह धन्धे बिलकुल खत्म नहीं हुए हैं। इसलिए अभी सरकार के लिए यह सम्भव है कि उनका पुनरुत्थान कर दिसियों लाख आदमियों को रोज़गार दे दे। इसके लिए सिफ़र यह करना होगा कि सम्बन्धित बड़े स्तरीय धन्धों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें या उनके उत्पादन पर भारी कर लगा दिये जायें।”

विकेन्द्रित व कम गहन (कम इन्टेन्सिव) धन्धों के लाभ वित्तीय दृष्टि से इतने कम हैं कि खुले बाज़ार में उनके उत्पाद उत्तम व आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों के उत्पाद के मुकाबले में टिक नहीं सकते। इसलिए श्रम-प्रधान धन्धे तभी जीवित रह सकते हैं या उनका पुनरुत्थान किया जा सकता है जब उन्हें कानून द्वारा संरक्षण प्रदान करके बड़े स्वचालित उद्योगों के आक्रमण से बचाया जाये। हम अगर सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो कानून बनाकर तय करना होगा कि कौन उद्योग किस प्रकार का (बड़ा या छोटे स्तर का) उत्पादन कर सकता है। ऐसी सेवाएं व माल पैदा करने के लिए, जो कुटीर अथवा लघु उद्योग पैदा कर सकते हैं, भविष्य में किसी बड़े या मंझले स्तर के उद्यम को इजाज़त नहीं दी जायेगी। ऐसी सेवाओं व माल के उत्पादन के लिए जो कुटीर उद्योग पैदा कर सकते हैं, किसी लघु उद्योग को भी इजाज़त नहीं दी जायेगी। इसका मतलब है कि आज जो मिलें व कारखाने (मिसाल के लिए सूती कपड़ा मिलें) ऐसा माल बना रहे हैं जिसका उत्पादन छोटे व कुटीर उद्योगों द्वारा किया जा सकता हो, उनको अपने उत्पाद देश में बेचने की इजाज़त नहीं होगी। वे उसे निर्यात कर सकते हैं। इस निर्देश पर तुरन्त कार्य नहीं हो सकता तो धीरे-धीरे किया जायेगा। उन उद्योगों को (जिन्हें अपना माल देश में बेचने की इजाज़त नहीं होगी) विदेशी मण्डियों में अन्य देशों के माल के साथ प्रतियोगिता में सरकार भरसक सहायता देगी। लेकिन यदि वे प्रतियोगिता में टिक न सके तो उन्हें अपना धन्धा बन्द करना होगा लेकिन घरेलू मण्डी ऐसे माल के लिए छोटे व कुटीर उद्योगों के लिए ही सुरक्षित रहेगी।

जो इस सुझाव के आलोचक हों हम उन्हें बताना चाहेंगे कि ऐसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाले उद्योग भी, जैसे इस्पात, चीनी या सीमेंट तभी चल पाते हैं जब सरकार विदेशी प्रतियोगिता से उनको अपनी कर-नीतियों द्वारा व अन्य उपायों से संरक्षण प्रदान करती है। एल्यूमिनियम उद्योग को सस्ती बिजली दी जाती है, उसे प्रति इकाई 2 से 4 पैसे तक देने होते हैं जबकि एक ग्रीष्म किसान को इसका 5 से 6 गुना अधिक देना होता है। राज्यों के औद्योगिक विकास बोर्ड उद्योगों को अपने यहाँ ले जाने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं—मुफ़्त जमीनें, सरल ऋण, करों में छूट, सस्ती बिजली, रेल से माल उतारने—चढ़ाने के लिए प्लेटफार्म, स्कूल व स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ और न जाने क्या—क्या। घाटे की सूती कपड़ा मिलों में हर वर्ष 50 करोड़ रुपये से अधिक लगाया जाता है जो बेकार जाता है। ऐसे उदाहरणों का अन्त नहीं जिनसे मालूम होता है कि किस—किस प्रकार से खुले रूप में अथवा छुपे ढंग से सरकार बड़े—स्तर के उद्योगों को सहायता देती है—और कहती है कि यह जन हित में किया जा रहा है।

यह पूछना वाजिब होगा कि क्या उस समय तक जब सभी बेरोजगार लोगों को काम मिल जाता, भारत को ऐसे उद्योग लगाने चाहिए थे—या अब जबकि हालत और खराब हो गयी है, लगाते रहना चाहिए—जिनमें अधिक पूँजी लगाने की जरूरत हो और जिनसे प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादकता बढ़ती हो? हम अंग्रेज़ों से यह आशा नहीं करते थे कि वे हमारी समस्याओं को अच्छी तरह समझेंगे—उनके जमाने में ही हमारे देश में पूँजी—प्रधान उद्योग लगाना शुरू हुए। लेकिन अफसोस यह है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गयी है कि डर लगाने लगा है, फिर भी (बड़ी स्वचालित इकाइयों द्वारा) प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ाना हमारे देश में इतना लोकप्रिय है।

हमारे उपरोक्त सुझाव में सामाजिक न्याय (व रोज़गार) की मांगों तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाने की आवश्यकता का समन्वय किया गया है। कृषि की तरह विनिर्माण उद्योग में भी अधिकतम उत्पादन व अधिकतम रोज़गार परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं हैं। और फिर बेरोज़गारी कम करने से उपभोग का स्तर उंचा उठता है, खासतौर पर उन लोगों के उपभोग का जिनकी ऊपर उठाने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। (इस तरह देश की राजनीतिक कमजोरी को दूर करने के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता भी सुदूर होती है।)

उचित तकनीक चुनने की आवश्यकता पर बल देने में हमें प्रसिद्ध

अर्थशास्त्री, ससेक्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डडले सीयर्स का समर्थन प्राप्त है। उनका कहना है कि कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ऐसी नीतियों पर चलना चाहिए जो रोज़गार बढ़ा सकें—पहले तो यह तय करने में मदद करके कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाये और फिर यह तय करने में मदद करके कि उनका उत्पादन कैसे किया जाये। उनका मत है कि उत्पादनकर्ता को उत्पादन के ऐसे तरीके अपनाने के लिए, जिनमें श्रम-प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाये, यह इन्तजाम करके राजी किया जा सकता है कि श्रम व पूँजी के तुलनात्मक मूल्य उनकी उपलब्धि की स्थिति पर पूरी तरह से आधारित हों। परन्तु ताइवान, मिश्र, कोरिया व यूगोस्लाविया जैसे कुछ देशों को छोड़कर भारत की तरह के अन्य विकासोन्मुख देशों ने पूँजी-प्रधान और श्रम-बचाव वाले ढंग से विकास करना पसन्द किया है जिसका नतीजा है कि वे ऐसी नीतियों पर काम करते हैं जो श्रम को महंगा बनाती हैं व पूँजी को सस्ता, हालांकि श्रम की अधिकता है और पूँजी की कमी।

नई दिल्ली में फोरम ऑफ फाइनेंशियल राइटर्स के तत्त्वाधान में दिसम्बर 1972 में आर्थिक विषय पर लिखने वाले पत्रकारों की एक विचार-गोष्ठी के समक्ष भाषण देते हुए अमरीकी विकास—अर्थशास्त्री एडगर ओवेन्स ने इस प्रक्रिया की और निम्नलिखित शब्दों में ध्यान आकर्षित किया था:

“आमतौर से यह कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में बढ़ते हुए उत्पादन की—या तकनीकी भाषा में पूँजी उत्पाद अनुपात की—पूँजी लागत कम होनी चाहिए। कुछ तो यह इसलिए होना चाहिए कि पूँजी की कमी है, कुछ इसलिए कि वह प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत कम दाम की व आसान होती है जिसके द्वारा लोगों को आज से अधिक उत्पादन करने में मदद मिले।

“धनवान देशों में उत्पादन बढ़ाने की पूँजी लागत कहीं अधिक होनी चाहिए क्योंकि अति उन्नत प्रौद्योगिकी महँगी होती है। इसलिए श्रम-प्रधान, पूँजी-बचाव व छोटे उत्पादकों वाले ताइवान व कोरिया जैसे देशों में पूँजी—लागत कम होनी चाहिए, जापान व इस्राईल जैसी धनी अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी—लागत कुछ अधिक होनी चाहिए तथा पूँजी—लागत सबसे अधिक होनी चाहिए पूँजी प्रधान, श्रम—बचाव, बड़े उत्पादक पश्चिमी देशों में।”

लेकिन इसका उलटा हो रहा है। वे देश जिनके पास श्रम अधिक है, श्रम पर भरोसा करने के बजाय मशीनों पर भरोसा कर रहे हैं। जापान व इस्राईल में आमदनी बहुत है लेकिन वहाँ की अपेक्षा कई लातिनी अमरीकी देशों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पूँजी लगती है। जापान फिलिपीन्स से कहीं अधिक धनी है लेकिन जापान में कम पूँजी लगती है। यही बात भारत व अमेरिका के बारे में भी सही है।

विकास की पूँजी-लागत

| देश | 1 डालर उत्पादन बढ़ाने में पूँजी-लागत डालरों में (1960–69) | प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में औसत वार्षिक वृद्धि-प्रतिशत (1960–69) |
|------------|---|---|
| कोरिया | 1.70 | 6.4 |
| ताइवान | 2.10 | 6.3 |
| मैक्सिको | 3.10 | 3.4 |
| मोरक्को | 3.20 | 3.4 |
| फ़िलीपीन्स | 3.50 | 1.9 |
| भारत | 3.90 | 1.1 |
| पीरु | 4.00 | 1.4 |
| कोलम्बिया | 4.30 | 1.5 |
| वनेज्यूला | 4.90 | 2.5 |
| इस्राईल | 2.90 | 5.3 |
| जापान | 2.90 | 10.0 |
| अमेरिका | 3.70 | 3.2 |
| फ्रांस | 4.00 | 4.8 |
| नीदरलैण्डस | 5.00 | 3.1 |

स्रोत: वर्ल्ड बैंक आर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डिवलपमेंट, 1971; और यू० एस० एजेन्सी फॉर इन्टरनेशनल डिवलपमेंट, 1970।

इसी प्रकार विकासोन्मुख देशों में मशीनों के आयात के लिए कर—सम्बन्धी रियायतें दी जाती हैं और आसानी से आयात—पर्मिट जारी कर दिये जाते हैं, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा जाता कि इन मशीनों का रोज़गार पर क्या असर पड़ेगा। विनिमय दर को इस तरह से बढ़ा दिया जाता है कि उसके फलस्वरूप मशीन के आयात को सरकारी वित्तीय सहायता मिल जाती है। देश के अन्दर बैंकों के ब्याज की दर को इस तरह से कम करके रखा जाता है कि बड़ी आधुनिक कम्पनियों को सुगमता से ऋण मिल जाता है। लेकिन अगर विनिमय दर को कम करके व ब्याज की दर को बढ़ाकर पूँजी के इस्तेमाल को बहुत महंगा व मज़दूर सभाओं पर प्रतिबन्ध लगाकर श्रम को सस्ता बनाने के लिए कदम नहीं उठाये जाते तो कोई भी उद्योगपति श्रम—प्रधान तकनीकों को, चाहे वे आसानी से ही मिल जाती हों, कभी तलाश करके इस्तेमाल नहीं करेगा।

मज़दूर सभाओं का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर सीयर्स ने लिखा है कि वे श्रम को महंगा बना देती हैं—इतना महंगा बना देती हैं जितना भारत जैसे अल्पविकसित व विकासोन्मुख देशों में उसे होना नहीं चाहिए। “मज़दूरों से सम्बन्धित कानूनों (और आधुनिक क्षेत्र में दिये जाने वाले अधिक वेतनों) की वजह से अधिक मज़दूर रखना मुश्किल हो जाता है। अगर मज़दूरों के साथ यह पक्षपात बन्द कर दिया जाये तो मालिक लोग बहुत सोच—समझकर ही ऐसी तकनीकों का प्रयोग करेंगे जो बहुत बड़ी मशीनों पर आधारित हों।” यदि मज़दूर आन्दोलन को सीमा में रखा जाये तो हमारे बड़े उद्योग को विदेशी मण्डियों में विदेशी माल के मुकाबले में अपना माल बेचने में हमारे यहाँ की सस्ती मज़दूरी बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है।

हमारे नेता व अर्थशास्त्री शायद यह न जानते हों लेकिन विदेशी अर्थशास्त्रियों को मालूम है कि विशाल श्रम शक्ति के रूप में—सस्ते मज़दूरों के रूप में—हमारे पास बहुत बड़ी सम्पत्ति मौजूद है। टाइम्स ऑफ़ इण्डिया (नयी दिल्ली) ने अपने 25 नवम्बर 1973 के अंक में यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी:

“चार नयी विदेशी फर्मों ने यह प्रस्ताव रखा है कि वे अपनी फैक्ट्रियां भारत में ले आयेंगी और लगातार उन फैक्ट्रियों के सारे उत्पाद को खरीद लेंगी। उनका उद्देश्य भारत में कुशल कारीगरों की सस्ती मज़दूरी से लाभ उठाना है। भारत में अपने प्लांट लाने से जो

उत्पादन होगा उसका निर्यात किया जायेगा जिससे काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमायी जा सकती है।”

ऋण तथा विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में और विदेशी मशीनें आयात करने के मामले में उचित नीतियों पर चल सकना तो सम्भव है लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि मज़दूरों के लिए कानून बनाने में उचित नीतियों के अनुसार नहीं चला जा सकता। दूसरे शब्दों में, मज़दूर सभाओं की रोक—थाम कर सकना और मज़दूरों से लालच कम करने और अपने ऊपर नियन्त्रण करने के लिए कह सकना सम्भव नहीं है। लेकिन यह तो सम्भव है कि उत्पादन की तकनीकों को इस प्रकार से नियन्त्रित किया जाये कि मज़दूर सभाओं व मज़दूरों के लालच पर नियन्त्रण लगाने की जरूरत ही न पड़े। इसके लिए सिर्फ़ यह जरूरी है कि योजना आयोग महात्मा की—जिसकी स्मृति को रोजाना दृष्टि किया जाता है—एक मामूली—सी बात ध्यान में रखें। गांधी ने कहा था कि बड़े स्तर पर कारखानों में वही चीजें तैयार की जानी चाहिए जो लघु या कुटीर उद्योग तैयार नहीं कर सकते। उनकी राय मान ली जाये तो विकास का मूल्य कम हो जायेगा, रोज़गार के अवसर बहुत अधिक संख्या में खुल जायेंगे लेकिन मज़दूर सभाओं की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि कुटीर उद्योगों में तो भाड़े के मज़दूर होंगे नहीं और लघु उद्योगों में भी बहुत कम होंगे।

लघु उद्योग में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने या वेतन सम्बन्धी अनियमितताओं को सुधारने के लिए कोई कानूनी काम नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस सुझाव का राजनीतिक व सामाजिक कारणों से विरोध किया जायेगा लेकिन सस्ते मज़दूर हमारी सबसे महान सम्पत्ति हैं, और हमें उनके ही हित में तथा राष्ट्रीय हित में इस सम्पत्ति को बेकार नहीं खोना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे परहेज से रोज़गार के नये मार्ग खुलेंगे, आर्थिक संवृद्धि की दर बढ़ेगी, आय की असमानताएँ कम होंगी और निर्यात बढ़ेगा।

एक बार उत्पादन की तकनीकों पर नियन्त्रण हो जाये, अर्थात् हम यह तय कर दें कि माल कैसे पैदा होगा, और आय अधिकर लोगों में बंट सके, तो फिर हमें यह चिन्ता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि कैसा माल बनता है—वह माल बनता है जिसे सर्व साधारण इस्तेमाल करते हैं, या वह माल बनता है जिसे विशिष्टजन ही प्रयोग में लाते हैं। यह अपने आप ठीक हो जायेगा, क्योंकि तकनीकी सीमाओं के

कारण ये (श्रम—प्रधान) उद्योग कुछ यदाकदा अपवादों को छोड़कर ऐसा माल ही बनायेंगे जिसकी कम आमदनी वाले, गाँव में रहने वाले या आस—पड़ोस के शहरों में रहनेवाले साधारण—जन को ही जरूरत होती है। इस प्रकार दोनों तरह के माल में भेद करने (जो मनमाने ढंग से ही किया जा सकता है) मूल्य—निर्धारण के रूप में या माल की गुणवत्ता अथवा मात्रा पर नियन्त्रणों के रूप में उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाने, तथा संस्थागत सुधार करने के प्रलोभन से सरकार बच जायेगी। संस्थागत सुधार स्वतन्त्र आर्थिक कार्यों को सीमाबद्ध करते हैं और जिस हद तक स्वतन्त्र आर्थिक कार्य सीमाबद्ध होते हैं उसी हद तक जनतन्त्र भी सीमित हो जाता है।

हमारे देश में बड़े—स्तरीय तथा लघुस्तरीय उद्योगों के बीच चुनाव करने का प्रश्न उतना नहीं है जितना बिजली से चलने वाले (बड़े या छोटे) उद्योगों व कुटीर उद्योग में से एक को चुनने का है। कुटीर उद्योग ही गाँवों में रहने वाले उन असंख्य लोगों को रोज़गार दे सकते हैं जो बुवाई व कटाई के दिनों में तो व्यस्त रहते हैं लेकिन बाकी दिनों में बेकार रहते हैं। शहरों व देहातों में जो ‘ओपनिवेशिक’ रिश्ता बन गया है, वह तभी खत्म होगा जब साबुन से लेकर कपड़ा तक सभी उपभोक्ता माल गाँवों में बनें और गाँवों में बिकें।

इसलिए कुटीर व लघु उद्योग के बीच भी इस तरह भेद करना होगा ताकि कुटीर उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए लघु उद्योगों की रोकथाम की जा सके। आज की आर्थिक स्थिति में हमारे सामने मुख्य सवाल यह है कि गाँवों के लोगों को रोज़गार मिले। हालांकि लघु उद्योगों में मङ्गले व बड़े उद्योगों की अपेक्षा पूँजी—लागत की प्रति इकाई रोज़गार अधिक मिलता है (और उत्पादन भी अधिक होता है) लेकिन कुटीर उद्योग को दोनों से बचाने की आवश्यकता है। तभी हम महात्मा गांधी का पचास वर्ष पहले का स्वप्न साकार बना सकेंगे। उन्होंने कहा था कि “शहरवालों ने गाँवों से जो कुछ निर्दयता के साथ और बिना सोच—समझकर छीना है, वह गाँव वालों को वापस मिलना चाहिए।”

दक्षिण एशियाई देशों की औद्योगिक नीतियों की चर्चा करते हुए विख्यात स्वीडिश अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने भी आधुनिक तथा परम्परागत क्षेत्रों के साथ—साथ रहने की आवश्यकता पर बल दिया था:

"गाँवों में कुटीर उद्योग को बरकरार रखने तथा बढ़ाने का अर्थ है कि दक्षिण एशिया के अल्प-विकसित देशों में दो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हों—एक तो छोटा—सा परन्तु धीरे—धीरे विस्तार करता हुआ बड़े स्तरीय तथा छोटे—स्तरीय विनिर्माण उद्योगों का पूरी तरह आधुनिकीकृत क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र वह जिसमें उद्यम परम्परागत उद्यमों से भिन्न नहीं होंगे और जो तेजी से बढ़ते हुए श्रमिकबल को रोज़गार देते रहेंगे। क्योंकि आधुनिकीकृत क्षेत्रों में श्रम की बचत की जायेगी और बहुत दिन तक अधिक रोज़गार नहीं मिलेगा, जबकि इस शताब्दी के अन्त तक श्रमिकबल तेजी से बढ़ता रहेगा, इसलिए यह द्विक्षेत्रीय संरचना संक्रामक नहीं होगी। यह मानना पड़ेगा कि यह संरचना कई दशक तक रहेगी।"¹

विनिर्माण के अतिरिक्त कृषितर क्षेत्र के अन्य उपक्षेत्रों के रूप में परिवहन व संचार सबसे अधिक रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। 1974 में परिवहन व संचार में 23.9 लाख व्यक्ति रोज़गार से लगे हुए थे और निर्माण कार्यों में 11.8 लाख लोगों को काम मिला हुआ था। लेकिन इन क्षेत्रों में आज से कहीं अधिक रोज़गार मिल सकता है। भोजन तथा कपड़े के बाद मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकता है आवास, लेकिन हम देख चुके हैं कि हमारे देश में दसियों लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है। इसी तरह सड़कें (व परिवहन) आर्थिक संवृद्धि के लिए परमावश्यक हैं लेकिन दुनिया के बहुत से देशों की अपेक्षा भारत में प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से सड़कें बहुत कम हैं। किसी भी विकासोन्मुख क्षेत्र में नयी सड़क बनने से वहाँ के संसाधनों के प्रयोग के लिए नये लाभदायक अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। नयी सड़कों का निर्माण स्थानीय फसलों की पैदावार पर असर डालता है, उनके निवेशों को मुहैया करने के लिए सुविधाजनक होता है, उस क्षेत्र की मण्डी का आकार बढ़ता है, वहाँ बेचने लायक अतिरिक्त उत्पादन बढ़ता है, उत्पाद के लिए पहले से अच्छी कीमत दिलाता है, श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ता है, और ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देता है जो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग कर सकें वर्ना यह कच्चा माल ऐसी जगहों पर न भेजे जा सकने के कारण जहाँ उसकी माँग हो, बेकार जाता था।

1 'एशियन ड्रामा' पु० 1239

1961–81 की सड़कों की योजना के अनुसार नयी सड़कें बनाने पर 19 करोड़ रुपया तथा पुरानी सड़कों के रख—रखाव पर 50 लाख खर्च होना था। नीचे दी गयी तालिका से मालूम होगा कि इस लागत से हर वर्ष कितने तकनीकी कर्मचारियों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं:

| तकनीकी कर्मचारियों की कोटि | निर्माण व नियोजन के लिए | रख—रखाव के लिए |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| स्नातक | 300 | 18 |
| डिप्लोमा वाले | 1,080 | 53 |
| अन्य तकनीकी कर्मचारी | 1,125 | 62 |

“विकास की विभिन्न मदों में एक है ‘निर्माण’। इसके अन्तर्गत रोज़गार की दृष्टि से सबसे अधिक सम्भावना सड़कों के निर्माण में है। एक करोड़ रुपया खर्च करने से सड़कों के निर्माण में 10,452 लोगों को रोज़गार मिल सकता है, जबकि कृषि उत्पादन में 5,200 को, वन तथा भूमि संरक्षण में 8,000 लोगों को, आवास निर्माण में 5,000 को, बड़े व मंज़ले सिंचाई के साधनों के निर्माण में 7,000 को और बड़े व मंज़ले उद्योगों में 1,700 को। लेकिन सड़कों पर समान राशि के खर्च से रोज़गार की ‘निरन्तरता’ कम होती है। सड़कों पर रोज़गार की ‘निरन्तरता’ संख्या 1,000 है जबकि कृषि में 1,250 है, आवास में 300, ग्रामीण व लघु—धन्धों में 3,200 और सड़क परिवहन में 2,500।”¹

जहाँ तक मकान व इमारतें बनाने का प्रश्न—है, अभी हाल तक भारत सरकार दिल्ली की हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री की तरह प्रीफ़ैब्रीकेटिड मकान बनाने के कई कारखाने लगाने की योजना चला रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था कि 1973–74 में गाँवों में पाठशालाओं के लिए 5,000 इसी प्रकार की इमारतें बनायी जायें जिनमें हर एक पर 10,000 रु० खर्च होता। इस तरह की योजना से मकान बनाने वाले मजदूरों के रोज़गार तो कम होते ही, रुपया भी ज्यादा खर्च होता।

1 अशोक वी० बुलेश्कर, संपादक: ‘टुवर्डस सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी’, पॉपुलर प्रकाशन, 1972।

इसके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्रीफैब्रीकेटिड मकान बनाने पर निर्माण के परम्परागत तरीकों से अधिक खर्च होता है। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं थी। इसी प्रकार प्रीफैब्रीकेटिड पुल बनाये जा रहे हैं जबकि जहाँ पुल बन रहे हैं वहीं हजारों लोग बेकार घूम रहे हैं जो अपने हाथों से उतनी ही कुशलता के साथ काम कर सकते थे। मशीनों से ईंटें बनाने को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सड़कों व इमारतों के अलावा इस तरह के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं तथा और भी चलने चाहिए जैसे रेलवे की लाइनें बनाना, सिंचाई तथा जल-विद्युत के लिए तालाब व बांध बनाना, आदि। यह सभी निर्माण कार्य हाथों से या अन्य श्रम-प्रधान उपायों से किये जा सकते हैं जिनसे लाखों नौकरियों के रूप में तुरन्त ही बहुत अधिक प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के मकान, इमारतें या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। हमारे यहाँ इतनी अधिक श्रमिक शक्ति उपलब्ध है कि जमीन खोदने वाली या मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली विशालकाय मशीनों का प्रयोग अनावश्यक है। इन मशीनों से बेकारी बढ़ेगी। हमारी सड़कें, पुल, बांध या तालाब कोई विदेशी मण्डियों में तो जाकर दूसरों से मुकाबला करने वाले नहीं हैं जो उनको मशीनों से बनाया जाय।

कुछ को छोड़कर सभी केन्द्रीय विभागों में कम्प्यूटर तथा आंकड़ों का प्रक्रमण करने वाले यन्त्र लगा लिये गये हैं। बराबर इस तथ्य की उपेक्षा की जाती है या इसे भुला दिया जाता है कि जो काम हाथ से हो सके उसकी जगह मशीन लगाने से उत्पादन नहीं बढ़ता बल्कि श्रम की बचत हो जाती है जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है। मशीनों की जरूरत तो तब होती है जब किसी काम को करने के लिए कम आदमी मिलें या जब कोई काम हाथों से न किया जा सके।

यदि भारत को जिन्दा रहना है और दुनिया में कुछ करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था में व्याप्त बेरोज़गारी व अल्प-रोज़गारी को खत्म करना होंगा। इसलिए दो टूक घोषणा कर देनी चाहिए कि हमारी अर्थनीति का उद्देश्य अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ाना नहीं बल्कि उत्पादक रोज़गार बढ़ाना है। अधिक रोज़गार की व्याख्या होने से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में स्वयं वृद्धि होगी लेकिन अगर हमें कम रोज़गार के साथ सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा दूसरी और अधिक रोज़गार के साथ धीमी रफ़तार से संबुद्धि में से एक को चुनना हो तो बिना झिझके हम अधिक रोज़गार वाला रास्ता चुनेंगे।

निष्कर्ष

गांधीजी ने सोचा था कि हम अपने ही साधन—भण्डार के आधार पर और अपनी ही तकनीकों से या उन तकनीकों से जो हमारे यहाँ पूँजी की कमी व श्रम के बाहुल्य की स्थिति के अनुकूल हों, अपनी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि करेंगे। हमारी संवृद्धि के लिए कौन—सी नीति उपयुक्त होगी, यह इस बात से तय होना चाहिए था कि हमारे पास है क्या। आत्मनिर्भरता को बहुत ऊँची प्राथमिकता दी गयी थी।

दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता के बाद जिन लोगों ने नेतृत्व सँभाला उनके कुछ दूसरे ही विचार थे। देश की आर्थिक योजनाएँ विदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर बनने लगीं। घरेलू आर्थिक व सामाजिक स्थितियों तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के परिणामों की प्रसंगतियाँ उनको नज़र नहीं आयीं। लकड़ी व बांस का स्थान ले लिया इस्पात ने जो कम उपलब्ध वस्तु है। सीमेंट ने चूने—गारे की जगह ले ली। परिवहन व बिजली उत्पादन में कोयले की जगह पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी। जैव खाद की अपेक्षा रासायनिक उर्वरक अधिक पसन्द किये जाने लगे और उर्वरकों के उत्पाद में भी कोयले की अपेक्षा नैफ्ता पसन्द किया जाने लगा।

इस प्रकार जान—बूझकर व मुस्तैदी के साथ हम गांधी के मार्ग से हट गये। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को पूरी तरह भुला दिया गया। विदेशी प्रौद्योगिकी को हमारी अर्थव्यवस्था पर थोप दिया गया और यह भी नहीं सोचा गया कि दोनों को अलग—अलग तरह के व अलग—अलग मात्रा में साधन चाहिए।

इस बात को कोई महत्त्व नहीं दिया गया कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि में तथा अधिक सेवाओं व अधिक माल को उपलब्ध करने में व्यक्तियों का योगदान आवश्यक है। इसके विपरीत राज्य की भूमिका तथा विशाल व दुर्गम सामाजिक—आर्थिक समस्याओं का हल निकालने की उसकी क्षमता को बढ़ा—चढ़ाकर देखा गया। राज्य की पेशकदमी और ऐसी विशालकाय परियोजनाओं को ही सब कुछ समझा गया जिनको अनिवार्य रूप से आयात की हुई विदेशी प्रौद्योगिकी तथा प्राथमिक, प्रकमित अथवा माध्यमिक विदेशी साधनों की आवश्यकता थी। हमारी परियोजनाओं के लिए दूसरे देशों में लोगों को रोज़गार मिला, और हमारे लोगों को बेकार रहने के लिए विवश किया गया।

हमारी आर्थिक प्रगति की नीतियों में इस दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ के लाने

का नतीजा यह हुआ कि देश के अन्दर एक सशक्त वर्ग बन गया जिसके हित हर प्रकार के आयात व विदेशी प्रौद्योगिकी के अंधाधुन्ध आयात के साथ जुड़ गये। और यह फिजूल की दलील दी जाने लगी कि इन आयातों से ही देश के विकास की गति तेज होगी।

इस प्रकार हमने एक ऐसी इमारत खड़ी कर दी जिसकी नींव बहुत कमजोर है। हमारे देश के करोड़ों लोगों को न तो प्रगति से कोई लाभ पहुंचा है, न वे प्रगति की प्रक्रिया में भाग ले पा रहे हैं। हर स्तर पर जन आकंक्षाओं का दमन हुआ है और हर पहल को व हर प्रोत्साहन को रोका गया है। इस नीति में एक सर्वव्यापी संकट निहित है जो इस दृष्टिकोण का अंतरंग भाग था।

हमारे गहरे होते हुए आर्थिक संकट के अनिष्टसूचक आयाम गांधी द्वारा दिखाये गये मार्ग से हट जाने के सूचक हैं। गांधी की नीति सीधी—सादी थी—जनता को सम्पत्ति के उत्पादन में लगाना चाहिए, जनता गाँवों के जंगलों का विकास करे, जैव खाद बनाये, नाले—नालियां खोदे, और असंख्य छोटी—छोटी परियोजनाओं से ऊर्जा बनाये, जितने व्यापक स्तर पर हो सके जनता को पहल करने दी जाये, जरूरी हो तो बड़ी पूँजी प्रधान परियोजनाओं को भी लिया जाये लेकिन स्थानीय साधनों के सहारे ही उनको चलाया जाये।

भारत ने धृष्टता के साथ गांधी का परित्याग कर दिया जिसके दुष्परिणाम आज नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ अन्य देशों ने, विशेष रूप से चीन, वियतनाम और तंजानिया ने न केवल गांधी की तरह के नियोजन से लाभ उठाया बल्कि बाकी दुनिया को दिखा दिया कि एक कृषि—प्रधान देश के लिए, विशेष रूप से विकास की आरम्भिक मंजिलों में, गांधी द्वारा प्रस्तावित योजना ही मूल रूप से उचित है।

शुरू में कुछ वर्षों तक सोवियत संघ पर निर्भर रहने के बाद चीन ने अपने अनुभव से सोवियत की दुम से बंधे रहने के नतीजा^४ को समझ लिया। चीन ने किसी से समझौता नहीं किया, फिर भी जब माओ की मृत्यु हुई तो वह देश किसी का कर्ज़दार नहीं था और उसकी बेरोज़गारी की समस्या क़रीब—क़रीब हल हो चुकी थी। वियतनाम की सफलताएँ भी ऐसी ही चमत्कारपूर्ण हैं और राष्ट्रपति नायरेरे के नेतृत्व में तंजानिया तो नियोजन के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के मुख्य सिद्धान्तों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का एक प्रामाणिक नमूना बन गया है।

आज हमारे देश में अत्यधिक लागत के पूँजी—प्रधान उद्योग लग रहे हैं जो शहरों के विशिष्ट समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते

हैं या अपना माल मामूली दाम पर निर्यात कर देते हैं। जब तक इस प्रकार के आर्थिक विकास के साथ हम बँधे रहेंगे तब तक न केवल बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी, पूँजी कुछ हाथों में केन्द्रित होती रहेगी, हमारा देश सम्पन्न देशों का बन्धक बना रहेगा बल्कि खतरा यह है कि उसके पराधीन बन्धन और मजबूत होते जायेंगे। इस बन्धक बने रहने की स्थिति से बचने, दूसरे शब्दों में वित्तीय व तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक मात्र व एक ही सही रास्ता यह है कि औद्योगिकरण के इन तरीकों से अपना नाता तोड़कर हम गांधी के रास्ते पर चलें—यह जरूर है कि गांधी की शिक्षाओं को आज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा। गांधी के मार्ग का तकाज़ा है कि उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे जूते, कपड़ा या साबुन का, मशीनों द्वारा उत्पादन निषिद्ध कर दिया जाये और मशीनों का स्थान कुटीर उद्योग ले लें; रासायनिक उर्वरकों का स्थान यथासम्भव जैव खाद स्वीकारें; शहरों का इस प्रकार नियोजन किया जाये कि बिजली द्वारा चालित परिवहन की आवश्यकता कम—से—कम हो जाये; और शहरों में मकान बनाने के लिए इस तरह के नियम हों कि रईस व ग्रीब, सभी सस्ती व छोटी घनी बस्तियाँ बनाने के लिए विवश हों जिनमें ऐसा स्थानीय माल इस्तेमाल हो जो कम दाम में मिल सके जैसे बांस, गारा, ईंटें व खपरैल।

जब तक लोगों को पूरी तरह रोज़गार न मिल जाय, मशीनीकरण से बिलकुल बचना चाहिए। रहने के मकान या कार्यालयों के लिए इमारतें, सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, सिंचाई के बाँध व तालाब आदि बनाने में मशीनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए पूर्वरचित (प्री-फैब्रिकेशन) मकानों की फैकिट्रियों और जमीन की खुदाई करने वाली या मिट्टी हटाने वाली बड़ी मशीनों को बिलकुल खत्म करना होगा। कम्प्यूटरों, स्वचालित घुलाई की मशीनों, स्वचालित टेलीफ़ोनों, मशीन से चलने वाले रोटी बनाने के कारखानों को, जिन्हें कांग्रेस शासन ने देश—भर में लगाया था, भी नहीं चलने दिया जायेगा। उनकी जगह पुराने, तरीके इस्तेमाल किये जायेंगे जिनसे ज्यादा लोगों को काम मिलता था। जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है, केवल छोटी मशीनों को इस्तेमाल किया जायेगा जैसी जापान में चलती हैं और जो मानव श्रम की सहायक होंगी, न कि जो उसका स्थान ले लें।

भारत जैसे देश में जहाँ बेरोज़गारी इतनी व्यापक है, आर्थिक दृष्टि से यह लाभदायक है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादकता व रोज़गार को एक साथ बढ़ाया जाये (अर्थात् प्रति श्रमिक उत्पादकता

बढ़ायी जाये), न कि बिना रोजगार बढ़ाये ही उत्पादकता बढ़ा दी जाय। इसलिए अर्थव्यवस्था के मशीनीकरण को उस समय तक हतोत्साहित किया जाये जब तक कि वे सभी लोग जो आज बेरोज़गार हैं, पूरी तरह काम से न लग जायें। जब तक पूरे रोज़गार की स्थिति न आ जाय तब तक जहाँ कहीं हमारे सामने यह सवाल आये कि हम या तो अधिक श्रमिकों को लगाने वाली तकनीकों को पसन्द कर सकते हैं या कम मज़दूरों को लगाने वाली को, लेकिन उत्पादन दोनों से बराबर होता हो, तो हम पहली को पसन्द करेंगे सिवाय ऐसे अपवादों के जहाँ कि राष्ट्रीय हितों का प्रश्न हो।

११

उपसंहार

यदि इस लेखक को जनता पार्टी के आर्थिक दर्शन का वक्तव्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी जाये तो वह संक्षेप में निम्न प्रकार से लिखेगा:

मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रहता। उसके लिए स्वतन्त्रता व समानता उतनी ही आवश्यक है जितनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसलिए जनता पार्टी ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वचनबद्ध है जिसमें अधिकतम सम्भव मात्रा में मनुष्य की तीनों आवश्यकताएँ – रोटी, स्वतन्त्रता, समानता – पूरी हो सकें।

मानव इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जिनसे पता चलता है कि स्वतन्त्रता का शुद्ध रूप और समता का शुद्ध रूप एक–दूसरे के सदा से कटिबद्ध शत्रु हैं – जहाँ एक का बोलबाला होता है, दूसरे का खात्मा। मनुष्यों को स्वतन्त्र छोड़ देने से उनकी स्वाभाविक असमानताएँ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती हैं। उनको एक समान बनाने का प्रयत्न करने पर वे परतन्त्र बन जाते हैं। इस बजह से भारत के लिए आवश्यक है कि दो अति उग्र मार्गों का – अर्थात् उस पूँजीवादी जनतंत्र के मार्ग का जिसका प्रादुर्भाव पश्चिमी देशों में हुआ, तथा जनतंत्रीय केन्द्रीयता के मार्ग का जिस पर कम्युनिस्ट राज्य चल रहे हैं – एक विकल्प निकालें।

जनता पार्टी का विश्वास है कि दोनों के बीच के मार्ग पर चलकर ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें हर मनुष्य ऐसा धन्धा करे जिसका वह स्वयं मालिक हो। व्यावहारिक योग्यताओं में हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, यह जानते हुए भी जनता पार्टी ऐसे समतावादी समाज में विश्वास करती है जिसमें आयों में अन्तर बहुत कम हो और कुछ अपवादों को छोड़कर नागरिकों को स्वतन्त्रता हो कि वे अपने लिए कोई भी आर्थिक जीवन चुनें और कैसे भी अपना आर्थिक जीवन चलायें।

जनता पार्टी हर ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध है जिसमें किसी व्यक्ति को दूसरों की आर्थिक आवश्यकताओं का शोषण करने की असीम स्वतन्त्रता हो। साथ ही जनता पार्टी इसके भी खिलाफ़ है कि राज्य

द्वारा लोगों की पेशकदमी को रोकने, आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित करने अथवा आर्थिक स्वतन्त्रता का हनन करने के लिए असीम शक्ति राज्य अपने हाथों में ले और राज्य की इजारेदारी कायम की जाये। दूसरे शब्दों में, छोटे आदमी का भित्र अथवा सेवक होने तथा पीड़ितों का उत्थान करने के साथ—साथ जनता पार्टी किसी ऐसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करती जिसमें मानव को उसकी गरिमा व स्वतन्त्रता से वंचित किया जाये। साथ ही, उद्यम की स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हुए जनता पार्टी किसी ऐसी व्यवस्था में भी विश्वास नहीं रखती जिसमें दूसरों की मेहनत का शोषण किया जाये।

जनता पार्टी विश्वास करती है कि सम्पत्ति व उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का अधिकतम बिखराव अथवा विसर्जन ही जनतन्त्र के संरक्षण व स्थायित्व का एक मात्र आश्वासन है। इसलिए जनता पार्टी आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के हर रूप की विरोधी है। केन्द्रीकरण चाहे कुछ पूँजीपतियों के हाथों में हो चाहे स्वयं राज्य के हाथों में, उससे एक तो स्वतन्त्रता पर बन्धन लगते हैं और दूसरे आयों के स्तरों में अनुचित असमानताएं आ जाती हैं—और यह दोनों सामाजिक व आर्थिक तनाव पैदा करती हैं।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनता पार्टी आर्थिक शक्ति के वर्तमान धारणों व भावी अधिग्रहणों पर जहाँ सम्भव हो रोक लगायेगी, या उनकी अधिकतम वस्तुपरक सीमा निर्धारित करेगी, या आयों पर विभेदक कर लगायेगी, या और कोई आवश्यक कदम उठायेगी ताकि असमानताएं कम—से—कम हो सकें। यह इसलिए भी किया जायेगा कि आर्थिक प्रचालन, विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन की तकनीकों, उसके उपायों को व उसके आकार को विनियमित किया जा सके तथा निर्धारित किया जा सके। आज फैली हुई इजारेदारी व आयों की असमानताओं को फिर से उभरने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उत्पादन की तकनीक विशेष से न केवल विशिष्ट आयों की उत्पत्ति होती है बल्कि उन आयों का वितरण भी विशेष ढंग से होता है।

यह संक्षेप में है पार्टी की आर्थिक विचारधारा, उसका आर्थिक दर्शन। सवाल यह है कि इस विचारधारा अथवा दर्शन को कार्यान्वित कैसे किया जाता है। देश के सामने आर्थिक क्षेत्र में जो तीन समस्याएं हैं अथवा जो तीन बीमारियां देश को सता रही हैं, उनको पहचाना जा सकता है। वे हैं—गरीबी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी और सम्पत्तियों व आयों में बढ़ती हुई असमानताएं।

इसलिए हमारी आर्थिक नीति का उद्देश्य ऐसी संरचना का निर्माण होना चाहिए जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ रोज़गार मिलें, और यदि पूरी तरह से आय की असमानताओं का उन्मूलन न हो सके तो उनमें कमी अवश्य हो। क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन एक-दूसरे से गुंथा हुआ है, इसलिए हमें ऐसी अर्थव्यवस्था परसन्द होनी चाहिए जो अधिकतम रोटी, स्वतन्त्रता व समानता का आश्वासन देने के साथ ही उन शक्तियों को भी जन्म दे जो जनतन्त्रीय जीवन-पद्धति को आगे बढ़ायें व सशक्त बनायें। हमने अपने लिए जनतन्त्रीय जीवन-पद्धति को ही चुना है।

उपर्युक्त विश्वासों को कार्यान्वित करने में किसी भी राजनीतिक दल को, जनता पार्टी को भी, देश की कारक-निधि को ध्यान में रखना होगा। यह निधि ऐसी आर्थिक संरचना को सहारा दे सकती है जिसमें उत्पादन को सीमित करने वाले कारक की प्रति इकाई से अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। इसलिए यदि भूमि वह कारक है जो उत्पादन को सीमित बनाये तो उद्देश्य प्रति एकड़ अधिकतम मुनाफा होना चाहिए। यदि श्रम वह कारक हो जो धन्ये को सीमित करे तो श्रम की प्रति इकाई अधिकतम लाभ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार यदि पूँजी वह कारक हो जो उत्पादन को सीमित करती हो तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि निश्चित पूँजी लागत की हर इकाई पर अधिकतम मुनाफा मिले।

जनता पार्टी ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहेगी जिसमें:

(क) (i) क्योंकि हमारी परिस्थितियों में भूमि ही वह मुख्य कारक है जो उत्पादन को सीमित करती है और इस कारण श्रम या पूँजी से अधिक मूल्यवान है – इसलिए कृषि के क्षेत्र में भूमि के प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि हो सके; (ii) क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में पूँजी का तुलनात्मक अभाव है और इस कारण वह श्रम से अधिक मूल्यवान है, इसलिए पूँजी की हर इकाई से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

(ख) कृषि में भूमि की प्रति इकाई और उद्योग में पूँजी-लागत की प्रति इकाई अधिकतम रोज़गार मिल सके क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या हमारे यहाँ है और बेरोज़गारी बराबर बढ़ रही है।

- (ग) आमदनियों की असमानता को कम किया जा सके क्योंकि असमानताओं के बने रहने से व बढ़ते जाने से सामाजिक व राजनीतिक तनाव बढ़ते जाते हैं।
- (घ) दूसरों के श्रम के शोषण को अधिकतम हद तक रोका जा सके ताकि हमारी आबादी की अधिकतम संख्या को अपने व्यक्तित्व के विकास व व्यक्तिगत हितों की साधना के लिए अवसर मिल सके।

भारत का काम ऐसी व्यवस्था से ही चलेगा जिसमें कृषि के क्षेत्र में सेवा सहकारी संस्थाओं द्वारा एक—दूसरे से जुड़े हुए छोटे स्वतन्त्र किसानों के फार्म हों और विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में कुछ अपवादों को छोड़कर (ऐसी परियोजनाओं को छोड़कर जिनको लघु स्तर पर नहीं चलाया जा सकता) मुख्य रूप से कुटीर व लघु उद्यम हों जिनकी सेवा के लिए जरूरत के स्थानों पर सहकारी संस्थाएँ हो। इस तरह की अर्थव्यवस्था में अधिक माल का उत्पादन होगा, अधिक लोगों को रोज़गार मिलेगा, आय की असमानताएँ कम होंगी और जनतंत्रीय जीवन प्रणाली को बल मिलेगा।

आज हमारी औद्योगिक व्यवस्था मिश्रित है। इसमें दो क्षेत्र शामिल हैं—एक निजी व दूसरा सार्वजनिक। निजी क्षेत्र पूँजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए क्रमिक रूप से बढ़ती हुई दर से भारी कर लगाने की और कर-प्राप्तियों को सीधे ही जरूरतमदां को हस्तान्तरित करने या ऐसी परियोजनाओं पर जिनसे धनिकों की अपेक्षा गरीबों को अधिक लाभ हो, खर्च करने की जरूरत है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होने और कुल राष्ट्रीय आय का बहुत ही समान वितरण होने के कारण हमारे यहाँ उन लोगों का दायरा बहुत छोटा है जिन पर कर लगाया जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष करों को उत्तरोत्तर बढ़ाना और बड़े स्तर पर अप्रत्यक्ष कर लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस प्रकार क्रमिक दर की कर व्यवस्था उद्यम व पूँजी लगाने को हतोत्साहित करती है। अप्रत्यक्ष कर कुछ ऐसे बाधक होते हैं कि उनका बोझ धनिकों की अपेक्षा गरीबों पर ज्यादा पड़ता है और उनको व्यापक स्तर पर लगाने से, जो भारत में किया गया है, सारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र मार्क्सवादी समाजवाद (या उसे हम कम्युनिज्म कहें) का प्रतीक है। कम—से—कम हमारे देश में तो उसका कार्य बहुत निराशाजनक रहा है। इस क्षेत्र में कर लगाने का कोई सवाल नहीं,

लेकिन उससे किसी प्रकार का ऐसा अतिरिक्त उत्पादन भी नहीं मिलता जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों व अल्प-रोज़गार वालों को हस्तान्तरित किया जा सके या ऐसी परियोजनाओं में लगाया जा सके जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसी और ढंग से भी भारत के लिए उदाहरण नहीं बन सकता—कम्युनिस्ट देशों ने अति-असमानताएं तो खत्म कर दी हैं लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत इस रूप में अदा की है कि व्यक्तिगत आजादी व पेशक़दमी को खत्म कर दिया है।

लेकिन एक और भी रास्ता है जिसका प्रतिपादन गांधी ने किया था। वह रास्ता यह है कि साधारण श्रम-प्रधान तकनीकों के द्वारा छोटे-स्तर व विकेन्द्रित ढंग से उत्पादन ही हमारे औद्योगिक ढाँचे का प्रमुख रूप हो। इस व्यवस्था से राष्ट्रीय आय का आरम्भ में ही इस प्रकार वितरण होता है जिससे श्रमिकों को फायदा हो। यह व्यवस्था इजारेदारियों के लिए बहुत कम गुंजायश छोड़ती है। इसलिए इस व्यवस्था में यह जरूरत ही नहीं होगी कि बाद में राज्य द्वारा आय का पुनर्वितरण किया जाय। जिन तकनीकों से उत्पादन किया जाता है, वही यह तय करती है कि विभिन्न लोग किस रूप में उत्पादन—क्रिया में भाग लें और उससे होने वाली आय में उनका हिस्सा कितना हो। श्रम-प्रधान उद्यमों में आय का सबसे बड़ा हिस्सा श्रमिकों को जाता है और पूँजी प्रधान इकाइयों में पूँजीपति को। और फिर यह तो सभी मानेंगे कि मज़दूरी पाने के लिए काम करने से कहीं अच्छा यह है कि व्यक्ति ऐसा धन्धा करे जिसका वह स्वयं मालिक हो। ऐसा धन्धा साधारण श्रम-प्रधान तकनीकों से ही किया जा सकता है। वह रास्ता जिस पर चलने से जनसंख्या का अत्यधिक प्रतिशत धन्धों में लग सके जिनका व्यक्तिगत रूप से श्रमिक ही स्वामी हो, वही उत्पादन के साधनों का मालिक हो और अपनी जीविका के लिए किसी और पर आश्रित न हो, उस रास्ते से कहीं अधिक अच्छा है जिस पर चलने से पहले तो थोड़े—से लोग सम्पत्ति का उत्पादन कर पायें व थोड़े—से हाथों में सम्पत्ति केन्द्रित हो—बले ही इन लोगों के हाथों में राज्य सत्ता सीमित हो—और फिर बाद में मुनाफ़े या अतिरिक्त बचत को नौकरशाही के माध्यम से वंचित लोगों को विभिन्न रूपों में हस्तान्तरित किये जायें अथवा उनमें बाँटे जायें।

अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में गांधी ने एक योजना सोची थी जिसके अन्तर्गत उद्योगपति समाज के न्यासी (ट्रस्टी) के तौर पर काम करेंगे।

उन्होंने यह योजना भारी उद्योग को जीवित रखते हुए उसकी बुराइयों से बचने के लिए सोची थी। इसके बारे में उन्होंने कई बार लिखा और कहा। कदाचित इस योजना की सबसे संक्षिप्त व सबसे स्पष्ट व्याख्या उन्होंने हरिजन के एक अंक में प्रकाशित एक लेख में की थी जिसमें लिखा था कि उद्योगपतियों को “अपने धारणों का संचालन अपने पास रखने दिया जायेगा और अपनी योग्यताओं को सम्पत्ति की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करने दिया जायेगा, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए और इसलिए बिना दूसरों का शोषण किये। राज्य यह तय करेगा कि उनको समाज की सेवा करने के लिए कमीशन दिया जाये यह कमीशन उनकी सेवा के मूल्य के अनुरूप होगा। उनके बच्चे संचालन की जिम्मेदारी विरासत के रूप में तभी पायेंगे जब वे उसके लिए अपनी योग्यता सिद्ध कर देंगे।”

उनका उद्देश्य था उद्योगों के प्रबन्ध व नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करना जिसमें श्रमिकों, उपभोक्ताओं, कच्चा माल देने वालों, आसपास रहने वालों, और आमतौर से सारे समाज के व उद्यमों के भागीदारों के भी—सभी के—हित ध्यान में रहें और मालिकों व प्रबंधकों की विशेषज्ञता का भी लाभ उठाया जा सके व उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरणा भी मिलती रहे। इस योजना के अन्तर्गत सारा मुनाफा राज्य के पास जायेगा और उसे फिर अर्थव्यवस्था में लगा दिया जायेगा। भारी उद्योगों में अतिरिक्त लाभ न तो मज़दूरों की मिल्कियत है न मालिकों की, बल्कि सारे राष्ट्र की—क्योंकि सारे राष्ट्र की मेहनत से व सूझबूझ से ही भारी उद्योग बनते हैं व चलते हैं। इस रास्ते पर चलने से निजी पूँजीवाद से भी बचा जा सकता है और राज्य की सर्वोच्च सत्ता से भी। गांधी राज्य की सर्वप्रभुता के विरुद्ध थे। उनके विरोध के लिए उचित कारण थे—आज हममें से बहुत—से लोग ऐसा मानने लगे हैं हालांकि जब गांधी जीवित थे तब हमारी समझ में यह बात नहीं आती थी।

लेकिन इस दुनियादारी वाले समाज में यह सम्भव नहीं है कि मालिकों की दानवीरता व उनके राष्ट्रीय कर्तव्य की दुहाई देकर ही उन्हें उद्योगों पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए राजी किया जा सके। गांधी तो जगद्गुरु थे और अन्तिम सत्य की बात करते थे व इतने ऊँचे आदर्श हमारे सामने रखते थे जिनको कम—से—कम आज तो प्राप्त करना मुश्किल है। फिर भी जनता पार्टी चुने हुए क्षेत्रों में उनके द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप का परीक्षण करना चाहती है।

१६७८ में प्रकाशित “इंडियाज इकनॉमिक पॉलिसी— द गांधियन ब्लूप्रिंट” चौधरी चरण सिंह की पुस्तक है, जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री और जनता पार्टी की आर्थिक नीति पर कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष थे। यह पुस्तक भारत के विकास के लिए एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करती है। पाठकों के लिए सरल भाषा में लिखी गई यह पुस्तक जमीनी स्तर से भारत के निर्माण के लिए सिंह के सिद्धांतों का संक्षिप्त सूत्रीकरण है।

सिंह जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक नीति रूपरेखा और गांव केंद्रित भारत के मोहनदास गांधी के दृष्टिकोण को नेहरू द्वारा अस्वीकार किए जाने की आलोचना करते हैं। वे भारत के भूगोल, जनसंख्या, जनसांख्यिकी और लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप गांधीवादी नीतियों पर आधारित एक मौलिक रूप से नया नीति खाका प्रस्तुत करते हैं।

उनकी आर्थिक नीति का लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाकर, भूमि और पूँजी पर रोजगार के अवसरों को अधिकतम करके, आय असमानता कम करके और श्रम के शोषण से रक्षा करके गरीबी, बेरोजगारी और धन असमानता जैसी तीन प्रमुख समस्याओं का समाधान करना है। सिंह का खाका औद्योगीकरण को कम प्राथमिकता देने और कृषि एवं गांवों को अधिक महत्व देने की सिफारिश करता है। साथ ही, शहरी अभिजात वर्ग द्वारा बनाई गई योजनाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल देता है, जो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खातीं।

सिंह स्पष्ट करते हैं कि वे औद्योगीकरण के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उसे गांवों पर हावी होने देने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि भारत में पहले से ही बहुत अधिक श्रमबल है, अतः मरीनीकरण का विरोध करते हैं जो श्रम का स्थान ले लेता है। साथ ही, वे विदेशी प्रौद्योगिकी और पूँजी पर निर्भरता को भी कम करने का आग्रह करते हैं, जिस पर अब तक विकास के सभी प्रयास आधारित रहे हैं। उनका गांधीवादी नुस्खा श्रम-प्रधान तकनीकों और छोटे पैमाने पर विकेन्द्रीकृत उत्पादन का व्यापक उपयोग है। यह सब अधिकतर लोकतांत्र पर आधारित होगा, जो पूँजीवादी या साम्यवादी व्यवस्थाओं के शोषण के बजाए स्व-रोजगार को जन्म देगा।



चरण सिंह अभिलेखागार
www.charansingh.org

